Trans
17-2-64

तृतीय माला, खण्ड २४—अंक २६

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९६३
३० अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

प्र०५।

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना* प्रश्न संख्या ९ और १० — ३१०९--१४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- — ३११४--१८

(१) भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनायें

(२) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती जिलों में पुलों की दशा

प्रश्नों के उत्तरों के साथ संलग्न विवरणों के बारे में — ३११८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . — ३११९

राज्य सभा से सन्देश — ३११९

प्राक्कलन समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . — ३११९

नगरों के पुनवर्गीकरण के बारे में वक्तव्य--

श्री ति० त० कृष्णामाचारी . — ३११९-२०

तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के बारे में सदस्य का वक्तव्य और मंत्री द्वारा तत्सम्बन्धी उत्तर-- — ३१२०--२२

इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा . . . — ३१२०-२१

अ० म० थामस . . . . — ३१२१-२२

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के बारे में विधेयक पुरस्थापित — ३१२२-२३

(१) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . — ३१२२-२३

(२) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक . — ३१२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा-- — ३१२३--८१

(१) प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपाय .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . — ३१२३--३४

श्री मान सिंह प्र० पटेल . — ३१३४--३६

डा० राम मनोहर लोहिया . — ३१३६--४५

श्रीमती विमला देवी . . . . . — ३१४५-४६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये]

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९६३

३० अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कैदियों का जल से भाग जाना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. { श्री स्वैल : श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या यह सच है कि २५ से अधिक डफला लोग जिनका, उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षत्र (नेफा) के कामेंग सीमान्त डिवीजन के चयोंग ताजू क्षेत्र में कुछ अधिकारियों की हत्या में हाथ था, जेल से भाग गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन परिस्थितियों में भागे हैं ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू). (क) और (ख). मई १९६३ में घटना होने के बाद, जिसमें नेफा के १२ अधिकारियों को मार दिया गया था, स्थानीय लोगों की सहायता से उस विशेष कबीले के, जो इसके लिये उत्तरदायी था, ४१ अपराधी पकड़े गये थे जिनमें से कुछ ने स्वयं ही अपने आपको सौंप दिया था। जांच के बाद, २५ के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये थे और शेष को छोड़ दिया गया। २४ नवम्बर, १९६३ को इन २५ अपराधियों ने अन्धेरा होने के बाद आसाम राइफल्स क्वार्टर गार्ड से भाग निकलने की कोशिश की। उसके बाद जो

†मूल अंग्रेजी में

मुठभेड़ हुई उसमें दो मारे गये तथा १० को तत्काल ही पुनः पकड़ लिया गया। तबसे एक के अतिरिक्त शेष के सभी १३ व्यक्तियों को गांवों के नेताओं की सहायता से पकड़ लिया गया है।

क्वार्टर गार्ड से भाग निकलना स्पष्टतः गत मई में वध की घटना के दंड से बचने के लिये एक जी-तोड़ प्रयास था। मुकदमा चल रहा है तथा अपराधियों को सैशन के सुपुर्द कर दिया गया है।

†**श्री स्वैल :** प्रधान मंत्री ने उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां उन अपराधियों को रखा गया था। मेरा अनुमान है कि यह नेफा में कहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब उस क्षेत्र में इन अपराधियों को काबू में रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था हो गई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन्हें काबू में रखने के लिये?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब किसी के भाग निकलने का कोई खतरा नहीं है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे आशा है कि नहीं है। सच तो यह है जैसा कि मैंने कहा, कि एक के इलावा इन सभी को पकड़ कर फिर गिरफ्तार कर लिया गया है।

†**श्री स्वैल :** क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन अपराधियों के भाग निकलने का भ्रष्टाचार से कोई सम्बन्ध है तथा क्या उस क्षेत्र के अधिकारी किसी न किसी तरह से अपराधियों को भाग निकलने में सहायता नहीं करते रहे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे ख्याल में इसका भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि इस तरह की घटना पहली बार ही नहीं हुई है—पहले भी एक बार पांच मिजमी नेफा से भाग गये थे—क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने नेफा में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिये क्या उपाय किये है ताकि इस तरह की घटनायें बार बार न हों?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पहले ऐसी घटना होने का मुझे पता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** कुछ महीने हुये पांच मिजमी भाग गये थे। प्रतिरक्षा मंत्री ने यहां इसे माना था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हो सकता है। साफ है कि कदम जरूर उठाये गये होंगे—इस मामले में भी। वे क्वार्टर गार्ड में थे जो जेल में नहीं है और वे वहां से भाग गये और फौरन ही, अगले एक-दो दिनों में, उन्हें...

†**श्री हेम बरुआ :** लेकिन उन्होंने हमारे प्रहारियों पर काबू पा लिया और फिर भाग गये।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हो सकता है, खैर उन्होंने इन चीजों को रोकने के लिये कदम जरूर उठाये होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या मैं जान सकता हू कि क्या ये कैदी स्वयं ही भाग निकलने में सफल हो गये थे या उन्हें बाहर से कोई सहायता मिली थी ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** जहां तक मैं जानता हूं, बाहर की कोई एजेन्सी इसमें शामिल नहीं है। वे खुद ही भाग गये और खुद ही लौट भी आये।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्रमाणित जानकारी है कि कुछ विद्रोही नागा हाल ही में बर्मा में घुस गये हैं और उनमें से कुछ की यहां पुलिस को बड़ी तलाश है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बिलकुल अलग है।

दिल्ली में आटे का संभरण

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. { **श्री राम सेवक यादव :** / **श्री कछवाय :** / **श्री भू० ना० मंडल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोगों को आटा मिलने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) दिल्ली में इस समय आयातित गेहूं से मिल द्वारा तैयार किए गए आटे की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है और इसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री राम सेवक यादव :** मैं जानना चाहूंगा कि आटा और गेहूं के वितरण की दिल्ली में क्या व्यवस्था है और इस समय आटा और गेहूं का भाव क्या है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** दिल्ली में गेहूं के उत्पादों के संभरण के बारे में कम से कम छः आटा मिलें हैं और अधिष्ठापित क्षमता दिल्ली मांगें पूरी करने के लिये काफी है। इन मिलों की यहां लगभग ४००० दुकानें हैं तथा गेहूं उत्पादों का मूल्य नियंत्रित है। वे सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित मूल्य पर ही बेच सकती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने उचित मूल्य वाली २०५ दुकानें और खोली हैं परन्तु कुछ समय तक वे काम न कर सकीं क्योंकि देशी गेहूं का मूल्य इतना कम हो गया कि आयातित गेहूं की कोई मांग ही नहीं थी । अब, देशी गेहूं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण आयातित गेहूं की मांग है और जो उचित मूल्य वाली २०५ दुकानें खोली गई थीं उन्हें क्रियाशील बनाने की हमने व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, हम केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले गेहूं का संभरण करने के लिये २०० दुकानें और खोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से स्थिति का सामना हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल्य क्या है ? वह इसे भी जानना चाहते थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य प्रति क्विंटल इस प्रकार हैं : शुद्ध आटा—४१·५३ रुपये ; परिणामी आटा—३८·५५ रुपये ; मैदा—५३·५८ रुपये ; सूजी ५८·९४ रुपये ।

श्री राम सेवक यादव : क्या मंत्री महोदय का ध्यान अखबारों में छपी इस खबर की ओर गया है कि वास्तविकता यह है कि आटे की कमी है, और कारण यह बतलाया गया है कि जो गेहूं मिलों को दिया जाता है वह काले बाजार में बिक जाया करता है और वहां पिस कर जनता में नहीं बंटता ।

†**श्री अ० म० थॉमस** : ऐसी शिकायतें हैं कि गेहूं उत्पाद नियंत्रित मूल्यों से ज्यादा पर बेचे जा रहे थे । हमने तत्काल ही कार्यवाही की और अब निरीक्षण कर्मचारीवृन्द को बढ़ा दिया गया है ताकि मिलों द्वारा चलाई जाने वाली इन लगभग ४००० दुकानों द्वारा वितरण की अधिक अच्छी निगरानी हो सकेगी । एक बात जो सदन को ध्यान में रखनी चाहिये यह है कि केवल देशी गेहूं का मूल्य बढ़ा है । जहां तक देशी गेहूं से बनी वस्तुओं का संबंध है, इसमें सन्देह नहीं कि मूल्य कुछ अधिक होंगे । परन्तु जहां तक जनसंख्या के प्रभावग्रस्त वग का सम्बन्ध है, आयातित गेहूं के गेहूं उत्पादनों का वितरण करके उनके हितों की देखभाल की जाती है । यदि लोग पंजाब के उच्च मूल्य वाले गेहूं को अधिक पसन्द करें तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री कछवाय : क्या यह सही है कि जो विदेश से गेहूं आता है उसको आटा मिल वाले सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं और आटा महंगे दामों पर बेचते हैं, और आटा दो व तीन कितनी क्वालिटीज़ का बेचते हैं और किस भाव से बेचते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सही नहीं है । जहां तक गेहूं उत्पादों का सम्बन्ध है, अब ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं कि इन मिलों को दिये गये आयातित गेहूं से बनाये गये गेहूं उत्पाद अधिक मूल्यों पर बेचे जाते हैं । कुछ दिन पहले कुछ शिकायतें आई थीं परन्तु जब से निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा भी सभी उपाय किये जा चुके हैं, इस तरह की और कोई शिकायतें नहीं आई हैं कि आयातित गेहूं से बनाये गये गेहूं उत्पदों को अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है ।

श्री कछवाय : इसको हिन्दी में करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ हिन्दी में नहीं करवाया जा सकता ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या यह सही है कि देशी गेहूं के आटे के नाम पर अमरीकी गेहूं का आटा बेचा जा रहा है क्योंकि देशी गेहूं का भाव ३२ रुपये मन है ? क्या इसको रोकने का कोई उपाय किया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आयातित गेहूं से बनाये गये गेहूं उत्पाद अन्य गेहूं उत्पादों से मिला कर अधिक दामों पर बेचे जाते हैं । हमने निरीक्षण निदेशालय के कर्मचारियों की संख्या बढा ी है और यदि संभव हुआ तो हमारे ध्यान में जो मामले आयेंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री किशन पटनायक : क्या गेहूं के आटे के वितरण की जिम्मेदारी दिल्ली सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर को दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : सवाल जिम्मेदारी का नहीं है । जहां तक उचित मूल्यों वाली दुकानों का संबंध है, हम उनकी निगरानी करते हैं, हम उन्हें संभरण करते हैं तथा दिल्ली प्रशासन निस्सन्देह प्रत्यक्षतः जिम्मेदार है । केन्द्र से प्रशासन पर या प्रशासन से किसी और पर जिम्मेदारी डालने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री किशन पटनायक : क्या उनके जरिये बेचा जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस वितरण का कुछ भाग उस सहकारी समिति को सौंपा गया है ।

†**श्री अ० म० थामस** : किसी सरकारी समिति द्वारा वितरण के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है । सच तो यह है कि जो भी शिकायत हमें भेजी जाय हम उसकी जांच करने को तैयार हैं ।

श्री किशन पटनायक : उन्होंने जवाब नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कोआपरेटिव स्टोर की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : किसानों से जो गेहूं १३ या १४ रुपये मन पर खरीदा गया वह आज दिल्ली में २३ और २४ रुपये मन बिक रहा है, और आटा उससे भी महंगा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह मुनाफा किसको जा रहा है ? क्या सरकार इसका नियंत्रण कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : गेहूं की अनिवार्य अधिप्राप्ति बिल्कुल नहीं होती । सच यह है कि जब गेहूं के मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो किसान की सहायता के लिये गेहूं के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं ; गेहूं की सामान्य किस्म का मूल्य १४ रुपये तय किया गया है । खरीदने का प्रश्न तभी उठेगा जब मूल्य उससे कम हो जायेंगे । अन्यथा अनिवार्य अधिप्राप्ति का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मेरा अभिप्राय यह था कि खरीद . . . .

अध्यक्ष महोदय : १३ या १४ रुपये मन खरीदे तो लम्बा अरसा हो गया ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : जब गेहूं खरीदा गया . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्रीमती सावित्री निगम ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को आयातित गेहूं के खराब किस्म के आटे के संभरण के बारे में तथा इस संबंध में भी शिकायतें आई हैं कि आयातित गेहूं का बहुत सा आटा पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में चोरी से ले जाया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस**: खराब किस्म के बारे में हमें कोई शिकायतें नहीं मिली हैं परन्तु ऐसी शिकायतें आई हैं कि तस्कर व्यापार हो रहा है । वास्तव में यह तस्कर व्यापार का प्रश्न नहीं है क्योंकि गेहूं के उत्पाद निर्बाध रूप से ले जाये जा सकते हैं तथा गेहूं या गेहूं उत्पादनों के लाने ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा है । फिर भी हमने विभिन्न मिलों को सलाह दी है कि वे इन गेहूं उत्पादों को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से बाहर न भेजें ।

†**श्री तुलशी दास जाधव** : उचित मूल्यों वाली इन दुकानों में से कितनी सहकारी समितियों को दी गई हैं तथा कितनी व्यक्तिगत स्वामियों को ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : हमने विभिन्न सहकारी समितियों को कहा है कि वे हमारे भंडारों में से यथासंभव अधिक गेहूं लें परन्तु वास्तव में पहले प्रस्ताव आकर्षक नहीं था । जैसा मैं पहले कह चुका हूं, उचित मूल्यों वाली दुकानों को भी जो पहले खोली गई थीं, अब सक्रिय बनाना पड़ा है क्योंकि पहले गेहूं के मूल्य बहुत ही कम थे और अभी हाल ही के महीनों में देशी गेहूं का मल्य बढ़ा है । पिछले वर्ष देशनांक केवल ८९ प्रतिशत था । इसलिये यदि कुछ वृद्धि हुई है तो मैं कहूंगा कि वह भी कुछ सीमा तक शोधक है ।

अविलम्बनीय लोक महप्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(१)भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनायें

†**श्री स्वैल** (आसाम-स्वायत्तशासी जिले) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक-महत्व के वि य की ओर दिलाता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे स सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाल में हुई घटनायें ।"

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा आणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने पिछली बार १२ दिसम्बर को ला ाटीला/डूमाबाड़ी क्षेत्र और लोभाचेरा क्षेत्र में आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों ारा लगातार गोलीबारी करने के बारे में एक वक्तव्य दिया था ।

२. लाठीटीला/डूमाबाड़ी क्षेत्र में चार दिन की गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि १५ दिसम्बर को सवेरे ८ बजे से लड़ाईबंदी की जाय और दोनों क्षेत्रीय कमांडर इस समझौते की शर्तें तय करने के लिए दो घंटे बाद सूतरकंडी में मिले । तबसे लेकर अब तक इस क्षेत्र में कोई गोलीबारी होने की ख़बर नहीं मिली है । हां, एक सिपाही को पहले दिन पैर में चोट आई थी ; इस के अलावा हमारे सीमांत सैनिकों में से कोई हताहात नहीं हुआ है । लेकिन, तेरह साल की एक लड़की के गाल पर गोली छकर चली जाने से खरोंच आई और उसका इलाज कर दिया गया । सके अलावा कोई और नागरिक हताहत नहीं हुआ ।

इस "विवादग्रस्त क्षेत्र" में "तुरन्त रेखांकन" करने के हमारे प्रस्ताव के बाद १९ और २० दिसम्बर को हमारे प्रधान सर्वेक्षक (सर्वेयर जनरल) ढाका में पाकिस्तान के प्रधान सर्वेक्षक से मिल चुके हैं । हम उनकी रिपोर्ट का इन्तज़ार कर रहे हैं ।

लोभाचेरा क्षेत्र में पाकिस्तान १० दिन तक—९ से १९ दिसम्बर तक—रुक-रुक कर लगातार गोलीबारी करता रहा । मैंने १२ दिसम्बर को जो बयान दिया था, उसमें मैंने पहले ही इस क्षेत्र की पहले की घटनाओं की जानकारी दे दी है । १२ से १५ दिसम्बर तक के बीच के अरसे में कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन १५ दिसम्बर को सुबह क़रीब ११ बजे से ३ बजे तक गोली चलाना फिर शुरू हो गया । पूर्व पाकिस्तान राइफ़ल्स के सैनिक हमारे प्रदेश के भीतर गहरे जंगल से घिरे हुए एक टीले पर क़रीब दो सौ से तीन सौ गज़ तक घुस आये थे । वे हमारे गश्ती दलों पर छुटपुट तरीक़े से गोलियां चलाते रहे और उस दल पर भी, जो समीप की हमारी सीमांत चौकी पर राशन ले जा रहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहरहाल, १६ दिसम्बर को सुबह दोनों देशों के क्षेत्रीय कमांडरों की जो मीटिंग आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर डाकी नामक स्थान पर हुई थी, उसके बाद उसी दिन शाम को ४ बजे से इस क्षेत्र में भी लड़ाईबंदी हो गई है। पूर्व पाकिस्तान राईफ़ल्स इस पर सहमत हो गई है कि उसके सैनिक २४ घंटों के भीतर-भीतर सम्मिलित रूप से रेखांकित सीमा के दक्षिण से उन पहले मोर्चों पर हट जायेंगे जो ६ दिसम्बर को गोलीबारी शुरू होने से पहले बनाये गये थे। हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ है सिवाय इसके कि हमारे दो सीमांत सुरक्षा कर्मचारियों के लापता होने की रिपोर्ट है।

सुरक्षा बल के जिन दो कर्मचारियों के गुम हो जाने का समाचार था वे इस बीच अपने काम पर वापस आ गये हैं।

†**श्री स्वैल** : क्या यह सच है कि यद्यपि लोभाचेरा क्षेत्र में इस समय युद्धविराम की स्थिति है फिर भी देवकी के सामने खासी पहाड़ियों की तलहटी में लोभाचेरा क्षेत्र के निकट पाकिस्तानी सेना का फिर भारी संख्या में जमाव है और लोभाचेरा क्षेत्र के चाय बागानों के मजदूरों से बलात् खाइयां खोदने जैसे कार्य करवाये जा रहे हैं और यह पाकिस्तान के सिलहट क्षेत्र में चीनी अनुदेशकों की देख-रेख में किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या यह सही है कि १५० नागा होस्टाइल्स को पाकिस्तानी फौज में भर्ती किया गया है, और पाकिस्तानी सेना की तीन कम्पनियां सिलहट के पार आकर जमा हो गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस सवाल से क्या ताल्लुक है ? मेम्बर साहबान को चाहिए कि जो सवाल सामने हो, वे उसका ध्यान रखें और उसके मुताल्लिक ही सप्लीमेंटरीज पूछें।

श्री यशपाल सिंह : सरहद पर जो हो रहा है, मैंने उसके बारे में सवाल किया है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान इन घटनाओं द्वारा विश्व का ध्यान इस तनाव की ओर आकर्षित करना चाहते हैं ? क्या यह इन दोनों की पूर्व योजना थी या बिना योजना के ही उन्होंने ऐसा किया ? इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि उनकी यह पूर्व योजना थी या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : प्रधान मंत्री जी ने वर्षों पहले कहा था कि "पाकिस्तानन कौन सी चिड़िया है"। चूंकि पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर युद्ध विराम के बावजूद भी समझौते का उल्लंघन करके समय समय पर छेड़खानी करता है अतः इसको रोकने के लिये सैनिक कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है चाहे पाकिस्तान इसके लिये हमारे विरुद्ध शोर ही क्यों न मचाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : जहां तक मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ सका हूं . . .

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं इसे दोहराऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पाकिस्तानियों की ओर से हमला होने पर हमारी सेनाओं ने आत्मरक्षा के लिये गोलियां चलाई हैं । इस क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान और हमारे बीच विवाद चल रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर ऐसे ही टाल दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है । यह विवादग्रस्त क्षेत्र है । पाकिस्तानी भी इस क्षेत्र का दावा करते हैं । अब वहां युद्धविराम है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने हमारे क्षेत्र में उपाक्रमण किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यही तय करना है । युद्धविराम के पश्चात इस पर बातचीत की जायेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा सारी आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोली वर्षा की आड़ लेकर पाकिस्तानी उस विवादग्रस्त क्षेत्र में बस गये हैं जो भारत का है ? यदि हां, तो कितते क्षेत्र में बसे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तानी इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि वे उस क्षेत्र से वापस चले जायेंगे जो उन्होंने ले लिया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: : मैं भारतीय क्षेत्र में बसे पाकिस्तानियों के बारे में कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई पाकिस्तानी गोली की आड़ लेकर हमारे क्षेत्र में बस गया है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मुझे जानकारी नहीं है । इस क्षेत्र में लोगों का बसना अत्यन्त कठिन है ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : क्या इस बात का कोई प्रमाण या संकेत मिलता है कि इन घटनाओं का सम्बन्ध चीन की, हमें अफ्रीकी-एशियाई देशों से अलग करने की नीति से है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि इन घटनाओं का उससे कहां तक सम्बन्ध है । किन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी अधिकारीगण इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देकर हमें इस बात के लिये उत्तेजित करना चाहते ह कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बड़ी कार्यवाही कर बैठें ।

श्री स्वैल : क्या प्रधान मंत्री जी मेरे द्वारा पूछ गये प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रजी में

†अध्यक्ष महोदयः : बहुत अच्छा ।

(२) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती जिलों में पुलों की दशा

†श्री कपूर सिंह (लधियाना) : मैं परिवहन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती जिलों, विशेष रूप से कूच बिहार और जलपाइगुड़ी में पुलों की दयनीय दशा जिनमें से अधिकांश केवल लकड़ी के ढांचे मात्र रह गए हैं और प्रतिरक्षा की अविलम्बनीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्थान पर रिइनफोर्स कंकरीट के पक्के पुल बनवाने के लिये की गई कार्यवाही ।"

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, कूच, बिहार और जलपाइगुड़ी राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३२ के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें वर्तमान आपातकाल में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के अनुसार सभी कमजोर तथा कम चौड़े पुल तत्काल १८ श्रेणी वाली भार शक्ति के योग्य तथा दूसरे चरण में २० श्रेणी भार की शक्ति के योग्य बनाये जाने हैं। पश्चिम बंगाल में इस राजपथ पर कमजोर तथा कम चौड़ अधिकांश पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया गया है और उन्हें ७० श्रेणी भार की शक्ति का बनाकर २४ फुट तक चौड़ा कर दिया गया है । आशा है कि कुछ बाकी पुलों का निर्माण कार्य मार्च, १९६४ तक पूरा हो जायेगा ।

†श्री कपूर सिंह : इस विकास कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

†श्री राज बहादुर : इसके लिये मझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह सच है कि अब भी अधिकांश पुल लकड़ी के ही बने हैं ? इनके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? आपातकाल की घोषणा से पहले उन्हें पक्के पुलों में बदलने के लिये जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से पहले ही इनको पूरा करने के बारे में अब क्या कार्यक्रम है ?

†श्री राज बहादुर: निस्संदेह ये पुल लकड़ी के थे और बहुत पहले बनाये गये थे । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनमें से अधिकांश को श्रेणी ७० भार शक्ति के योग्य बनाया गया है और इन पुलों के ऊपर भारी से भारी वस्तु ले जाई जा सकती है ।

†श्री रंगा : क्या उनका केवल पुनर्वर्गीकरण ही किया गया है ?

†श्री राज बहादुर : उन्हें पूर्ण रुप से सीमेंट आदि से बनाया गया है । ये रिइनफोर्स कंकरीट के पक्के पुल हैं । कुछ स्थानों में पुल नहीं थे वहां नए पुल बनाये गये हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि ठेकेदारी सिस्टम की वजह से पुल जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी खराब होते हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार ने कितने फंड्ज़ मंजूर किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मेरे ख्याल से यह बिल्कुल ग़लत है कि ठेकेदारी सिस्टम की वजह से पुल जल्दी बनते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पुल का एक स्पेसिफिकेशन होता है; पुल की स्ट्रेंग्थ नापी जाती है और उसका इम्तहान होता है। उसके बिना कोई चीज़ एप्रूव नहीं की जा सकती है।

श्री यशपाल सिंह : कितने फंड्ज़ मंजूर किए गए हैं ?

श्री राज बहादुर : मैंने कहा है कि कई सड़कों के लिये इकट्ठे फंड्ज़ दिये गए थे। इसलिये मैं एक-साथ रकम नहीं दे सकंगा।

प्रश्नों के उत्तरों के साथ संलग्न विवरणों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री द्विवेदी, ने उस दिन कहा था कि उनको स्टेटमेंट नहीं मिला। वह इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के साथ जो वक्तव्य उपमंत्री, वित्त मंत्रालय, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, के कथनानुसार सदन-पटल पर रख दिया गया था, वह उस दिन के काग़जों में दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब बाद में काग़ज़ ग़ौर से देखे गए, तो पता चला कि वह वक्तव्य प्रश्न संख्या ६५७ के स्टेटमेंट के साथ नत्थी कर दिया गया था और उस पर लाल पेंसिल से प्रश्न-संख्या सूचित नहीं की गई थी। इस स्टेटमेंट को प्रश्न-संख्या ६६३ के पश्चात् होना चाहिये था। लेकिन वहां पर वह नहीं था और लाल पेंसिल से निशान भी नहीं लगा था, इसलिये माननीय सदस्यों को वह स्टेटमेंट नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के अलावा किसी और माननीय सदस्य को तो तकलीफ नहीं हुई।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय सदस्य, श्री भागवत झा आजाद, ने भी यह प्रश्न उठाया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : इसमें पृष्ठों की त्रुटि थी।

श्री म० ला० द्विवेदी : काग़ज़ तो था, लेकिन वह क्रम से नहीं लगा था।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहबान को मेरे ख़िलाफ़ या आफ़िस के ख़िलाफ़ कुछ कहने से पहले अपने हाथ में जो कागज़ात हों, उनको तो देख लेना चाहिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : काग़ज़ तो अच्छी तरह से देख लिए थे, लेकिन चूंकि वह स्टेटमेंट क्रम से नहीं लगा था और साधारणतः उसका पता भी नहीं चल सकता था, इसलिये न वह मुझे दिखाई दिया और न अन्य सदस्यों को।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : प्रायः ऐसे विवरणों को मैं प्रतिदिन लेता हूं तथा उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ता हूं। यह विवरण अन्य प्रश्न के साथ संलग्न था इसलिये हम इसे नहीं देख पाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल रखा गया पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर पत्र रखे जाने हैं। माननीय मंत्रीगण जरा इधर ध्यान दें।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं, संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८८ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, १९६३ की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस० टी० २२२४/६३**]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा अपनी १९ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १६ दिसम्बर, १९६३ को पारित किये गये समवाय (संशोधन विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

प्राक्कलन समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर): श्रीमान्, मैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय—नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम् के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १५४वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नगरों के पुनर्वर्गीयकरण के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : बहुत से नगरों के सरकारी कर्मचारियों और उनके संघों से इस आशय के प्रार्थनापत्र मिले हैं कि नगर प्रतिकर भत्ते (सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स) और मकान किराया भत्ते के लिये उन नगरों का दर्जा ऊंचा कर दिया जाय। पिछले महीने राज्य सभा में नागपुर का दर्जा ऊंचा करने के बारे में एक सवाल पूछा गया था। मद्रास का दर्जा ऊंचा करने के सवाल पर पिछले सप्ताह श्री मनोहरन द्वारा समर्थित संकल्प (रिजोल्यूशन) के सम्बन्ध में विचार किया गया था। उस समय मैंने बताया था कि सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

२. नगरों के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली पर फिर से विचार कर लिया गया है। इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ते देने के उद्देश्य से जनसंख्या को ही नगरों के वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाये रखना पड़ेगा जैसा कि अभी होता है। कुछ नगरों के तुलनात्मक खर्चों के सूचक अंक (इंडेक्स नम्बर्स) निकालने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन पूरे आंकड़े न मिलने के कारण परिणाम पूरा-पूरा नहीं निकल सका। अभी उन से सिर्फ साधारण रुख का ही पता चल सकता है।

३. फिर भी यह फैसला किया गया है कि मौजूदा तीन दर्जों (क्लास) अर्थात् 'ए', 'बी' और 'सी' के बजाय चार दर्जे अर्थात्, 'ए', 'बी-१', 'बी-२' और 'सी' होने चाहिये। इन दर्जों में रखे जाने के लिये जनसंख्या की सीमाएं १६, ८, ४, और १ लाख होंगी, जब कि मौजूदा सीमाएं २०, ५ और १ लाख हैं। 'ए', 'बी-२' और 'सी' दर्जों के भत्ते, की दरें क्रमशः वे ही होंगी जो अभी 'ए', 'बी' और 'सी' दर्जों की हैं नये 'बी-१' दर्जे की दर मौजूदा 'ए' और 'बी' दर्जों की दरों के बीच होंगी।

४. वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार 'बी' दर्जे का मद्रास नगर 'ए' दर्जे का नगर बन जायेगा; चार 'बी' दर्जे के नगर, अर्थात् हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर और कानपुर 'बी-१' दर्जे के नगर बन जायेंगे और तीन 'सी' दर्जे के नगर, अर्थात मदुरई, इलाहाबाद और जयपुर 'बी-२' दर्जे के नगर बन जायेंगे। 'बी' दर्जे के दूसरे नगरों का पुनर्वर्गीयकरण करके उन्हें 'बी-२' दर्जे का नगर बना दिया जायेगा, लेकिन वहां दिये जाने वाले भत्तों की दरों में कोई फेरबदल नहीं किया जायगा।

५. यह पुनर्वर्गीकरण १ जनवरी, १९६४ से लागू होगा। इस पुनर्वर्गीकरण से इन आठ नगरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के १ ½ लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ४ जनवरी, १९६४ से पहले की बनिस्बत ऊंची दरों से भत्ते मिल सकेंगे। अनुमान है कि इससे हर साल २.५९ करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के बारे में सदस्य का वक्तव्य और मंत्री द्वारा तत्संबंधी उत्तर

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर) : श्रीमान्, १० दिसम्बर, १९६३ को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खराब मक्खन से घी बनाने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया था :—

(१) घी एगमार्क मानक के अनुसार था और उन्होंने कहा :—

"फिर भी वह एगमार्क मानक के अनुसार था परन्तु मैंने निश्चय किया कि चूंकि शिकायतें आई हैं और चूंकि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक थी, अतः हमें उसे दिल्ली दुग्ध योजना के घी की भांति डिब्बों में नहीं बेचना चाहिये बल्कि हलवाइयों को बेच दिया जाना चाहिये। चूंकि वे एगमार्क घी इस्तेमाल करते हैं और यह भी उसी मानक का है, अतः उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यह भी उपभोक्ताओं को सीधे नहीं बेचा जाना चाहिये और वह नहीं बेचा गया।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उन्होंने आगे कहा कि वह घी केवल हलवाइयों को बेचा गया और उन्होंने कहा कि :—

"वस्तुतः सीमित टेण्डर के आधार पर हमने यह घी ५६२ रु० प्रति क्विन्टल की दर से लगभग २५३ टन घी प्यारे लाल लक्खी मल को बेच दिया। इसकी कीमत ३,८३,८०० रु० होगी परन्तु हम केवल २,८६,६२० रु० ही उनसे लेंगे। शेष घी हमारे पास है। यह केवल हलवाइयों को बेचा जायेगा, उपभोक्ताओं को नहीं।"

परन्तु सत्य यह है कि यह घी एगमार्क मानक के अनुसार नहीं था और इस सम्बन्ध में किसी उचित अधिकारी ने यह प्रमाणपत्र भी नहीं दिया था। जिस फर्म को यह घी बेचा गया था उसने घी उठाने से मना कर दिया यह कह कर कि घी एगमार्क मानक के अनुसार नहीं है। उस फर्म ने एक कानूनी नोटिस भी दिया है कि दिल्ली दुग्ध योजना इस घी के सम्बन्ध में एगमार्क अधिकारी से यह प्रमाणपत्र दिलवाये कि यह घी एगमार्क मानक के अनुसार है।

यह नोटिस २१-११-६३ को दी गयी थी उसके बाद उपरोक्त उत्तर सभा में दिया गया। इससे पता लगता है कि मंत्री ने गलत उत्तर दिया।

यह घी हलवाइयों को नहीं बेचा गया जिस फर्म को घी बेचा गया उसने खुदरा व्यापारियों को बेचा कि वे उपभोक्ताओं को बेचे। उस फर्म से यह नहीं कहा गया कि वह उस घी को खुदरा न बेचे।

जनता की शिकायतों के फलस्वरूप उस फर्म ने घी का और स्टाक उठाने से इन्कार कर दिया है और शेष घी दिल्ली दुग्ध योजना के पास पड़ा है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री मल्होत्रा ने बतलाया कि मैंने कहा था कि घी एगमार्क विशिष्ट विवरण के अनुसार था, जब कि वास्तविकता यह है कि वह घी खराब मक्खन से बनाया गया था और वह एगमार्क विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं था और सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं दिया।

लोक सभा की पटल पर रखे हुए विवरण में यह साफ लिखा हुआ था कि "फिर भी राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल के दो विशेषज्ञों के द्वारा यह प्रमाणित कर लिया गया था कि घी और मक्खन के सभी नमूने शुद्ध और बिना मिलावट के थे। मक्खन से बने हुए घी में तेजाबी माद्दा उससे अधिक था, जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा बेचे जाने वाले घी में साधारणतया होता है और फंफूदी खुश्बू देता है। इसलिए उन्होंने सिफारिश की है कि इसकी सारी की सारी मात्रा को तलने के लिए बड़े डिब्बों में बेच दिया जाये।" पूरक प्रश्न के उत्तर में, मैंने कहा था कि "इसके उपयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है क्योंकि वे एगमार्क घी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एगमार्क मानक के बराबर है।" वह बेचा हुआ घी का राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान के विशेषज्ञों ने विश्लेषण कर लिया था कि वह एगमार्क बनावट मानकों के बराबर था। वास्तविकता यह थी कि इसमें फंफूदी खुश्बू थी और इसका वितरण सभा की पटल पर रखे हुए विवरण में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार मेरे विवरण में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है।

श्री मल्होत्रा ने आगे कहा है कि यह अधिक प्रयोग करने वालों को बेचा गया और कि यह साधारण जनता के पास खपत के लिये नहीं पहुंचा जब कि असल बात यह है कि उस ठेकेदार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थॉमस]

ने, जिसे कि यह बेचा गया था, मन्त्रालय को एक लीगल नोटिस भेजा है कि उनको खराब गन्ध वाला घी सम्भरण किया गया और वह मनुष्यों के खाने के लिये ठीक नहीं है और ठेकेदार मानता है कि घी जनसाधारण को बेचा गया और उसको ऐसा करने को नहीं कहा गया।

मैंने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह घी लोगों द्वारा सीधा खपत के लिये दिल्ली दुग्ध योजना घी के रूप में नहीं बेचा जाना चाहिए और न ही बेचा गया । मैं ने यह भी कहा था कि यह हलवाइयों को बेचने के लिये है न कि सीधी खपत के लिये । वस्तुतः घी दिल्ली दुग्ध योजना घी के रूप में नहीं बेचा गया बल्कि थोक रूप से बेचा गया था। यह ठीक है कि ठेकेदार ने मन्त्रालय को नोटिस दिया है कि घी में बू आती थी और कि वह जनसाधारण की खपत के लिये ठीक नहीं है। परन्तु यह तो उस द्वारा लगाया गया केवल मात्र एक आरोप है । राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान के विशेषज्ञों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था कि वह घी जनसाधारण की खपत के लिये ठीक नहीं था । अतः मेरे ब्यान में कोई गलती नहीं थी।

श्री मल्होत्रा ने आगे कहा है कि मैंने कहा था कि दिल्ली दुग्ध योजना ने २.८६ लाख रुपये का घी बेचा था जब कि वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना ने अब तक १.५० लाख पये नहीं अपितु २.८६ लाख रुपये वसूल किये हैं। यह ठीक है कि श्री प्यारे लाल लखिमल ने केवल २५ १/२ मिट्रिक टन घी को ही उठाया। इसका भाव ५६२ रुपये प्रति कुइन्टल और कुल कीमत १,४२,४६७ रुपये थी। उसने बाकी घी को नहीं उठाया। यह मेरे ब्यान के अनुकूल ही है कि एक लिमिटिड टेन्डर के आधार पर हम ने यह घी श्री प्यारे लाल लखिमल को बेचा था जिसने लगभग ५६२ रुपये प्रति कुइन्टल के भाव पर लगभग २५ १/२ मिट्रिक टन घी लिया। मैं ने यह नहीं कहा कि २.८६ लाख रुपये का घी बेचा था और उस से हमको २,८६,६२० रुपये मिलेंगे। यह श्री प्यारेलाल लखिमल से किये गये करार के आधार पर किया गया जिसने कि बाकी माल को नहीं उठाया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के बारे में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : कार्यसूची के मद ४ के संबंध में एक नई बात हुई है । प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट समिति का सभापति या उसके किसी सदस्य द्वारा पेश की जानी चाहिए। श्री भागवत झा आजाद इस समिति के सदस्य नहीं हैं। अतः उनके द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना गलत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० चं० गुह को रिपोर्ट पेश करनी थी। पता नहीं वह किस कारण कहीं रुक गये । भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

---

†अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री विबुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

---

*अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा

(१) प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपाय

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** (परभणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय निर्धारित किये जाने बाद या श्री प्रकाशवीर शास्त्री का भाषण समाप्त होने के बाद यह चर्चा अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी जाये ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैंने पहले निवेदन किया था कि यह एक सरकारी प्रस्ताव होना चाहिए ताकि हम लोगों को अधिक समय मिले । २ घण्टे का समय बहुत कम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद-कार्य मंत्री इस संबंध में समायोजन करना चाहते थे । वह चाहते थे कि पहले चीनी संकट पर चर्चा हो जाये उसके बाद इस प्रस्ताव पर हो परन्तु इस प्रस्ताव के प्रस्तावक को यह बात पसंद नहीं आई । अतः यह कार्यक्रम उनकी इच्छा के अनुसार ही रखा गया । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के राज रोग ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ लिया है कि स्वराज्य आन्दोलन के समय जिन सुख और सुविधाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

*नियम १९३ के अधीन चर्चा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

की कल्पना इस देश की जनता ने की थी, धीरे-धीरे आज वह स्वप्न हो रही है, और यहां तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पौने दो सौ सालों के जिस अत्याचारी अंग्रेजी शासन को उसके जाने के बाद यह देश स्मरण नहीं करना चाहता था, आज स भ्रष्टाचार से यहां तक कहने के लिये जनता विवश हो गई है कि इस से तो पहले का शासन कहीं ज्यादा अच्छा था। भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है, यह सब मानते हैं। भ्रष्टाचार देश में के, इस बात को चाहते भी सब हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से ले कर नीचे तक छोटे से छोटे व्यक्ति यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिये। परन्तु भ्रष्टाचार क नहीं रहा है। जितना प्रयास किया जा रहा है उतना ही यह बढ़ रहा है। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर विचार करने के लिये मैं ने आज यह प्रस्ताव स्थापित किया है।

मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करने से पहले आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बढ़ते ए भयंकर भ्रष्टाचार से इस समय शासन के प्रति अविश्वास धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मुझे भय है कि बहुत शीघ्र ही कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाय कि यह ज्वालामुखी किसी और दूसरे रूप में फूट पड़े और हमारे शासन और देश दोनों को इस का दुष्परिणाम किसी दूसरे रूप में भोगने पड़े। बहुत सम्भव है कि मेरे इन शब्दों को कोई अतिशयोक्ति या अतिरंजना समझे, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे शासकों को आपसी खींचातानी और लड़ाई से फुर्सत हो और दिल्ली की एअर कंडिशन्ड कोठियों का मोह थोड़ी देर के लिये वे छोड़ सकें और विक्रमादित्य की तरह सामान्य वेश भूषा में भारत के किसानों की झोंपड़ियों के पीछे खड़े हो कर रात के समय उनकी दर्द भरी आहें सुनें तो मेरा विश्वास है कि जो स्थिति मैं आज यहां पर बतला रहा हूं, उस से भी कहीं अधिक बुरी स्थिति उन को वहां सुनने को मिलेगी।

भ्रष्टाचार को रोकने की बात चीत आज नये सिरे से हो रही है ऐसी बात नहीं है, कि भ्रष्टाचार को रोकने के यत्न पीछे भी किये जाते रहे हैं। यों तो अंग्रेजी सरकार भी भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये जिम्मेदार है। इसी से दूसरे महायुद्ध के समय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टब्लिशमेंट की स्थापना हुई। आगे चल कर सन् १९४६ में उसको एक ऐक्ट का व्यापक रूप दिया गया। इस के पश्चात् स्वतन्त्र होने पर सन् १९४८ में बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता मे एक समिति बनाई गई। इस समिति को यह देखने का काम सौंपा गया कि भ्रष्टाचार निरोध-ऐक्ट, १९४७ कैसे चल रहा है और क्या-क्या बातें उसमें और होनी चाहियें। दूसरा काम उस समिति को यह सौंपा गया कि यह देखे कि इस ऐक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने में कहां तक सफलता मिली है। दो तीन वर्ष निरन्तर प्रयास करने के बाद बख्शी टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर और जिस की पृष्ठभूमि में सन् १९५२ में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट पास किया गया और सन् १९४६ के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऐक्ट में कुछ संशोधन भी किये गये। लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि पहले जो भी ऐक्ट थे उनमें किसी विशेष व्यक्ति के कन्धों पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेन्ड आप क्या मुझ को दे देंगे। ठीक दो बजे मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को सका जवाब देने के लिये बुलाऊंगा।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका समय ब ा दिया जाये। सारे देश के अन्दर भ्रष्टाचार का सवाल है इस लिये समय ज्यादा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। जब मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बढ़ाने के लिये तैयार होता हूं तो मेम्बरों की तरफ से मुखालिफत होती है और जब मैं इस को खत्म करना चाहता हूं तो वे ज्यादा वक्त चाहते हैं। ऐसी हालत में मैं बेकस हो जाता हूं। कल मैं ने इस बात को कहा कि बहुत से मेम्बर बोलेंगे, इस वक्त भी यही बात है। इस बात को भी सामने रख लें। एक तरीका तो यह है कि आज जितना समय हम खर्च कर सकें उतना कर लें बाकी अगले सेशन में ले लिया जाये। दूसरा तरीका यह है कि आज हम इस को दो घंटे में खत्म कर दें। दूसरे सेशन को ले जाने के बारे में तो माननीय मेम्बरों ने मुखालिफत की। जब आप किसी बात को मंजूर नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं। इस लिये अब मैं दो बजे मिनिस्टर साहब को बतलाऊंगा।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, या तो आज अधिक देर तक हम लोग बैठ जायें या फिर एक दिन और बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा कर रहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये किस-किस प्रकार के प्रयास किये गये अब तक। बख्शी टेकचन्द समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी सन् १९४६ के एक्ट के सम्बन्ध में दी, उसी की पृष्ठभूमि में सन् १९५२ में कुछ नये निर्णय और लिये गये। लेकिन उन निर्णयों को भी जब व्यावहारिक होते नहीं देखा गया तो उसके पश्चात् सरकार ने कुछ फिर और नये कदम उठाने का निश्चय किया। क्योंकि बख्शी टेकचन्द कमेटी के आधार पर जो निर्णय लिये गये थे उनमें सब से बड़ी कमजोरी यह रह गई थी कि विभागों अथवा मंत्रालयों में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था जो कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा और दंड की व्यवस्था करेगा। इसके लिये सरकार को आगे चल कर फिर एक प्रशासकीय सतर्कता विभाग की स्थापना करनी पड़ी जिसका नाम था ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीज़न, और उसको यह काम सौंपा गया कि जो मंत्रालय हैं उनमें जो उनके सचिव उसकी देख रेख करेंगे और उनके नीचे छोटे कार्यालय हैं, उनमें उनके विभागाध्यक्ष। यह सतर्कता विभाग उनकी सहायता करेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस समय जब मैं आप के सामने चर्चा कर रहा हूं इस प्रकार के सतर्कता अधिकारियों की संख्या पर्याप्त है। मंत्रालयों में ३८ सतर्कता अधिकारी इस बात के लिए रखे गये हैं और जो छोटे छोटे कार्यालय हैं उनमें सतर्कता अधिकारियों की संख्या ४१७ है, और जो सरकारी कारपोरेट पबलिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें भी करीब ६५ सतर्कता अधिकारी हैं। एक वर्ष में इन पर जो व्यय आता है वह है ९७ लाख ४८ हजार रुपया। लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि सरकार इतने कदम उठाने के बाद भी निराश हो गयी और उसने एक और निर्णायक कदम उठाया और सेंट्रल इनवेस्टीगेशन ब्यूरो की स्थापना की। इस ब्यूरो को यह काम सौंपा गया कि जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या सरकारी उद्योग हैं, या जहां भी भ्रष्टाचार है उसकी गुप्त सूचना एकत्रित करे और उसके बाद कार्रवाई की जाये। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि उसके बाद भी फिर सरकार को निराशा हाथ लगी और फिर निराशा होने के पश्चात् सरकार ने आज से चार दिन पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन—केन्द्रीय सतर्कता आयोग—की घोषणा की है।

गृह मंत्री, श्री नन्दा जी, से दो-तीन दिन पहले संसद् में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपने जिस अधिकार के साथ यह घोषणा की है कि यदि दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ

[प्रकाशवीर शास्त्री]

तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से हट जाऊंगा । क्या आपने इसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आधार पर यह घोषणा की है ? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो और भी बीसियों उपाय बरतने पड़ेंगे । तो यह अन्तिम शस्त्र नहीं । इसके बाद भी बहुत सी कमियां रह जायेंगी ।

नन्दा जी ने जिस दृढ़ता के साथ यह घोषणा की है मैं उनकी इस घोषणा और दृढ़ निश्चय का हार्दिक स्वागत करता हूं, और चाहता हूं कि यह घोषणा सफल हो । पर जिस प्रकार के चक्रव्यूह में वह फंसे हुए हैं उसमें वह सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है ।

यह भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दायित्व केवल मात्र भारत के गृह मंत्री का ही नहीं है । भारत के दूसरे राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक संगठनों के संसद् के और विधान मंडलों के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार का । देश में भ्रष्टाचार बढ़े और भ्रष्टाचार के बढ़ने से देश के सारे शासन तंत्र पर उसका कुप्रभाव पड़े, इसके लिए इतिहास में हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, इसलिए सब ही इस दायित्व का अनुभव करें ।

देश में भ्रष्टाचार कहां तक बढ़ा है । इसका उदाहरण आप अगर चाहें तो जन साधारण में जा कर देख सकते हैं । किस प्रकार छोटी छोटी कहानियां इस भ्रष्टाचार की लोगों के कानों में पड़ रही हैं । कार्यालयों में जो गांधीजी की तस्वीर हाथ फैलाये हुए लगी है उसका अर्थ क्या लगाया जाता है यह आप सुनें । जो कर्मचारी पहले दो या दो सौ रुपये रिश्वत लेता था वह कहता है कि अब तो गांधी जी ने पांच या पांच सौ रुपये लेने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि वे भी पांच उंगलियां दिखा रहे हैं । कितने छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है । जो सड़क पर फेरी लगाने वाले हैं उससे पुलिस रिश्वत लेती है, अगर जमीन के कागज़ात देखने हैं तो पटवारी रिश्वत मांगता है, स्टेशन पर आपको बर्थ रिजर्व करानी है तो रिजरवेशन वाला उस रिजरवेशन के लिए रिश्वत मांगता है, अस्पताल में अगर मरीज अपने को डाक्टर को दिखाना चाहता है तो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा चपरासी पहले रिश्वत मांगता है, कचहरी में जहां मजिस्ट्रेट बैठा है उसके नीचे उसका पेशकार हाथ फैला कर रिश्वत ले रहा है, थाने में किसी चोरी, डकेती या कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आप जाएं तो मुहर्रिर को पहले रिश्वत दीजिए, पी० डबल्यू० डी० का यह हाल है कि ठेकेदार बड़े बड़े अफसरों को रिश्वत दे कर ठेके ले लेते हैं चाहे उनका टेंडर हो या न हो । इसी तरह से इम्पोर्ट और एक्स्पोर्ट के लाइसेंस लेने के लिए जो रिश्वत चलती है उसने तो इतना भंयकर रूप धारण कर लिया है कि जिसका ठिकाना ही नहीं । लेकिन इससे भी बड़ी एक और चीज़ है कि हमारे देश में कुछ सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेसेज़ ऐसे हैं जो पहले तो मिनिस्टरों के एलेक्शन में कुछ काम कर देते हैं और फिर आगे आकर चाहे जितना कमायें या इनकम टैक्स बचालें कोई नहीं पूछता । कभी अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की चेष्टा भी की जाती है तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं फंसते । पांच सात दिन से इसी तरह की एक चर्चा यहां पर चल रही है लेकिन उसके बाद भी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए था वह नहीं निकल पाया ।

मेरा अपना अनुमान है कि देश में भ्रष्टाचार पनपने के चार प्रमुख केन्द्र हैं । सबसे बड़ा केन्द्र जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है वह हैं मंत्रिगण और विधायकगण—मैं दोनों को शामिल करता हूं—, दूसरे जहां भ्रष्टाचार है वह है ऊंचे सरकार के अधिकारी और कुछ

सामान्य सरकारी छोटे कर्मचारी, तीसरा केन्द्र भ्रष्टाचार का है व्यापारिक संस्थान और बड़े बड़े व्यापारी और चौथा केन्द्र भ्रष्टाचार का है जन साधारण।

जहां तक छोटे वर्ग के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह वर्ग तो मजबूरी में भ्रष्टाचार का शिकार होता है। इस वर्ग की तो यह इच्छा है कि भ्रष्टाचार जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जिस दिन भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी उस दिन यह वर्ग अपने घरों में घी के दिये जलायेगा क्योंकि यह वर्ग समझता है कि उसी दिन देश को गांधी जी द्वारा बताया हुआ सच्चा राम राज्य मिलता है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा ने चार दिन पहले जिस विजिलेंस कमीशन की घोषणा की थी, मैं यह समझता था कि इस विजिलेंस कमीशन में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठा सकेंगे, लेकिन इस विजिलेंस कमीशन में जो सब से बड़ी कमजोरी है वह यह है कि इसको चोटी पर चलने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि संसद् के मंत्रिगण को इससे बिल्कुल अछूता रखा गया है। शायद नन्दा जी ने यह सोचा हो कि अगर इस वर्ग को छेड़ेंगे तो वह हमको भी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए उस वर्ग को छोड़ दिया गया है, फिर तो मैं कहना चाहूंगा कि उनसे सफलता अभी कोसों दूर है। अगर इस वर्ग को छोड़ दिया गया तो उनको सफलता नहीं मिल सकती। आज इसी कारण अनेक लोगों को यह कहते सुनते हैं इसमें भी कुछ नहीं होना। जैसे हमेशा काम चलता था उसी तरह काम आगे भी चलता रहेगा।

क्या मैं सचाई से पूछ सकता हूं कि कितने मंत्रियों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। जिस समय सदनमें यह चर्चा उठी तो प्रधान मंत्री और एक आध और व्यक्ति को छोड़ कर किसी ने यह नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्री स्पष्ट यह घोषणा करें कि हमारा एक भी पैसा किसी विदेशी बैंक में जमा नहीं है, और अगर होगा तो उसको राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया जायेगा। अगर सबसे जिम्मेदारी के पदों पर बैठने वाले ही सचाई से अपने धन के बारे में घोषणा नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली की नीति ही यह है कि कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं। इसलिए बैंकों में किसका कितना पैसा जमा है इसको जानकारी नहीं ली जा सकती, लेकिन जिस जनता ने उन लोगों को इन पदों पर बैठने से पहले भी देखा था और उन पदों पर बैठने के कुछ साल बाद भी जनता उनकी स्थिति देखती है, क्या उस जनता को श्री कृष्णमाचारी की यह बात संतोष दे सकेगी।

कामराज योजना के आने से यह आशा हुई थी कि कुछ त्याग की प्रवृत्ति का उदय होगा। कुछ सीमा तक तो यह ठीक है कि उससे त्याग की भावना का उदय किसी अंश में हुआ, लेकिन एक बुराई और पैदा हो गयी, वह यह कि अभी तक जो मंत्री बनते थे उनको यह निश्चय रहता था कि पांच साल तो इस गद्दी पर बैठे ही रहेंगे, और उनको जो कुछ काम करना होता था वह पांच बरस में करने की सोचते थे। लेकिन कामराज योजना से हर मंत्री के दिमाग में शंका पैदा हो गयी है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे तो आधा घंटा दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री शास्त्री को १५ मिनट तथा अन्य सदस्यों को १० मिनट देने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : आधे घंटे में वह क्या रखेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं विरोध स्वरूप अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आर्डर आर्डर ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : सुस्थापित परिपाटी का पालन होना चाहिए । परिपाटी के अनुसार प्रस्तावक को आधे घंटे का समय दिया जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्पों के संबंध में ऐसा होता है नियम १९३ के अधीन चर्चा के संबंध में ऐसा नहीं होता । अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि प्रस्तावक को १५ मिनट तथा अन्य सदस्यों को १० मिनट का समय मिलेगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावक को ३० मिनट दिये जायें और उसके बाद चर्चा अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समय नहीं बढ़ाया जायेगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : सभा का मत है कि समय बढ़ा दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है । हम दो बजे तक चर्चा करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं चर्चा कर रहा था कि कामराज प्लान से हमारे देश में जहां एक त्याग की प्रवृत्ति का उदय हुआ है, वहां इस बात का भी भय है कि उससे कहीं संग्रह की प्रवृत्ति का उदय न हो जाये, क्योंकि पहले जिस आदमी को पांच वर्ष तक निश्चिन्तता के साथ काम करने का अवसर मिलता था, इस योजना से एक संदिग्ध स्थिति उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जायेगी । मैं सर्वांश में इस बात को नहीं कहता हूं, लेकिन यह भी सम्भव है कि कुछ लोग इस प्रकार से इस का अनुचित उपयोग करें ।

एक और विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उन के बारे में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा कि सम्भव है कि उन की गुप्त प्रणाली के आधार पर किसी के बैंक बैलेंस का पता न लगाया जा सके, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारत वर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें उनके अपने नाम से, उन की पत्नियों, लड़कों या रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जितनी बड़ी बड़ी और भारी चीजों की एजेन्सियां हैं, वे बड़े बड़े मिनिस्टरों के लड़कों या उन के रिश्तेदारों के नाम से ली गई हैं ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उन में कुछ मिनिस्टरों के लड़के या रिश्तेदार सर्विस में रखे गये हैं । और उनके लड़कों ने सरकार और से ऋण ले रखा है ? यहां पर कोई मुझे से यह प्रश्न पूछ सकता है कि चूंकि वे किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए क्या उनको अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है कि वे कहीं मत्रिस कर सकें या कोई भारी चीज़ों की एजेन्सी ले सकें या और कोई इस प्रकार के शेयर वगैरह न खरीद सकें । है । परन्तु इस बारे में मेरा उत्तर यह होगा कि उसी योग्यता और प्रतिभा, बल्कि उस से अधिक योग्यता और प्रतिभा का नवयुवक तो जीवन भर लोअर डिविजन क्लार्क बन कर रह जाये और उससे कम योग्यता और कम प्रतिभा वाला नवयवक हज़ारों रुपये माहवार किसी फ़ैक्टरी या किसी सरकारी उद्योग में से ले, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ।

बगल के प्रदेश पंजाब की चर्चा है । मैं उस के बारे में विस्तार से तो इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में एनक्वायरी चल रही है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री को यह क्या गलत आदत पड़ गई है कि जितने इस प्रकार के भ्रष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका वह पग पग पर पक्ष लेते हैं और उन को ईमानदारी का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं । आप दिल्ली से छः मील आगे चल कर जहां से पंजाब आरम्भ होता है, वहां से अमृतसर तक चले जाइये और एक बच्चे से ले कर बड़े तक पूछते चले जाइये कि उस व्यक्ति के बारे में किस की क्या राय है । लेकिन इतना होने के बाद भी प्रधान मंत्री एक ओर तो जांच आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं और दूसरी ओर अपनी उसी चिट्ठी में उस व्यक्ति को पवित्रता का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं । ये सारी बातें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस तरह रोकेंगी ?

पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो अपने पर लगाये आरोपों का उत्तर दिया, वहां के सदस्य चाहते थे कि उस की कापी हम को मिले, जिस से हम को भी दास कमीशन के सामने अपना उपयुक्त बयान देने का उपयुक्त अवसर मिल सके । लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे पास कापी नहीं है, वह हम ने दास आयोग को भेज दी है । दास आयोग कहता है कि हमारे पास कापी आई ही नहीं है, । समझ में नहीं आता कि वह कापी और दूसरी चिट्ठी-पत्री बीच में ही कहां चली गई । इस दशा में देश से भ्रष्टाचार किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है ?

कल माननीय सदस्य, श्री कामत, ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था कि मंत्रियों की समस्त सम्पत्तियों के विवरण लिये जायें । मैं तो चाहूंगा कि विधेयक की शक्ल में, या किसी अन्य प्रकार से, यह भी निश्चय होना चाहिये कि वे अपनी सम्पत्तियों के विवरण तो दें, लेकिन उससे भी यह आवश्यक है कि वे इस बात का विवरण भी दें कि उनके लड़के और रिश्तेदार किस किस योग्यता के हैं, वे किस सरकारी अथवा व्यापारिक कम्पनी में सर्विस करते हैं ? किन बड़ी और भारी चीज़ों की एजेन्सियां उनके पास हैं और कितने ठेके उनके पास हैं । सबसे बड़ी इसमें बात तो यह है कि यह भी देखना चाहिये कि उन्होंने जो एजेन्सियां, ठेके या ऋण लिये हैं, वे उनके मंत्री बनने से पहले भी उनके पास थे, या मंत्री बनने के बाद उन्होंने लिए हैं ।

इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार तो यह है कि इन बातों की जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच आयोग की स्थापना की जाये । मैं इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को जानता हूं, जिन्होंने हज़ारों हज़ारों बीघे के एग्रीकल्चरल फ़ार्म खोल रखे हैं और उन्होंने अपने लड़कों के नाम से राज्य सरकारों से काफ़ी ऋण लिये थे, जिस को बाद में या तो किसी प्रकार से माफ़ करवा दिया गया है, या आधा चौथाई कर के वापस कर दिया गया है । आप बतायें कि यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है ।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि चाणक्य की तरह से मुद्राराक्षस के रचयिता के शब्दों में :

उपल शकल मेतद भेदकं गोमयानाम
वटुभिरुपहृतानां बर्हिषां स्तोम् एषः
शरणमपि समिद्भिशुष्यमाणाभि रामिः
विनमित पटलान्तं दृश्यते जीर्णं कुट्यम्

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हमारे देश का प्रधान मंत्री . . .

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है :

"यदि अध्यक्ष ठीक समझें, तो भाषणों के लिए समय निर्धारित कर सकता है ।"

अतः माननीय सदस्य आधे घंटे का समय नहीं ले सकते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप यह पहले बता दिया करें । यह हमारा दुर्भाग्य है ।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो इन बातों में चले गए ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण हिन्दी में किया जा रहा है, क्या इसलिए आप को नियम याद आ रहा है ? आज से पहले तो कोई नियम नहीं था और कई माननीय सदस्य घंटे तक बोलते रहे हैं । आज यह नियम बन गया है कि यह आध घंटा भी नहीं ले सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद ।

श्री कछवाय : इस बारे में मत ले लिया जाये ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : श्रीमान् मेरा निवेदन है कि पहले ऐसा प्रस्ताव पेश करने पर मुझे ३० मिनट का समय दिया गया था । अतः यदि उन्हें ३० मिनट का समय न दिया गया तो इससे गलत धारणा पैदा हो जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने नियम पढ़ कर सुना दिया है ।

†**श्री खाडिलकर** : मेरा निवेदन है कि उन्हें कुछ और समय दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई प्रस्ताव या संकल्प नहीं है । माननीय सदस्य चर्चा उठा रहे हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पांच मिनट जनसंघ की तरफ से दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आर्डर मान लेता हूं, लेकिन आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए । मेरी प्रार्थना यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिस का सारे देश से सम्बन्ध है । क्या लोक सभा में भी यह भ्रष्टाचार होगा कि सदस्यों को समय पूरा नहीं दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें और अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दुख के साथ दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि अगर यह चर्चा एक शृंखला के रूप में चलने दी जाती, तो शायद मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह कह सकता, और अब तक समाप्त भी हो जाती लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि .

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सब का दुर्भाग्य है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : . . . .इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलते हुए बीच बीच में इस प्रकार से बाधा पड़ी है, जिससे सारी शृंखला ही टूट गई ।

श्री नाथ पाई : विचारों की शृंखला इस तरह से नहीं टूटने देनी चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई मंत्री चाणक्य का आदर्श उपस्थित करे । मैं यह भी नहीं चाहता जैसा कभी गांधीजी ने कहा था, हमारे देश का कोई मंत्री ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेगा और फूंस की झोंपड़ी में रहेगा । चकाचौंध के इस युग में यह सम्भव भी नहीं है । परन्तु मैं यह आज अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ग़रीब भारत के एक मंत्री पर कितना भारी व्यय बैठता है, इसका निरीक्षण ज़रूर किया जाये । मेरे हाथ में पिछले पांच सालों की रिपोर्ट है कि किस मंत्री के ऊपर कितना टी० ए०, डी० ए० का भत्ता बैठता है । मैं विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में कई ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन मदों में एक वर्ष में ५५,३२१ रुपये लिए । इस के बाद उन का अपना मासिक वेतन है स्वागत भत्ता है और उस के साथ सरकार की ओर से दी जाने वाली दूसरी सुविधायें भी हैं, कोठी, कार, पानी, बिजली, डाक्टर और फ़रनीचर, यह सब मिला कर एक वर्ष में एक लाख से ऊपर व्यय बैठता है । सोचना यह है कि क्या यह ग़रीब भारत इस प्रकार के भार को वहन कर सकेगा ।

आडिटर-जेनेरल ने आज से डेढ़ साल पहले अपनी रिपोर्ट में इस आशय का एक पैराग्राफ दिया था कि ब्रिटिश-कालीन मंत्रियों पर जितना व्यय बैठता था, आज-कल के मंत्रियों पर उससे कई हजार रुपया अधिक व्यय बैठता है । मेरी विश्वस्त जानकारी है कि उस पैराग्राफ को उस रिपोर्ट से हटवा दिया गया, लेकिन फिर भी बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र में वह पैराग्राफ किसी तरह से प्रकाशित हो गया ।

दूसरे इसका सब से बड़ा प्रमाण है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि टी० ए० के लिए संसद से जितना पैसा स्वीकृत होता है, वह हर वर्ष बराबर बढ़ता चला जाता है । १९५८–५९ में ६,१९,९०० रुपये की ग्रांट सैंक्शन हुई थी, लेकिन उससे २९,२१४ रुपये ज्यादा व्यय हुआ । १९६०–६१ में भी ७,००,००० रुपये की ग्रांट सैंक्शन हुई थी और उसमें भी २,५८,००० रुपये ज्यादा व्यय हुए । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस ग़रीब भारत में अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो वह ठीक नहीं होगा । यों भी वैसे यह सरकार जो समाजवादी समाज का आदर्श उपस्थित करना चाहती है तो उसके समाजवाद का नमूना देखिये । एक मंत्री को साल का छः हजार रुपया सम्पचुअरी एलाउंस के तौर पर दिया जाता है । अर्थात् केवल चाय पिलाने के लिए छः हजार रुपया एक साल में दिया जाता है जब कि इसी संसद के एक सदस्य मेम्बर का वेतन ४८०० रुपया साल ही बैठता है । आप बतायें तो सही कि क्या यह समाजवाद है । वहां पर ही अगर संसद् के सदस्यों के साथ ही यह स्थिति है तो देश के दूसरे अन्य कर्मचारियों या कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी ? इसी तरह आप देखें कि स्टाफ

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कारों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, किस तरह से टेलीफोन का निजी काम के लिये उपयोग होता है और किस तरह से निजी बातों के लिए भी इमिजिएट काल्ज़ बुक कराई जाती है। अगर आप सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि यह जो स्थिति है यह भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ चुकी है। यदि मंत्रीगण अपने स्वच्छ चरित्र से आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो व्यास जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं "क्योंकि राजा कालस्य कारणम्" राजा अपने समय का निर्माता होता है। वह ही इसके अपराधी माने जायेंगे। अगर वह यह आदर्श उपस्थित नहीं करेगा तो स्थिति सम्मत नहीं बन पायेगी।

अपने देश के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा लालफीताशाही के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसका अक्सर जिक्र होता है। हमारे सरकारी कार्यालयों और सेक्रेटेरिएट में यह पद्धति है कि एक फाइल को पूरा चक्कर लगाने में नौ महीने लग जाते हैं और उन्नीस हाथों में से होकर उसको पास होना पड़ता है। साउथ और नार्थ ब्लाक अगर किसी माननीय सदस्य को जाने का अवसर प्राप्त हो तो वह स्वयं अनुमान लगा सकेंगे कि किस तरह से फाइलें वहां पर इकट्ठी पड़ी रहती हैं। इस संकट काल में जब कि एक एक पैसा बचाने की आवश्यकता है, तब यह भी देखा जाना चाहिये कि इतने अधिक दिनों तक ये क्यों पड़ी रहती हैं। यदि सचमुच आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि आप यह निर्णय लें कि तीन दिन से अधिक कोई भी फाइल निर्णय लेने से वंचित नहीं रह पायेगी और तीन दिन के बाद अगर कोई फाइल निर्णय के लिए रह जाएगी तो विशेष स्थिति में उसको माना जाएगा, सामान्य में नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए मंत्रियों को ही सब से पहले आदर्श उपस्थित करना होगा। वे भी अपनी मेजों पर फाइलों को ज्यादा देर तक रोक कर न रखें। आज होता यह है कि उनकी मेजों पर छः छः महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं। जब ऐसा होता है तो जो नीचे का अंडर सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री या सेक्रेट्री है उसको भी मौका मिल जाता है और जो छोटा कर्मचारी होता है उसको भी मिल जाता है कि वह फाइल को अपने पास दबाये रखे और वहां से भ्रष्टाचार का आरम्भ हो जाता है।

हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो सायंकाल के समय यहां दिल्ली के क्लबों में जा कर ब्रिज, फ्लाश इत्यादि खेलते हैं, वहां पर कुछ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी आते हैं और वे जान बूझ कर उनसे हार कर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति के ऊपर भी रोक लगनी चाहिये, कोई चैक होना चाहिये। शराब के चक्कर में भारतवर्ष की गुप्त फाइलें दूसरे देशों को जब दे दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इन जयचन्दों की जो प्रवृत्ति है, इसको कब तक आप सहन करेंगे। इससे मुक्ति पाने में भी कुछ कठोर निर्णय आपको लेने होंगे।

भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी नहीं डाली है और तय नहीं किया है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने की अन्तिम जिम्मेदारी किस की होगी। कोई बात अगर खराब हो गयी तो इसका जवाब इससे तलब किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति हम ने अभी तक नहीं बनाई है। इसका परिणाम यह है कि . . .

†**श्री हजरनवीस** : यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और यदि सभा की यही इच्छा है तो समय बढ़ा दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय का यह विनिर्णय था कि समय न बढ़ाया जाये । यह निर्णय उन्हीं को करना होगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : माननीय मंत्री जी भी तो मेम्बर हैं इस सदन के फिर चाहे वे कांग्रेस में ही क्यों न हों । उनमें कोई विशेष बात तो नहीं आ गई है । उनको क्या हक हो गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय की राय और सभा के विचार से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया जायेगा ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : समय बढ़ाने का निर्णय तो अध्यक्ष महोदय करेंगे परन्तु श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अधिक समय देना तो आप पर निर्भर करता है ।

†**श्री पा० ला० बारुपाल** (गंगानगर) : यह बहुत गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मामला है । भ्रष्टाचार की चक्की में सारा देश पिस रहा है और मेम्बरों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप सदन की इच्छा जान लीजिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका निर्णय मैं थोड़ी देर बाद करूंगा । गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और अध्यक्ष महोदय इस मामले पर विचार कर रहे हैं । संसद-कार्य मंत्री भी उनके साथ हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप द्वारा यदि अन्तर्बाधा न हुई इस प्रकार से तो मैं पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

मैं एक चर्चा यह कर रहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये एक बहुत बड़ा उपाय यह हो सकता है कि जितने भी सरकारी संगठन हैं उन में किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाय । अब तक प्रायः यह देखा गया है कि जब जब भी कोई बुराई पैदा हुई है तो किसी व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है । इसका परिणाम यह हुआ है कि हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते । उदाहरण के रूप में जब भाखरा चैम्बर में पानी भर गया तो किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया । रूरकेला चम्बल कोटा बराज में भी इसी प्रकार की घटना हुई । पीछे दिल्ली में सन् १९६२ में जो बिजली की फेल्योर हुई उस समय भी यह पता नहीं लग सका कि कौन जिम्मेदार है । पंजाब गवर्नमेंट दिल्ली वालों को कहती थी और दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब को कहती थी । आखिर में जाकर कुछ चूहों को जिम्मेदार ठहराया गया । इसी तरह से वायस आफ अमरीका का जो इतना बड़ा समझौता दूसरे देश के साथ टूटा, जिससे अपने देश की राजनीतिक प्रतिष्ठा को इतना बड़ा धक्का लगा, उसमें आज तक यह पता नहीं लग सका कि किस व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी थी ।

मैं दो साल से पी० ए० सी० का सदस्य हूं । वहां मैं देखता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी चर्चायें होती हैं लेकिन सब जाकर यहीं रुकती हैं । कोई कहता है कि जिम्मेदार अफसर रिटायर हो गया, कहीं पता लगता है कि अफसर मर गया, कहीं कहा जाता है कि अफसर पाकिस्तान चला गया । अगर कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया भी जाता है तो किसी चपरासी या पहरेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्टें दी है हर बार, हर एक रिपोर्ट में बड़ी सावधानी के साथ कुछ निर्णय दिया है कि व्यक्ति विशेषों पर जिम्मेदारी जरूर डाली जाय, इसको उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

साथ ही इसके लिये कोई सख्त निर्णय भी लिये जायें कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्टें हैं उनको सामान्य समझ कर न छोड़ दिया जाये। दूसरे वर्षों में फिर उसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावत्ति न हो इसके लिए एक कठोर जांच कमिशन का निर्णय लेना आवश्यक है।

दूसरी बात जो मैं अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरी अपनी इच्छा इस प्रकार की है कि जिस तरह से स्वेडन में ओम्बुड्समैन नाम की संस्था है जिसके सामने जाकर सब लोग अपना रोना रो सकते हैं, और उसी तरह से दूसरे देशों में, अर्थात् डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कैनाडा, वेस्ट जर्मनी और अब तो अमरीका में और इंगलैंड में भी इस बात का विचार किया जा रहा है, उसी प्रकार भारत में भी कोई संस्था बनाई जाये। भारत के ला इन्स्टीट्यूट ने कुछ विद्यार्थियों के एक संगठन को जानकारी हासिल करने के लिये वहां भेजा था। हम को इस तरह की कोई संस्था यहां भी बनानी चाहिये। जो सतर्कता आयोग है, जिसकी चर्चा इस समय बहुत है, उसमें मैंने देखा कि एक वर्ग विशेष को, जो देश के प्रशासन का सब से ऊंचा वर्ग है, अर्थात् मंत्रियों को, उसमें से छोड़ दिया गया है। स्वेडन की तरह हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिये कि उससे कोई भी न बच सके। यह बात मैं विशेष रूप से इसलिये भी कह रहा हूं कि आज हमारे देश में कोई गांधी नहीं है। वह एक ऐसा दरबार था जहां छोटा बड़ा सब जाकर अपना रोना रो सकता था और अपना दुःख कह सकता था। इसलिये आज कम से कम केन्द्र में, या राज्यों में, इस तरह की किसी संस्था का स्थापित होना आवश्यक है।

अन्त में मैं दो तीन वाक्य पढ़ कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन उपायों को भी सरकार जान ले और काम में लाये तो अच्छा है।

१. सरकार और पुलिस से भी बड़ा भय ईश्वर और धर्म का होता है इसलिये देश में जो नास्तिकता बढ़ रही है उसे रोकने के लिये शिक्षा में विशेषकर प्रारम्भिक श्रेणियों में धर्म या नैतिकता का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाये।

२. न्यायालय जो आज अधिकांश में असत्य की रक्षा के केन्द्र होते जा रहे हैं, वह सचमुच न्यायालय ही रह सकें इस पर भी कुछ गम्भीर निर्णय लिये जायें।

३. मंत्रिगण बिना पुलिस और सरकारी अधिकारियों को साथ लिये सामान्य वेषभूषा में जनता में जाकर उनके दुःख को सुनें।

४. अपने सम्बन्धी और जात बिरादरी वालों को जहां तक सम्भव हो अपने विभागों में रखने से बचें। खासतौर से ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों में जो परम्परा आज चल रही है उससे अवश्य ही बचें।

५. उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर (मंत्री या विधायक किसी रूप में भी) रह कर भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के अयोग्य घोषित किया जाये।

†**श्री मान सिंह० पू० पटेल** (मेहसाना) : इस बात से सभी सहमत हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दूसरे महायुद्ध से शुरू होकर यह हर वर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री की राय में भ्रष्टाचार मुख्यतः मंत्री वर्ग में ही है परन्तु वह जहां कहीं भी हैं इसे दूर करने के उपाय हमें सोचने हैं। माननीय गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार का अन्त करने का दृढ़ संकल्प कर रखा है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने धर्म अथवा ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ाने और नास्तिकता को दूर करना भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का साधन बताया है परन्तु मैं इससे इसलिये सहमत नहीं कि इसमें अधिक समय लगेगा जब कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। हाल ही में गृह-कार्य मंत्री ने सैन्ट्रल विजिलेंस कमिशन स्थापित करने की घोषणा की थी। श्री प्रकाशवीर शास्त्री की राय में उस कमिशन से भी कोई लाभ नहीं होगा। मुझे तो आशा है कि गृह-कार्य मंत्री जिस दृढ़ संकल्प और निश्चय से भ्रष्टाचार का अन्त करने के उपाय कर रहे हैं उसमें वह अवश्य सफल होंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार देश के कोने-कोने में फैला हुआ है और कुछ एक व्यक्ति ही इस से बचे हुए होंगे।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि प्रधान मंत्री ने एक अच्छा आदर्श स्थापित किया है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति और हम सब इसमें सहयोग दें।

यह तो असम्भव है कि भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिट जाय परन्तु काफी तक अर्थात् ५० या ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाय तो राजनैतिक जीवन कुछ सम्मानपूर्ण हो सकता अन्यथा लोग हम पर उंगली उठाते रहेंगे और हमें घृणा की दृष्टि से देखते रहेंगे जैसा कि इस समय हो रहा है।

हमारे यहां लोकतन्त्रात्मक शासन है और भ्रष्टाचार का अन्त करने में मंत्रियों को सब से आगे रहना चाहिये और उन्हें अपनी सम्पत्ति आदि घोषित करनी चाहिये। मेरा तो यह सुझाव है कि नामजदगी के फार्म में ही आस्तियों का विवरण दिया जाना चाहिये और यह प्रतिज्ञा भी उसी में रहनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इसके लिये संविधान में भी संशोधन किया जाना चाहिये। अब तो लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि जो भी राजनीतिक हैं वह बेईमान हैं।

धन कमाना कोई जुर्म नहीं है परन्तु बेईमानी से कमाना जुर्म है। संघ लोक सेवा आयोग को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी, अपने सम्बन्धियों की सम्पत्ति घोषित करें।

एक सतर्कता आयोग भी नियुक्त किया जाना चाहिये। उसकी कार्य प्रणाली बड़ी साधारण होनी चाहिये ताकि वह तेजी से काम कर सके पिछले वर्षों में सरकार के सामने ऐसे बहुत थोड़े मामले आये हैं जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप रहे हों। लोगों के मन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भय पैदा करने के लिये उपाय किए जाने चाहियें। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कोई न्यायिक प्राधिकार या आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो राजनीतिज्ञों और मंत्रियों के सार्वजनिक जीवन की छानबीन करे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी। निर्यात-आयात विभाग की भी यही दशा है। फाइलिंग क्लर्क से लेकर ग्रांटिंग क्लर्क तक सभी का स्वार्थ निहित होता है। अतः जो भी कार्यवाही की जाय उससे आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

जहां कहीं सम्भव हो, परामर्शदाता समितियां बनायी जायें। इन समितियों में गैर सरकारी व्यक्ति रखे जायें। इन समितियों में कोई निर्वाचित व्यक्ति न रखा जाये। उनके परामर्श को निष्पक्ष माना जाए।

उच्च-वर्गीय लोगों और निम्नवर्ग के लोगों के बीच वर्तमान आर्थिक असमानता को दूर करने की समस्या को भी हल किया जाए। इससे भ्रष्टाचार फैलता है।

[श्री मानासिह पृ० पटेल]

जैसा कि श्री शास्त्री ने कहा, तीसरी योजना की बाकी अवधि में यथा संभव अधिकाधिक उपाय किए जायें ताकि आगामी निर्वाचनों से पूर्व देश में यह भावना पैदा हो जाए कि यह सरकार और इस सभा के सदस्य भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कटिबद्ध हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो बहस आज देश में मुंह मुंह पर है और रोज हो रही है, जिस बहस को लोक सभा में खुद सरकार को रखना चाहिये था, वह आज आखिरी दिन किस हालत में हो रही है, यह भी एक नमूना है संसदीय दुराचार का ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह "दुराचार" का शब्द अन पार्लिया-मेंटरी है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, आप बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब कोई जरा सी बात भी लोगों की समझ में नहीं आती । नियम होने चाहिये, अच्छे नियम होने चाहिये । कहीं कहीं बुरे नियम भी होते हैं । फिर उन नियमों के ऊपर कार्रवाई ठीक तरह से होनी चाहिये । घूसखोरी होती है, पक्षपात होता है । यह सब भ्रष्टाचार में आता है । केवल घूसखोरी नहीं आती ।

अध्यक्ष महोदय : मगर मैं आप से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी नियम हैं वे हाउस के बनाये हुए हैं और हम उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं । अगर उनके अनुसार न चलें तो आप कह सकते हैं कि यह गलती है या बुराई है, यहां तक भी आप कह दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं । मगर अगर हम नियमों के अनुसार चल रहे हैं और उसको आप दुराचार कहें तो यह मुनासिब नहीं है । यह तो हाउस के ऊपर बहुत बड़ा रिफलेक्शन है । आपने कहा कि नियम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं । आपको इन नियमों को बुरा नहीं कहना चाहिये था । अगर माननीय सदस्य को नियमों से इत्तिफाक नहीं है तो उनको हक है कि वह उनको तबदील कराने की कोशिश करें, उनके खिलाफ बेशक आवाज उठायें । लेकिन जब तक वे नियम हैं और उनके मुताबिक कार्रवाई हो रही है, तो यह कहना कि यह दुराचार है, मुनासिब नहीं मालूम होता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उस बहस में नहीं पड़ंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सेवा में यह कह देना चाहता हूं कि दुराचार और करप्शन या भ्रष्टाचार, ये सब एक से ही शब्द हैं और जब हम इस प्रश्न पर विचार करें, तो सोचें कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर हो रहा है, इस लिये गंगा के निचले मैदानों पर सफाई करना अब बिल्कुल व्यर्थ है । और जब गंगोत्री पर सोच-विचार करते हैं, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे जरा नम्रता से बातें सुनें, गुस्सा मुझ पर न करें, गुस्सा करें उस हालत पर, जिस में आज हिन्दुस्तान सड़ता चला जा रहा है । मैं कोशिश करूंगा कि मेरा गुस्सा भी कुछ थमा हुआ रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि दूसरे माननीय सदस्य भी अपने गुस्से को कुछ थाम कर बैठें । अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल जायें, तो वे जरा इस बात पर ध्यान दें कि इस सड़ांध को दूर करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब मेम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि जब तक डाक्टर साहब बोलते रहें, वे अपने गुस्से को थामें रखें । (हंसी) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूं । मैं डाक्टर साहब से भी कहूंगा कि वह भी अपने आप को काबू में रखें । (हंसी) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूं । इस से मजाक नहीं आना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जितना हुक्म मैंने आपका माना है, एक आदमी को छोड़ कर सारी ज़िन्दगी में किसी और का हुक्म उतना नहीं माना है (**हंसी**) और इस लिये मेरा गुस्सा बिल्कुल रहा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आप को यकीन दिलाता हूं कि जितना मैं मशकूर हूं आप का, उतना बहुत कम आदमियों का हूं (**हंसी**) ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा नाम काट दिया ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आशा करता हूं कि यह सम्बन्ध आगे भी चलता रहेगा, हालांकि कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कोशिश तो यही रहेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया: मेरी तरफ़ से रहेगी, लेकिन मैं आप से फिर अर्ज़ किए देता हूं कि संसद् की इन प्रणालियों में मुझे जैसे आदमियों के लिये हमेशा दिल थाम कर बैठना पड़ता है । बहस नहीं हो पाती है, जिन पर कि होनी चाहिये ।

ख़ैर, मैं कह रहा था कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर है । कानून का राज्य हिन्दुस्तान में नहीं रह गया है, मनमानी का राज्य हो रहा है । नियम अच्छे नहीं हैं, या उन का पालन नहीं होता है । नतीजा होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है । उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फ़ायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नम्बर का सवाल है । पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी और नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिये ।

और भ्रष्टाचार है क्या? सिर्फ ईमान की कमी नहीं है, समझ की भी कमी है । मैं इस वक्त इस संसद् में भी इस बात की कमी पाता हूं कि लोग भ्रष्टाचार को केवल बेईमानी समझते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल बेईमानी नहीं है, यह नासमझी भी है । आज हिन्दुस्तान और दुनिया का जो स्वरूप हो गया है, उस में जब तक हम समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या अवस्था है, जिस में भ्रष्टाचार, निकलता है क्या है, भ्रष्टाचार, क्यों है, उसके कौनसे कारण हैं, कहां कहां हैं, क्या उस के रूप हैं, आदि, तब तर्क हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पायेंगे ।

इसी समझ के फेर को मैं अब भी सरकार में पूरी तरह से पाता हूं, क्योंकि जो आखिरी तरीका सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने का निकाला है, केन्द्रीय निगरानी कमीशन का, उसके क्या मानी होते हैं ? यह कि जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा, उस को केन्द्रीय निगरानी कमीशन पकड़ेगा । यह तो इलाज़ का तरीका है । जब कोई पाप हो जाये, तो उस पाप की सज़ा देने वाला तरीका है । वह तरीका अभी तक सरकार के सामने नहीं है कि भ्रष्टाचार का निरोध किया जाये, उस को रोका जाये ।

भ्रष्टाचार की एक रोक की दृष्टि होती है और एक इलाज की दृष्टि होती है । मैं सब से पहली बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय निगरानी कमीशन में रोक की दृष्टि बिल्कुल नहीं है, केवल इलाज की दृष्टि है । और यह फेल हो कर रहेगा, उस का एक बहुत बड़ा कारण मैं आप को बताए देता हूं कि जब कभी कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाएगा, तो वह छूट जाएगा और सिर्फ छोटे छोटे लोगों को सजा मिलेगी । तो इलाज की दृष्टि से भी यह तरीका बिल्कुल नाकामयाब साबित होगा और जहां तक रोक का सवाल है, गृहमंत्री के सामने उस का तो कोई तरीका ही नहीं है ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मैं आप को एक बात और बताऊं कि आज हिन्दुस्तान ने अच्छे अच्छे तरीके निकाल लिये हैं—एवजी सज़ा तक के तरीके निकाल लिए हैं । जब शराबबन्दी के मामले को ले कर लोग गिरफ्तार हुआ करते थे, तो अवैध शराब बनाने वालों ने अपने बीच में से कुछ लोगों को इसलिये निकाल दिया कि भई, पुलिस को खुश करने के लिए इतनी तादाद में तुम पकड़े जाया करो, इससे पुलिस भी खुश रहेगी, मंत्री भी खुश रहेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा । अगर बहुत ज़रूरी हुआ, तो उसी तरह की एवजी गिरफ्तारी करवा कर लोग केन्द्रीय निगरानी कमीशन को बिल्कुल थोथा और बांझ बना डालेंगे ।

उस के अलावा मैं आप का ध्यान गृह मंत्री के उस बयान की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि साधु-सन्त और जनमत तथा समाज के नेता लोग इस सवाल को ठीक कर सकते हैं और हमारे यहां जो भी भ्रष्टाचार है, उसको दूर कर सकते हैं । आखिर यह नैतिकता है क्या ? क्या यह साधु-सन्तों की चीज़ है ? आज राजनीति और आर्थिक जीवन दुनिया में इतने पेंच हो गए हैं कि यह साधु-सन्तों वाला मामला नहीं रहा है कि जा कर लोगों को कहा जाये कि तुम सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, और उस से सब मामला सच्चा और ईमानदार हो जायेगा ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो मंत्री सब से ज्यादा सच्चाई की, ईमानदारी की, जात के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वह सब से ज्यादा अपनी जात-बिरादरी के पक्षपात का काम किया करते हैं । और आप जानते हैं कि कौन मंत्री हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा जात के ख़िलाफ़ बोलता है, वही मंत्री आज जात के मामले में सब से बड़ा दोषी है, यह मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूं ।

इसलिए यह मामला समझ का है और मैं आप को समझ का एक और उदाहरण दिये देता हूं । बहुत दिनों पहले मैंने भी उस प्रस्ताव को माना था—तब मेरी समझ भी कुछ कम थी—कि पांच सौ रुपये महीने से ज्यादा न तो किसी मंत्री को, और न किसी सरकारी नौकर को, दिया जाये । लेकिन वकील, डाक्टर, व्यापारी और जागीरदार, इन सब की आमदनियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई । यह कैसे हो सकता है कि चारों तरफ़ का लालच का समुद्र बहता रहे और बीच में एक छोटा सा टापू मंत्रियों और सरकारी नौकरों के लिए बना दिया जाये—कर्तव्य का टापू । वह कर्तव्य का टापू बह कर रहेगा । लालच का समद्र उस को बहा डालेगा । इसलिए यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि यह मामला समझ का है ।

इसके अलावा मैं आप का ध्यान इस तरफ़ भी दिलाऊं कि लोग कहने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार तो जीवन का अंग बन गया है और मैं फिर बड़ी नरमी से—अभी मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे "मेरे पुराने कांग्रेसी साथियों से", लेकिन दिमाग़ नहीं कहता कि मैं उन शब्दों को कह दूं, दिमाग़ नहीं कहता, मन कभी कभी फिसल जाता है—यह अर्ज़ करूंगा कि ज़रा सोचो कि गांवों में जा कर क्या क्या प्रचार किया करते हो यह कि हमारा पेट तो भर चुका है और अगर आप उन को वोट दोगे, जिन का पेट ख़ाली है, तो वे आ कर पेट भरेंगे । गांव वाले सोचते हैं, "हां, भई, बात तो सही है, इन कांग्रेस वालों ने खा खा कर अपना पेट भर लिया है । अगर किसी और पार्टी को लायेंगे, तो वह नये सिरे से खायेगी । इसलिए अच्छा है कि इन घूसख़ोरों को ही सरकार में रहने दो" (**हंसी**) यह हंसने की बात नहीं है । यह इतनी लज्जा की बात है । मेरा

मन भी व्याकुल हो जाता है कि सारे हिन्दुस्तान को आज भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा है निर्वाचनों के ज़रिये ।

उसके अलावा एक बड़ा भारी सिद्धान्त निकाला गया । अर्थ-शास्त्रियों ने निकाला, हिन्दुस्तान के अर्थ-शास्त्रियों ने, कि जब कभी कोई पिछड़ी आर्थिक व्यवस्था तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी, माल ज्यादा होगा नहीं, पैदावार के ढंग पुराने होंगे, तो उसमें भ्रष्टाचार लाज़िमी है । मैं समझता हूं कि बात तो मैंने बिल्कुल साफ़ कह दी, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी को कम जानने वाले लोग हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे "डेवेलपिंग इकानोमी" कहा करते हैं—कहा करते हैं कि डेवेलपिंग इकानोमी में तो भ्रष्टाचार आवश्यक है । मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल झूठा सिद्धान्त है । अगर कोई आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, जाकि कमज़ोर है, पिछड़ी है, तो उस में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहना चाहिये और उस का एक नमूना मैं आपको दिये देता हूं हालांकि महात्मा गांधी का देना चाहिये, लेकिन मैं रूस का देता हूं ।

रूस ने लगातार चालीस, पचास बरस तक इस बात का ख़याल नहीं किया कि उसके यहां इस्तेमाल की चीजें कैसी बनती हैं । उस्तरा वे ऐसा बनाते थे कि जिस से दाढ़ी बनाते हुए छिल जाये । विदेशी लोग वहां की यात्रा कर के आ कर कहते थे कि रूस में तो खपत की चीजें बहुत ख़राब हैं । लेकिन वे अपनी पैदावार की बुनियाद को बना रहे थे, खपत में अपने पैसे को बरबाद नहीं कर रहे थे । इस तरह से अगर हम भी अपने देश में खपत के ऊपर जोर न दे करके पैदावार पर जोर दें तो यह भ्रष्टाचार का मामला इतना किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता था ।

सिंहासन और व्यापार के सम्बन्ध की तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचूंगा । यह सम्बन्ध जितना हिन्दुस्तान में दूषित, भ्रष्ट, बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है । व्यापार और सिंहासन का सम्बन्ध अमरीका इंग्लिस्तान, जर्मनी आदि किसी भी देश में इतना नहीं बिगड़ा जितना यहां बिगड़ा है । सिद्धान्त बतलाने के बजाय मैं आपको एक मिसाल देता हूं । नेशनल मोटर्ज़ पंजाब की एक कम्पनी है । उस कम्पनी को चलाने वाला मंत्री का बेटा है । उसे सरकार से लाइसेंस, सरकार से कोटा आदि मिल जाया करता है । वह पैसा बनाया करता है । जो सवाल उठता है तो कहा जाता है कि तुम इस उदाहरण को क्यों लाते हो, क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहीं किसी से सिफ़ारिश की है कि तुम मेरे बेटे के लिए फलां फलां लाइसेंस दो कागज़ दिखाओ कि उसने ऐसा किया है, दूसरी बातें बतलाओ । मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं । हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी बेटे या बेटी या रिश्तेदार ने तथा मेरी तो यह राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने, उनके सम्बन्धी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं । आज हिन्दुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिये कि सिंहासन पर बैठे हुए लोगों की मदद ले कर के क्या किसी ने लाभ उठाया है व्यापार में ।

और कसौटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्या मंत्रियों के बेटे नहीं हैं ? इसका पहला जवाब तो यह है कि क्या दूसरों के बेटे नहीं हैं, क्या खाली मंत्रियों के ही बेटे हैं जो हमेशा हमेशा हर तरह से फायदा उठाते रहेंगे । लेकिन आज की स्थिति में हमारी आर्थिक व्यवस्था में, एक हिस्सा है होड़ वाला, खाली होड़ वाला और दूसरा हिस्सा है, परमिट, कोटा, लाइसेंस इत्यादि वाला । इन

[डा० राम मनोहर लोहिया]

दोनों में हमें अन्तर करना सीखना चाहिये । स्वतंत्र देशों की बात कही जाती है । जर्मनी, इंग्लिस्तान वगैरह की बात कही जाती है, जो खाली होड़ वाले हैं, ज्यादातर खुला होड़ वहां होता है, सरकारें कोई दखल नहीं देती हैं । ज्यादातर वहां यही स्थिति है । अगर यहां पर मंत्रियों के बेटे ज्यादा अक्लमन्द हैं बेटियां ज्यादा अक्लमन्द हैं और इस में मैं उनके रिश्तेदारों को भी शामिल करता हूं तो उन्हें खुले व्यापार की होड़ में डाल दो और अगर तब कोई उसका लड़का तरक्की कर सके तो करे । लेकिन ऐसा कोई व्यापार जहां पर कि मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उस में मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उस ; मंत्री के दो बोड़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिये । जब तक यह सिद्धान्त आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का सम्बन्ध बिगड़ा हुआ ही रहेगा ।

अब मैं दूसरी चीज़ नौकरी के बारे में कहता हूं । कोई भी सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची नौकरियां न दिलवा सके, इसके बारे में भी कोई तरीका निकाला जाना चाहिये । आप इसका भी सबूत पूछेंगे । सबूत यह है कि उसको और तरीके से वह नौकरी नहीं मिलती है, पहले नहीं मिली थी, ज्यों ज्यों अब्बाजान तरक्की करते हैं, अपने मंत्रि पद में, त्यों त्यों बेटाजान भी तरक्की करते हैं व्यापारी महकमे में । यह इतना बड़ा सबूत है कि इस को झुटलाया नहीं जा सकता है । इस सम्बन्ध में भी कोई नियम अच्छी तरह से बना दिया जाना चाहिये ।

चन्दे का जो तरीका है, व्यापारी संस्थाओं . . . .

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : आपकी पार्टी भी तो पाती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ज़रा ज़ोर से बोलिये ।

एक माननीय सदस्य: आपकी पार्टी भी तो इसी तरह से चल रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कैसे चलेगी ? कहां चल रही है ? मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को यों मिनटों में खत्म कर दूं । लेकिन कहां चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप मेरी तरफ देखिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपकी ही तरफ देख रहा हूं । लेकिन कभी कभी . . .

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि कान भी दूसरी तरफ न रखें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या करूं । थोड़ी सी रुई मिल जाये तो कान में डाल लूं बड़ा मुश्किल हो जाता है ।

मैं अर्ज़ करूं कि मैं पुराने हिन्दुस्तान की आखिरी राजधानी का नुमाइंदा हूं पुराने हिन्दुस्तन की आखिरी राजधानी जिस को कन्नोज कहा जाता था, उसके नमाइन्दे की हैसियत से मैं इस नई राजधानी के मुताल्लिक कुछ साहित्यिक शब्द कहने वाला था लेकिन मुझे डर लग रहा है कि शायद ठीक समझें या न समझें . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अक्ल पर मुनहसर है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दिल्ली की राजधानी बहुत नई है, कुल सात आठ सौ बरस समय की सब से खूबसूरत कुलटा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि यह कभी भी विदेशी हमलावरों के सामने टिक नहीं पाई। सात आठ सौ बरस का इतिहास दिल्ली राजधानी का है, इसको मैं सन्देशा देना चाहता हूं। कन्नौज से अभी मैं आया हूं, उसको देख कर आया हूं ? वहां नाला था। उससे पानी बहा करता था, गन्दगी हट जाती थी, बरसात या बाढ़ के मौके पर लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। नाला कोई कुल छः सात सौ बरस पुराना है। वह अब नाला भर गया है, समय ने नुक्सान किया है मिट्टी आ गई है। साथ ही एक नुक्सान यह भी हुआ है कि ५०–६० आदमियों ने वहां की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, खेती करने लग गये हैं, कुछ सब्जी वगैरह बोने लग गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मामला एक तरह से हजार डेढ़ हजार बरस के रोग का है और दूसरे पंद्रह बरस के कोढ़ का है। डेढ़ हजार बरस का जो रोग है, मैं चाहता हूं कि हमेशा उसी के बारे में ज्यादा बोलूं क्योंकि यह जो पंद्रह बरस वाली चीज है यह तो केवल वक्ती चीज है। ये सब मंत्री, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आते जाते रहते हैं, करोड़ों की तादाद में आते जाते रहते हैं। मैं अपने मन को कभी कभी अच्छी तरह से रोक नहीं पाता हूं। उसका कारण यह है कि वक्त कम देते हैं वर्ना अभी तक डेढ़ हजार बरस के रोग का इलाज जोकि आज इस पंद्रह बरस के कोढ़ में जा कर जमा हुआ है, उसको मैं विस्तार से बताता कि डेढ़ हजार बरस वाला रोग क्या है ? हिन्दुस्तान एक घर नहीं है, एक हजार या दस हजार घर बन चुका है। जितनी जातियां हैं, उनमें लूट मची हुई है, उन जातियों की अपनी अपनी सोचने की दृष्टि हो गई है, उनका स्वार्थ, उनका न्याय, उनका सोचना, उनका विवेक, आदि जो हैं, इन सब का मतलब बदल गया है। सोचने और बोलने की भी दीवाल, इंसाफ और ना-इंसाफ के बीच की दीवाल, ईमानदारी और बेईमानी के बीच की दीवाल ऐसे वक्त में गिर जाया करती है, जहां अपने खुद के घर का सवाल उठता है। इन दस हजार घरों में यह हिन्दुस्तान लुटा हुआ है, पिछले डेढ़ हजार बरस से लुटा हुआ है। जब तक आप फर्क नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता है क्योंकि हर आदमी सोचेगा कि मैंने अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने बेटों आदि के लिए कुछ किया तो इसमें क्या बुरा किया, अच्छा ही किया। हमारे पुराने जो ग्रन्थ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनसे यह परम्परा चली आई है कि अगर कोई आदमी बड़ी जगह पर पहुंच जाये तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाये। अभी तक वह चीज चली आ रही है।

उसी के साथ साथ मुझ पर लांछन लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने प्रधान मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा है और बहुत कम मैं कहा करता हूं। लेकिन जब मुझ पर लांछन लगाया जाता है तो मैं वक्ती बात उठाता हूं। बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी सारी जिन्दगी में माननीय प्रधान मंत्री के बारे में एक भी वैयक्तिक बात नहीं उठाई है। हमेशा वह बात उठाई है जो शासन से सम्बन्ध रखती है। अब अगर उनके शासन काल में उनके कुटुम्ब, उनकी बिरादरी के लोग हमेशा तरक्की पाते रहें तो यह वैयक्तिक चीज नहीं, यह सार्वजनिक चीज है। इसके जवाब में कह दिया जाता है कि क्या करें अगर उनमें योग्यता है तो। अगर आप प्रधान मंत्री होते तो इस वक्त सब से ज्यादा योग्यता कहां होती। अगर वित्त मंत्री प्रधान मंत्री बन जायें, जैसे अभी भी कभी कभी सुना जाता है कि शायद हो जायें तब आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा योग्य आदमी तमिल, अयंगार हो जायेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस तरह से योग्यता की कसौटी अपने देश में चलती रहती है। जब कोई बड़ा आदमी उससे भी बड़ी जगह पर पहुंच जाता है तो उसके कुनबे के सारे लोग, बिरादरी के सारे लोग इतने लायक बन जाते हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, बाकी लोग कोई हसियत ही नहीं रखते हैं। यह जो सिलसिला है इसको हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम चार हजार या दस हजार घरों की अलग अलग दीवालों को नहीं तोड़ेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

एक तरफ तो जबर्दस्त भूख है। साढ़े ४३ करोड़ लोगों की भूख है और दूसरी तरफ पचास लाख लोग यूरोप और अमरीका की नकल करते हुए लगातार अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की सोचते हैं। आज हिन्दुस्तान का क्या आदर्श बन गया है। कुर्सी बढ़िया लो, फर्निचर बढ़िया लाओ। ये कह देते हैं कि फलां के यहां चूंकि बड़ा बढ़िया सोफा देखा है, यहां क्यों नहीं आ जाता है। जब मंत्रियों और उनकी बीवियों के मन में ऐसे विचार बनते और पनपते रहेंगे तो कहां से सदाचार कायम रह सकता है। एक तरफ साढ़े ४३ करोड़ की भूख, इतनी जबर्दस्त भूख कि उसके सामने ईमानदारी और बेईमानी कुछ नहीं रह जाती। मैं आप से कहना चाहता हूं कि दो पैसे और चार पैसे के लिये साढ़े ४३ करोड़ भी बेईमान हो सकते हैं लेकिन ५० लाख लोग लाखों करोड़ों लोगों के लिये बेईमान होते हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो अपनी तन्ख्वाह से सौगुना, पांच सौ गुना ज्यादा खर्च किया करते हैं और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि प्रशासन में लगे हुए जितने भी आदमी हैं वे कम से कम चौगुना या पांचगुना अपनी तन्ख्वाह का खर्च किया करते हैं। इस तरह से यह ज़रूरी हो गया है कि हमने पन्द्रह वर्षों में जो कोढ़ इकट्ठा किया है उस को हम धोयें। मैं इस बात को माने लेता हूं कि एक अच्छा आदमी भी आता तो भी शायद यह सिलसिला चलता। यह तो देश का दुर्भाग्य है कि यहां के बड़े आदमी, और मैं आप से कह दूं कि हुजूर को तो मैं ज्यादा जानता नहीं इसलिये शायद आप को भी शामिल कर लूं, लेकिन महात्मा गांधी को छोड़ कर मुझे अभी तक . . .

अध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं मेम्बर साहबान से दर्ख्वास्त करूंगा कि सिर्फ डाक्टर साहब के लिये ही नहीं, कई दफे बातचीत आई है स्पीकर की।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष की कोई प्रशंसा अथवा आलोचना नहीं की जानी चाहिये। प्रशंसा केवल तभी की जा सकती है, जब उनका चुनाव हो और आलोचना केवल तभी जब उन्हें पदमुक्त करने का प्रस्ताव हो। अन्यथा उनका कभी उल्लेख न किया जाये।

†**श्री त्यागी** : जब कोई न्याययुक्त विनिर्णय दिया जाये, तो उसको हमें मानना ही पड़ेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे माफ कीजियेगा। कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं की थी, फिर भी मुझे माफ कीजियेगा। तो जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों अवस्थाओं का इलाज निकालें। एक तो महान गैरबराबरी, ऐसी भूख जो लोगों को बेईमान बनाती है और दूसरी जीवन स्तर को लगातार ऊंचा करते रहने की इच्छा जो लोगों को बेईमानी बनाती है। मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा ध्यान देना। मैं सदन के सदस्यों से कह रहा हूं, आप तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा ही। महात्मा गांधी का युग तो सादगी और कर्तव्य का युग था, माननीय प्रधान मंत्री का युग फैशन और विलासिता का युग है। इन पचास लाख लोगों के लिये आप इस बात का खयाल नहीं करते कि सारे देश की सामान्य अवस्था क्या है। जब केवल योरप और अमरीका के जीवन स्तर की नकल किया करते हैं, जब इस बात को नहीं सोचते कि योरप और अमरीका ने अपना जीवन स्तर, आज वाला, हासिल किया है ३०० वर्षों की लगातार मेहनत से, अपनी खेती और कारखानों को सुधार कर, अपनी पैदावार को बढ़ा कर, बिना पैदावार बढ़ाये हुए हम उस खपत की जब नकल करते हैं तो भ्रष्टाचार आवश्यक हो जाता है। इस लिये यह दो खास बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

इसी तरह से इस सरकार ने सत्य का मुंह हिरण्य के पात्र से ढंक कर रक्खा है। मैं इस समय दो या ढाई हजार वर्ष पुराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। सत्य का मुंह सोने

†मूल अंग्रेजी में

के बरतन से ढक कर रक्खा गया है। आप देखेंगे कि जीवन की हर एक दिशा में चाहे वह सेवक हों, चाहे साधु हों, चाहे वह सुधारक हों और चाहे ऐकेडेमी वाले हों, चाहे और किसी पढाई लिखाई के दायरे में हों, जो लोग मंत्री नहीं बन सकते या बनना नहीं चाहते, उन लोगों का मुंह आधा या पूरा बन्द रखने के लिये सरकार बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया करती है। मेरा अनुमान है कि पंचवर्षीय योजना और सरकार के सम्पूर्ण खर्च में से जो कुल ५० अरब रुपया साल भर में है, यह सरकार कम से कम २ अरब रुपया केवल सत्य का मुंह सोने से ढंकने के लिये खर्च किया करती है। अगर उनका मुंह बन्द न किया गया होता, तो मेरी बातें जल्दी फैलतीं। उनके ऊपर विवाद होता, उन पर सोच विचार होता। लेकिन चारों तरफ से विचार का गला घोंट दिया जाता है क्योंकि यह लोग खुश रह जाया करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करने की तरफ आयेंगे। मैंने उनको काफी वक्त दे दिया।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम इस चर्चा में है। इचे लिये मैं अपना समय उन को देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो मेम्बर एक दूसरे को समय नहीं दे सकते। आप पांच मिनट और ले लीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया: सिर्फ उनका वक्त दे दीजिये। मैं और किसी का वक्त नहीं लूंगा। मैं श्री उटिभा और बागड़ी का वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ श्री किशन पटनायक का वक्त लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो यह पहले ही फर्ज कर लिया कि उनमें से हर एक को वक्त मिलना है।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मिलना है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब मैं आप से अर्ज करूंगा कि सच बोलना तो बहुत जरूरी होता है। उस के बिना सदाचार आ ही नहीं सकता। सच बोलना आज राजनीति में प्रायः खत्म हो रहा है। मान लीजिये मैं किसी चीज में फंस गया हूं और अगर मैं सच बोलूं तो मेरी गलती सामने आ जाये, तो अपनी गलती को छिपाने के लिये मैं झूठ बोल कर अलग हट जाना चाहता हूं। लेकिन झूठ बोलना एक फसान हो जाता है। समझ लीजिये कि मुझे वाशिंगटन पहुंचना है सोमवार को सुबह, दस बजे। लेकिन मैं देखता हूं कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं, और यह कह कर एक फसाना निकाल सकता हूं, तो झट से कह देता हूं कि मेरी वहां जाने की इच्छा थी लेकिन जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं थे। लेकिन आम तौर से जो झूठ बोला करता है वह ऐसी बात कहता है कि उसी में वह फंस जाया करता है, क्योंकि वाशिंगटन और लन्दन में कम से कम पांच घंटे का समय भेद है। जब मैं यह कह दूं कि मैं लन्दन तो सुबह पहुंच जाता तो उस के साथ मैंने यह भी कह दिया कि मैं वाशिंगटन भी उसी वक्त पर पहुंच जाता। इसी तरह से. . .

श्री त्यागी (देहरादून) : यह ठीक नहीं है। छिप कर बात करना.....

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी गड़बड़ा रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूं त्यागी जी। मैं डाक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जिस को मैंने एक तरह से नामंजूर कर दिया, तो क्या वे मुझ को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि उसको वे दूसरे ढंग से पेश करेंगे तो मैं नहीं समझूंगा। वे ऐसा न करे।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बहुत सीधा आदमी हूं और इस लिये मुझ को थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ी। यह मैं आप से कहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : जिस बात के लिये मैंने कह दिया कि इसकी इजाजत नहीं देता फिर भी....

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया

अध्यक्ष महोदय : इस बात से मेरी वरिहयत तो नहीं होगी उस फैसले से जो मने दिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी आप भी क्यों इतनी ज्यादा नौकरी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ऊपर एक और रिफलेक्शन यह है कि अगर त्यागी जी नहीं कहते तो मैं इस बात को न समझता।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक सेकेन्ड के लिये भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। मेरा बिल्कुल यह इरादा नहीं था, मैंने आप से यह पहले ही कह दिया। मैं बहुत सीधा आदमी हूं। बहुत कम मौकों पर मुझे चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन करूं क्या, यहां दबाया जो इतना जा रहा है। इस लिये अब मैं प्रधान मंत्री के बारे में...

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं कह दूं, हालांकि बारबार दखल देना ठीक नहीं है। जैसा आप ने कहा कि बहुत कम मौकों पर आप चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किया करें तो यह समझ कर के कि यह चालाकी छिपी नहीं रह सकती।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसीलिये मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, वर्ना करूं क्यों? आप ठीक समझे।

मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में आप से बतलाना चाहूंगा। यह समझ का फेर नहीं। वह जरा मेरी बात पर ध्यान दें, मुझ पर गुस्सा न करें और मेहरबानी कर के अपनी तीन मदों के खर्च को वे अच्छी तरह से समझ लें। एक तो अनुदान की मद, दूसरी कोष की मद और तीसरी निधि की मद, जो अनुदान विभिन्न मंत्रालय दिया करते हैं। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि अगर माननीय गृह मंत्री एक बार प्रधान मंत्री के घर में जा कर देख लें कि अनुदानों से क्या क्या मिला करता है तो उन्हें पता चलेगा कि जो दूसरे मंत्री और मुख्य मंत्री लोग और किसी जरिये से हासिल करते हैं वह प्रधान मंत्री कायदे के मुताबिक हासिल कर लेते हैं। इस के अलावा मैं आप से यह भी अर्ज करूं कि जो कोष हैं, जैसेकि प्रधान मंत्री का राहत कोष है, पिछले दस पन्द्रह वर्षों में उसमें डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस के लिये कोई नियम नहीं है इस लिये खाली उनकी स्वेच्छाचारिता चलती है। यह जवाब उन्होंने सदन में दिया था। ऐसे कोषों का इस्तेमाल कर के कोई भी आदमी अपनी राजकीय स्थिति को सुधार सकता है। अगर मेरे पास उस का सौवां हिस्सा भी हो जाये तो मैं आप से अदब से कहना चाहता हूं कि मेरे चारों तरफ भी न जाने कितने प्रकार के लोग होते और मेरी शक्ति भी कुछ बढ़ी हुई होती।

राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का यह जरिया है ।

इसी तरह से जनहित निधि के बारे में बताऊं । करीब डेढ़ करोड़ की यह निधि है, इस का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है, प्रधान मंत्री के घर के लोग इसके ट्रस्टी हैं, और इस संबंध में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा । इसका पता लगाया जाए कि पंजाब के मुख्य मंत्री या उनके लोगों ने किस हद तक इस निधि में पैसा जमा करने में मदद पहुंचायी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चीजें खुल जा सकती हैं ।

इसी तरह से मैं आप को एक बात और बताऊं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब तो आप को खत्म करना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मुझे पांच मिनट और दे दें, मैं खत्म करता हूं । और बाकी चीजों को छोड़ देता हूं ।

मैं आप को एक दिल का दर्द बता दूं, और वह यह कि लोक-सभा में इस के ऊपर विचार होना चाहिये था--यह आप देखें कि नियमों को किस तरह से इस्तैमाल करना है—कि हिन्दुस्तान के आगे आज एक भयंकर खतरा खड़ा हो गया है । यह संसदीय सदाचार है । हमारे दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ गया है । लेकिन लोक-सभा के इस सत्र में खाली एक तनाव की बार बार चर्चा हुई है । सरकार के हाथ में यह जरिया रहता है कि जो चाहे अखबारों को खबर देती रहे। वह उनको कत्लों की, डकैतियों की, लूट की, गोलीबारी की खबरें दे कर जनता को उत्तेजित करती है। पाकिस्तान की सरकार तो पाजी है ही, लेकिन अगर हिन्दुस्तान की सरकार भी इन सब बातों को नहीं सोचती और ऐसी संसदीय हालत पैदा कर देती है तो यह अच्छा नहीं हुआ करता । यह भी नियमों की बात है ।

इसी तरह से मैं आप से अर्ज करूंगा । मुझे तो खैर कोई ताकत की जगह पसन्द नहीं है । लेकिन अगर सममुच कोई केन्द्रीय निगरानी कमीशन—सच्चा कमीशन—बनाया जाए जिसको यह अधिकार मिले कि वह दो चेतावनियां देने के बाद उसी ढंग के भ्रष्टाचारी मामले में हर किसी को गिरफ्तार कर सके—अध्यक्ष महोदय मैं "हर किसी को" कह रहा हूं—चाहे वह मुख्य मंत्री हों या प्रधान मंत्री हो या कोई हो, और यह अख्तियार मिले कि हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को अजसरेनौ बदल सके, जो महान गैर बराबरी इस देश को खाए जा रही है उसको खत्म कर सके, खपत के ऊपर ध्यान न देकर पैदावार पर ध्यान दिया जाए, तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि दो बरस के अन्दर अन्दर में तो क्या, माननीय महाबीर त्यागी जी भी हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं लेकिन श्री नन्दा कभी भी नहीं खत्म कर सकेंगे यह बिल्कुल तै बात है ।

मैं यह भी कह दूं कि पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत २७ करोड़ आदमी सिर्फ तीन आने रोज पर रहते हैं और १६ ½ करोड़ आदमी एक रुपये औसत पर, तो मैं सात बरस के अन्दर अन्दर २७ करोड़ को तो आठ आने रोज पर ले आऊंगा और इन साढ़े १६ करोड़ को कम से कम डेढ़ या पौने दो रुपए रोज पर ले आऊंगा ।

†**श्रीमती विमला देवी** (ऐलुरु) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ श्री प्रकाशबीर शास्त्री और डा० लोहिया ने कहा है, मैं उसको नहीं समझ सकी क्योंकि वे हिन्दी में बोल रहे थे । भ्रष्टाचार पर चर्चा उठाने के लिये मैं श्री शास्त्री को बधाई देती हूं । भ्रष्टाचार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती विमला देवी]

कोई नैतिक प्रश्न नहीं है बल्कि यह प्रथम श्रेणी का राजनीतिक प्रश्न बन गया है । गांवों और कस्बों में, बसों में और ट्रेनों में, होटलों में और सिनेमाघरों में . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या अपना स्थान ग्रहण करें । मेरे पीछे इस चर्चा के लिये समय बढ़ाने की मांग की गई थी । वे लोग अब यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं ने फैसला दिया है कि इस पर हम दो बजे तक चर्चा करते रहेंगे और फिर मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने को कहूंगा ।

श्री प्र० के० देव : श्रीमान जी, प्रस्ताव यह था कि यह चर्चा अगले सत्र में जारी रखी जाये और इसलिये मंत्री महोदय से अगले सत्र में उत्तर देने को कहा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम स्पष्ट है । यह नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा है । दो घंटे और ज्यादा से ज्यादा ढाई घंटे का समय दिया जा सकता है। यदि इस पर अगले सत्र में भी चर्चा करनी हो तो नये सिरे से सूचना देनी होगी और इसी प्रस्ताव पर चर्चा जारी नहीं रह सकती । ऐसी स्थिति में हम इस पर चर्चा स्थगित ही कर सकते हैं और इस विषय पर फिर चर्चा के लिये नये सिरे से सूचना देनी होगी । माननीय सदस्य यह बात स्पष्ट रूप से समझ लें । यदि कोई माननीय सदस्य इस चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस चर्चा को स्थगित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार की क्या राय है] ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतबीस)** : मुझे यह स्वीकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"इस चर्चा को स्थगित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

२. गन्ने के मूल्य

†**अध्यक्ष महोदय** : आज सत्र का अन्तिम दिन है। मैं आशा करता हूं कि समस्त कार्रवाई पांच बजे तक समाप्त हो जायेगी । अत: मैं इस चर्चा का समय अधिक से अधिक ४-३० बजे तक बढ़ा सकता हूं । ४-३० बजे हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे और उसे पांच बजे समाप्त कर देंगे ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मैं और मेरे ४९ मित्रों ने अपने मतदाताओं के प्रति अपने कर्त्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा की सूचना दी है । यह बड़े खेद की बात है कि इस चर्चा के लिये इतना थोड़ा समय दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : (जम्मू तथा काश्मीर): खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें बुला भेजा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : माननीय मंत्री का यह कहना, कि ९ प्रतिशत चीनी वाले गन्ने का मूल्य २ रु० प्रतिमन तक बढ़ाने देने की मांग उत्तर प्रदेश और बिहार के सदस्यों ने की थी, सही नहीं है । हमारी यह मांग तो समस्त देश के लिये है । माननीय मंत्री ने यह भी कहा था कि यह २ रु० का मूल्य स्थायी नहीं होगा और इसे परिस्थितियों के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है । उन्होंने ऐसा कह कर गन्ना उत्पादकों के लिये भय पैदा कर दिया है कि यह २ रु० का निम्नतम मूल्य स्थायी नहीं है। हमारी चीनी की नीति के असफल होने का केवल यही कारण है कि वास्तव में हमारी कोई नीति नहीं है ।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए]

इस बात की बराबर मांग रही है कि चीनी सम्बन्धी एक निश्चित नीति अपनाई जाय। यह बड़े खेद की बात है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता। अतः मेरा विचार है कि चीनी निदेशालय और यदि आवश्यक हो तो कृषि मंत्रालय के कार्य की जांच करने के लिए संसद् सदस्यों की एक उच्चस्तर समिति नियुक्त की जाय।

†**सभापति महोदय** : सम्बन्धित मंत्रियों में से एक को उपस्थित होना चाहिये ।

श्री देवराव शि० पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गन्ने की कीमतों के बारे में १२ दिसम्बर, १९६३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर इस समय चर्चा शुरू है। यह एक स्पेसिफ़िक सबजेक्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का कोई भी मिनिस्टर, डिपुटी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी यहां पर हाज़िर नहीं हैं।

†**सभापति महोदय** : मैंने यही प्रश्न उठाया है।

श्री देवराव शि० पाटिल : कैबिनेट की जायंट रेस्पांसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हैल्थ मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**समापति महोदय** : इस में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने ८ सितम्बर, १९६३ को इस सभा में एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि १९६२–६३ के लिए गन्ने के निर्धारित मूल्यों में १८ नये पैसे की वृद्धि कर दी जायेगी और यह आश्चर्य की बात है कि इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। यदि कोई मंत्री यह कहता है कि १८ नये पैसे की समान वृद्धि होगी तो इसका निश्चय ही यह अर्थ है कि उन सभी कारखानों को जो १९६२–६३ में गन्ना प्राप्त करते रहे हैं १८ नये पैसे की दर से अधिक भुगतान करना चाहिये। केवल सहकारी क्षेत्र में १३ ऐसे कारखाने हैं जिन्होंने १८ नये पैसे अधिक की दर से भुगतान नहीं किया है ।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में २ रु० और १.७५ ० के निम्नतम मूल्य निर्धारित करना इसलिए आवश्यक है कि वहां पर गुड़ और खंडसारी में प्रतिस्पर्धा है। इस सभा में एक मत से यह विचार प्रकट किया गया था कि गुड़ और खंडसारी से उत्पादकों को कोई भय नहीं है,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवाजीराव शं० देशमुख]

उनसे उन्हें शीघ्र से ही उचित मूल्य मिल जाते हैं क्योंकि वहां बिचौलिये नहीं होते। यदि हम चीनी के लिए अधिक मात्रा में गन्ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उचित मूल्य देने चाहियें। जब मंत्री महोदय ने उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया तो इसके प्रति बड़ा विरोध प्रकट किया गया और मंत्री जी ने अपने आप ही यह समझ लिया कि यह विरोध केवल उक्त क्षेत्रों के लिए ही था। और यही कारण था कि १२ दिसम्बर, को उन्होंने वक्तव्य दिया कि ९ प्रतिशत चीनी वाले गन्ने पर २ रु० के एकसम मूल्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में लागू होंगे। मंत्रालय ने केवल एक ही तर्क दिया है और वह यह कि उन क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि आवश्यक है। मैं बताता हूं कि वे असाधारण परिस्थितियां क्या हैं—एक तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा २ रु० के निम्नतम मूल्य की मांग और दूसरे उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्याग्रह आंदोलन। इससे वह प्रतीत होता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री को सत्याग्रह, धमकियां, हड़ताल और मांगें अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं और इस सभा के माननीय सदस्यों की बातें नहीं। माननीय मंत्री को हमारी बातों को भी महत्व देना चाहिये, आखिर हम उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भेदभाव राष्ट्रीय एकता और आर्थिक समन्वय के हित में नहीं है। इस भेद भाव से केवल बिचौलियों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों को ही लाभ पहुंचता है। चीनी निदेशालय से अब तक भारतीय चीनी मिल संघ के हितों को ही लाभ पहुंचता रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ओर से इस निदेशालय की जांच होनी चाहिये। चीनी निदेशालय की नीति कभी भी स्थायी नहीं रही है और इसलिये भाव घटते बढ़ते रहते हैं और उत्पादन भी घटता बढ़ता रहा है। यह चीज गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं है। अतः इसकी जांच होनी चाहिये।

उदाहरणार्थ १९५१–५२ में गन्ने का निम्नतम मूल्य १.७५ रु० था। आज १९६३ में भी माननीय मंत्री ने यह धमकी दी है कि २ रु० अथवा १.७५ रु० का निम्नतम मूल्य स्थायी नहीं है। इस से यह स्पष्ट है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नीतियां तदर्थ होती हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं होते। उनकी नीतियां स्थिति के आधार पर बनाई जाती हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना उचित है जब कि यह चीज गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं है, जब कि यह राष्ट्र के हित के विरुद्ध है?

सरकार की यह नीति है कि जितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ता है वह तुरंत ही उतने प्रतिशत कटौती लागू कर देती हैं जिस से गन्ना उत्पादकों को प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ती है।

मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को चीनी के वितरण के तरीके पर जोर देना चाहिये। माना कि उपभोक्ताओं के हित महत्वपूर्ण हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गन्ना उत्पादकों के हितों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिये। यदि गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी मजदूरी के दाम नहीं मिलेंगे तो चीनी मिलों को गन्ना कहां से मिलेगा? अतः एक राज्य और दूसरे राज्य तथा एक कारखाने और दूसरे कारखाने में भेद नहीं होना चाहिये।

पिछली बार इस मामले पर चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि भारत में एक चीनी मिल ४० लाख रु० प्रति वर्ष मुनाफा कमा रही है। परन्तु अब मुझे पता लगा है कि यह ४० लाख का मुनाफा केवल ४० लाख की विनियोजित पूंजी पर कमाया जा रहा है। मेरा विचार है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिये और किसी भी कारखाने को इतना लाभ अर्जित

नहीं करने देना चाहिये। और इस लाभ का कुछ भाग गन्ना उत्पादकों को भी मिलना चाहिये। यदि आप बेलापुर चीनी मिल के संतुलन पत्र को देखें तो पता लगेगा कि उस मिल ने ४० लाख रु० की विनियोजित पूंजी पर ४३ लाख रु० के लाभ की घोषणा की है।

चीनी उत्पादन की अर्थ व्यवस्था ऐसी है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मद्रास और आंध्र प्रदेश में उत्पादन लागत में कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। हमें ज्यादा जोर इस बात पर देना है कि गन्ने के संभरण में कोई चीज रुकावट न डाले। चीनी उद्योग के लाभ को केवल एक ही तरीके से कम किया जा सकता है और वह यह कि गन्ने के निम्नतम मूल्य की घोषणा की जाय। और इसके लिये ९ प्रतिशत चीनी वाले गन्ने पर २ रु० का निम्नतम मूल्य निर्धारित करना बिल्कुल उचित है।

हमें यह भी दिखायी पड़ता है कि इस सभा में दिये प्रत्येक वक्तव्य में प्रदेश-प्रदेश में भेद-भाव किया गया है। उदाहरणार्थ जब कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने का न्यूनतम मूल्य १.७५ रु० था तब चीनी की लागत लगभग ११८ रु० थी। महाराष्ट्र में चीनी की लागत औसतन ११३ रु० थी। बाद में उत्तर प्रदेश में वह लागत ११८ से १२५ या १२७ रु० कर दी गई। तो क्या कृषि मंत्रालय यह समझता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का उपभोक्ता इतना अमीर है कि वह १२७ रु० प्रति क्विन्टल दे सकता है और महाराष्ट्र मद्रास और आन्ध्र प्रदेश का उपभोक्ता इतना गरीब है कि उसे सिर्फ ११३ रु० प्रति क्विन्टल देना पड़े?

इस सम्बन्ध में दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया था कि चीनी का दाम निश्चित करने के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नीति चाहे जो हो, गन्ने का दाम निर्धारित करने के सम्बन्ध में उसकी नीति किसान के फायदे की होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक चीनी निदेशापद गैर सरकारी चीनी उद्योग के इशारों से काम करता रहेगा तब तक इस सभा का हस्तक्षेप आवश्यक है और इसी कारण इस चर्चा की नोटिस खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को दी गई है।

अब हम इस बात को देखें कि मंत्रालय ने कितना भेदभाव बरता है। एक बार तो मंत्रालय मूल्य सम्बन्ध सूत्र (प्राइस लिन्किन्ग फार्मूला) की दुहाई देता है तो दूसरे मामले में उसे ताक पर रख देता है। आगे यह भेदभाव उस समय और स्पष्ट हो जाता है जब कि हम मंत्रालय द्वारा घोषित तथाकथित यातायात या परिवहन रियायतों पर विचार करते हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री द्वारा घोषित न्यूनतम गन्ना मूल्य को कारखाना-निकलना मूल्य बनाने की उचित मांग मंत्रालय इस आधार पर स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने परिवहन रियायतें घोषित कर दी हैं।

आगे, मंत्रालय ने समय समय पर जो वायदे इस सभा में किये हैं उनका पालन नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने इस सभा में स्पष्ट रूप से यह बचन दिया था कि जो कारखाने पहले ही एक निश्चित तारीख पर उत्पादन शुरू करेंगे उन्हें उत्पादन शुल्क में अवश्य ही छूट मिलेगी। लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई है उस में ऐसी कोई घोषणा नहीं है। दूसरी ओर चीनी निदेशक इस प्रकार काम करता है कि मंत्रालय के उच्च पदाधिकारियों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं लागू किया जा सकता। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

एक और बात यह है कि वर्तमान लाइसेंसिंग क्षमता के आधार पर ३३ लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। उसे प्राप्त करने का एक मात्र संभव उपाय यही है कि ९ प्रतिशत रिकवरी के लिए २ रु० न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाये, औसत उत्पादन के आधार पर

[श्री शिवाजीराव शं० देशमुख]

समान रूप से उत्पादन शुल्क में छूट दी जाय और प्रोत्साहन के तौर पर मिलों को अपने अधिक उत्पादन का २५ प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाये। ये कार्यवाहियां पहले सफल सिद्ध हुई हैं। लेकिन चीनी निदेशक इन में से कोई भी कार्यवाही करने से इन्कार करता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि यदि उपभोक्ताओं और किसानों के हितों का संरक्षण करना है और संपूर्ण उद्योग को प्रोत्साहन देना है तो बिना किसी भेदभाव के ९ प्रतिशत रिकवरी के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य २ रु० निर्धारित किया जाये। मंत्रालय से मेरी यह प्रार्थना है कि वह विधि मंत्रालय और महान्यायवादी से परामर्श करके हमें यह बताये कि क्या वे भी इस भेदभाव को अवैध समझते हैं या नहीं। मैं माननीय मंत्री से फिर अपील करता हूं कि वे इस उचित मांग पर विचार करें।

वर्तमान २८ लाख टन की लाइसेंसिंग क्षमता से मंत्रालय लगभग ३३ लाख टन उत्पादन करना चाहता है। उसका कहना है कि तीसरी योजना में ५ लाख टन की क्षमता शेष है। मंत्रालय की यह धारणा है कि यह ५ लाख टन की क्षमता केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में ही खपाई जा सकती है, सहकारी क्षेत्र के पास लाइसेंसशुदा क्षमता का चौथाई हिस्सा है और वह लगभग २० से ३० प्रतिशत उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। उसे इस बात की आशंका है कि यदि, उसे यह प्रस्तावित क्षमता नहीं दी गई तो उसे अवश्य ही नुकसान होगा। इसलिए मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि नये कारखाने स्थापित करने या पुराने कारखानों के विस्तार के लिए सहकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिये जाने के बाद इस ५ लाख टन के लाइसेंस में से कोई लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी बच जायेंगे।

इसलिए मैं फिर इसे दोहराता हूं कि ९ प्रतिशत रिकवरी के लिए २ रु० का न्यूनतम मूल्य दिया जाय, उत्पादन शुल्क में छूट समान रूप से औसतन उत्पादन के आधार पर दी जाये और २०-३०-५० प्रतिशत का फार्मूला समाप्त कर दिया जाये और जरूरत हो तो अधिक उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत अर्थात् २५ प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाये।

आगे यह भी मेरी धारणा है कि परिवहन सम्बन्धी ऊपरी खर्च और घोटे के साथ निर्यात करने से इस मंत्रालय को कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बेतुके ढंग से भी पूरी होने की संभावना नहीं है।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** (अनकापल्लि) : मेरे मित्र श्री शिवाजी राव देशमुख ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे सहमत हूं। माननीय मंत्री ने इस सदन में तीन वक्तव्य दिये थे। ८ सितम्बर, १९६३ को दिये गये वक्तव्य में उन्होंने १.६८ रु० फी मन के न्यूनतम मूल्य का आश्वासन दिया था, लेकिन कई कारखानों में मूल्य बढ़ाया नहीं गया है। यह कहा गया था कि जहां खांडसारी और गुड़ के बीच प्रतियोगिता है, वहां न्यूनतम मूल्य १.७५ रु० होगा लेकिन इसे अपनाया नहीं गया है। बाद में १९-११-१९६३ के वक्तव्य के अनुसार यह मूल्य २ रु० तक बढ़ा दिया गया। २०० कारखानों में से केवल ६९ कारखानों ने २ रु० प्रतिमन का मूल्य दिया है। फिर १२-१२-१९६३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों के दबाव के कारण उन क्षेत्रों में गन्ने की कीमत

---

†मूल अंग्रेजी में

२ रु० प्रति मन कर दी गई है और यदि दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह का दबाव पड़े तो कीमत बढ़ा दी जायगी। आन्ध्र सरकार ने लिखा है कि खांडसारी और गुड़ के बीच प्रतियोगिता के कारण कीमत २ रु० होनी चाहिये। लेकिन १६ कारखानों में से सिर्फ ६ कारखानों ने यह कीमत दी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह भेदभाव क्यों है। मंत्रालय ने अपनी नीतियों को कार्यान्वित नहीं किया है। मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्री को लिखा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। पचास सदस्यों के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन भी भेजा था लेकिन उसकी भी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

मैं नहीं जानता कि मंत्री द्वारा यहां घोषित नीतियां वहां निदेशालय कार्यान्वित करता है या नहीं। जब मंत्री कहते हैं कि मूल्य में पिछले वर्षों की अपेक्षा १८ न० पैसे की वृद्धि होनी चाहिये तो यह रिकबरी फार्मूला पर विचार करता है। गुड़-खांडसारी प्रतियोगिता वाले क्षेत्र में उनके कथनानुसार न्यूनतम मूल्य १.७५ रु० होना चाहिये लेकिन वहां भी रिकवरी फार्मूला पेश किया जाता है। इसलिए इस बात की पूरी पूरी जांच होनी चाहिये कि नीतियों को क्यों कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

गन्ने की उत्पादन लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसको हिसाब में न लेते हुए बहुत ही कम कीमत निर्धारित की गई है। खेतों से कारखाने तक ले जाये गये गन्ने के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट भी कम कर दी गई है। ये बातें ठीक की जानी चाहियें ताकि उत्पादन २८.६ मीट्रिक टन से ३३ लाख टन तक पहुंच जाये। रिकवरी फार्मूला के बावजूद सारे कारखाने समान रूप से २ रु० की कीमत चुकायें। उनका कहना है कि इस सूत्र से किसानों को ज्यादा कीमतें मिलेंगी लेकिन वास्तव में कीमतें घटा दी गई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखानों के लिए निर्धारित कीमत की तुलना में वह कम दर पर निर्धारित की गई है। उत्पादन के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और तभी उत्पादन इस मंत्रालय की आशा के अनुसार बढ़ सकता है।

उत्तरी प्रदेश के कारखानों को जो मूल्य दिया जाता है वह दक्षिणी प्रदेश के कारखानों को दिये जाने वाले मूल्य से अधिक है। यह दर सभी के लिए एक समान होना चाहिये। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में फी थैले का दाम १२५–१२८ रु० है जब कि दक्षिणी प्रदेश में वह ११५–११७ रु० है। मैं जानना जाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री श्री स० का० पाटिल के बचन के बावजूद ऐसा क्यों है। उनका कहना कि मूल्य निर्धारित करने में तटकर आयोग की दरों का अनुसरण किया गया है। उसने अपना निर्णय १९५९ में दिया है और अब स्थिति बहुत बदल गई है और ४ साल बाद वही दर लागू करना हास्यस्पद है। दक्षिणी प्रदेश के कारखानों को भी छूट का फायदा दिया जाना चाहिये ताकि वहां भी अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले।

***सभापति महोदय:** श्री राम सेवक यादव। मैं माननीय सदस्यों से अपने भाषणों के लिए अधिक समय न लेने के लिये प्रार्थना करता हूं। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि सदस्य एक बात को बार बार न दोहरायें तो सबको बोलने का अवसर मिल सकता है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने १२ दिसम्बर, १९६३ को गन्ने के मूल्य बढ़ाने के सिलसिले में जो घोषणा की, सब से पहले मैं उस की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने उस समय दो बातें कहीं—एक तो यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां गन्ने का मूल्य दो रुपये मन से कम है, वह मूल्य दो रुपये किया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : उस के लिए माननीय सदस्य को बधाई देनी चाहिये ।

श्री राम सेवक यादव : उस के लिए बधाई । और ज्यादा बधाई देने का मन चाहता है, अगर दूसरी बात को भी मंत्री महोदय पूरा कर दें । मैं ने उस दिन भी यह प्रश्न उठाया था, लेकिन उस की सफ़ाई नहीं हुई । प्रश्न यह था कि जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वे उस तारीख़ से बढ़ेंगे, जिस दिन वह घोषणा हुई या जिस दिन से चीनी मिलें चलीं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : वह मूल्य रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव : बहुत सुन्दर । मंत्री महोदय ने इसे साफ़ कर दिया । इस लिए मैं उन का शुक्रगुज़ार हूं और उन को बधाई देता हूं ।

इस सिलसिले में एक दूसरी बात रह जाती है । यह सदन, सरकार और मंत्री महोदय, सब चाहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़ाया जाये और चीनी का उत्पादन तभी बढ़ेगा, जब कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाये । बिना गन्ने के अगर चीनी मिलें चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहें तो वह सम्भव नहीं है । हम इसलिए जो प्रश्न सब से पहले खाद्य मंत्री महोदय के दिमाग़ में लाना चाहिए, वह यह है कि गन्ना-उत्पादक को यह विश्वास हो कि दामों के सम्बन्ध में उस को न्याय मिलेगा, उस का लागत-खर्च मिलेगा और कुछ मुनाफा भी मिलेगा, जिस से वह अपने जीवन को चला सके । अगर मंत्री महोदय इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो चाहे वह कितनी अभिलाषा रखें कि चीनी का उत्पादन बढ़ जाये, उस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है ।

उस घोषणा में मंत्री महोदय ने डर की यह तलवार भी लटका दी कि दो रुपये मन का भाव केवल इस समय के लिए किया जाता है, लेकिन यह हरगिज न समझा जाये कि वह भाव आगे भी रहेगा, उसकी घोषणा शायद बाद में होगी । इस घोषणा के कारण हमेशा यह भय रहेगा कि दाम गिर भी सकता है और उस का असर अगले वर्ष में गन्ने के क्षेत्र पर और उसकी तरक्की पर पड़ सकता है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस तरह उन्होंने यह घोषणा की है कि यह दो रुपये की बढ़ोतरी शुरू मौसम से है, जब से चीनी मिलें चलीं, उसी तरह उनको यह भी साफ़ घोषणा करनी चाहिये कि अगले वर्ष भी गन्ने का दाम दो रुपये मन से नीचे नहीं जायेगा, वह बढ़ भले ही जाये । अगर यह घोषणा साफ़ तौर से की जाती है, तो आने वाले वर्ष में चीनी के उत्पादन में वृद्धि लाज़िमी तौर से हो जायेगी ।

मैं आप के ज़रिये मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने और चीनी के दाम को ले कर इस देश में एक पुराना सिद्धान्त चला आ रहा था । जब हम गन्ने के दाम की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ से या कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों को तरफ से बड़ी आसानी से एक तर्क यह दिया जाता है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया जायेगा, तो चीनी का दाम अपने आप बढ़ जायेगा । लेकिन मैं यह नहीं चाहता । जब मैं गन्ने के दाम को बढ़ाने की बात करता हूं, तो उस के साथ साथ मैं एक नियम और सिद्धान्त भी देना चाहता हूं कि चीनी और गन्ने के दामों में एक निस्बत और एक रिश्ता कायम किया जाये--वह रिश्ता इस देश में चल भी रहा था--और वह यह था कि जितने रुपये मन चीनी बिकती थी, उतने ही आने गन्ना बिकता था । इस से गन्ने के उत्पादकों को भी नुक़सान नहीं होता था, चीनी बनाने वाले कारखानों को भी इस से कभी नुक़सान नहीं हुआ और चीनी की खपत करने वालों, उपभोक्ताओं, को भी कभी नुक़सान नहीं हुआ ।

उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि १९४८–४९ के करीब इस देश में गन्ने का भाव पौने दो रुपये मन, दो रुपये मन, सवा दो रुपये मन और ढाई रुपये मन भी चला और कंट्रोल से चीनी नौ आने सेर तक बिकी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन उस के बाद हम ने देखा कि १९५१–५२ में चीनी का दाम लगातार चढ़ता गया और गन्ने का दाम बराबर गिरता गया । कारखानेदारों की तरफ से यह दलील दी जा सकती है कि कई तरह के टैक्स बढ़ गए हैं, जिस से चीनी का दाम बढ़ाना लाज़िमी हो गया है । यह मैं उन सालों का जिक्र कर रहा हूं, जब शीरे, मैली और खोई आदि बाई-प्राडक्ट्स का इस्तेमाल चीनी मिलें किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर पाती थीं और इस कारण ये चीजें बहुत सस्ती बिकती थीं । लेकिन अब तो इन बाई–प्राडक्ट्स से वे काफ़ी मुनाफ़ा कमा रही हैं और इस लिए वह तर्क भी नहीं चल सकता है ।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसान गन्ने का दाम सहर्ष दो रुपये मन लेने के लिये तैयार है । उसे कोई शिकायत नहीं है । लेकिन दूसरा पहलू है चीनी के दाम का । चीनी का दाम ३२ रुपये मन से अधिक न हो । अगर कर का तर्क दिया जाये, तो मैं एक और सिद्धान्त बता दूं । मैं मंत्री महोदय और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ों के मूल्य निर्धारित करते समय यह सिद्धान्त माना जाना चाहिए कि किसान के कच्चे माल के दाम, लागत-ख़र्च और उस पर मुनाफ़ा दे कर ही मूल्य निर्धारित किये जायें । इसी तरह से कारख़ाने में बनी चीजों के दाम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि उपभोक्ताओं के पास चीजें सस्ते दामों पर पहुंचें और इसलिये उन चीजों के दाम लागत-ख़र्च के डेढ़ गुने से आगे न बढ़ने पायें । अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाये, तो यह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है । कर का नियम भी इन्हीं दो नियमों में बंध जाये, इस से बाहर न जाये ।

जहां तक रिकवरी वाले सिद्धान्त का प्रश्न है, इस से तो हमेशा किसान को नुक्सान होगा । इस से किसान को तो फ़ायदा होने वाला ही नहीं है । रिकवरी के सिद्धान्त से तो केवल-मिल-मालिकों को ही फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह का इस देश में वातावरण है—भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार शुरू से लेकर आखिर तक पहुंच गया है—उस में इस बात का अन्दाज़ कौन लगाता है कि कारख़ानों में रिकवरी क्या होती है, किस तरह का गन्ना जाता है, कौन पंच होंगे, किस की देख-रेख में यह कार्य होगा, ये सब ऐसी बातें हैं, जिन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है और नतीजा यह होता है कि किसान हमेशा नुक्सान उठाता है ।

जब से रिकवरी का सिद्धान्त चला, जो आंकड़े सामने आते हैं, उन से मालूम होता है कि रिकवरी कम होती है और किसानों को नुक्सान होता है । लेकिन जब यह सिद्धान्त नहीं था और चीनी का दाम कायदे-कानून के हिसाब से आज के मुकाबले में कम था और गन्ने का दाम आज के मुकाबले में ज्यादा था, तब भी चीनी मिलें फ़ायदा उठाती थीं, तब भी उन का नुक्सान नहीं होता था । रिकवरी का सिद्धान्त लागू होने के बाद किसानों को संतोष दिलाने के लिए कहा जाता है कि जब रिकवरी ज्यादा बढ़ जायेगी, तो उन को उसका मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन असल में रिकवरी बढ़ नहीं पाती है, उस का लाभ नहीं होता है ।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अगर यह सिद्धान्त चलेगा कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपये मन चीनी, तो उस से किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि जब गन्ने के क्षेत्र में उस की पैदावार बढ़ेगी, उस का वजन बढ़ेगा, तो उस से किसानों

[राम सेवक यादव]

को भी मुनाफ़ा मिलेगा। इस से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। उस सिद्धान्त को लागू करना चाहिए, क्योंकि वह सिद्धान्त सार्वजनिक हित में है। जब कि रिकवरी वाला सिद्धान्त सार्वजनिक हित में, किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में न हो कर केवल मिल-मालिकों के हित में है।

६ सितम्बर, १९६३ को मंत्री महोदय ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के बारे में घोषणा की थी और उस में से उन्होंने पचास, पचास प्रतिशत और बीस प्रतिशत एक्साइज़ की तीन तरह की छूट का एलान किया था और यह भी कहा था कि उस छूट का लाभ किसान को मिलेगा। कोल्हू और खांडसारी के जो कुटीर-उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उन को पनपाने का व्रत हम ने लिया है—कम से कम उस सरकार ने तो अवश्य लिया है, जो अपने आप को समाजवादी कहती है। उन पर रोक लगाना और प्रतिबन्ध लगाना समाजवादी सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है। उस एलान में मंत्री महोदय ने साफ़ घोषणा की थी कि उनका इरादा कोल्हू पर रोक लगाने का नहीं है. क्योंकि लोग उसका विरोध करेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का हवाला दिया था। लेकिन होता क्या है? अभी आज मुझे मालूम हुआ कि उस कानून के तहत जो अधिकार केन्द्रीय सरकार ने डेलीगेट किये थे, उनका उपयोग कर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी घोषणायें की हैं, कुछ ऐसे कानून बना डाले हैं, जो कि घोषित नीति के बिल्कुल विपरीत हैं। फ़ैक्टरी के अलावा जो उन का क्षेत्र होता है, जहां भी गन्ना है, उस को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। मैं मिसाल देना चाहता हूं। फर्रुखाबाद में एक न्यूली चीनी मिल है। उस के अन्तर्गत ऐसे इलाके भी शामिल कर दिये गए हैं, कि जहां पहले ढाई तीन लाख मन गन्ना मिल को जाता था, अब पचास-लाख मन गन्ना इस इलाके का उस के अन्तर्गत दे दिया गया है। कौन कौन से गांव हैं, यह क्लीयर नहीं है। जान बूझ कर ऐसा किया गया है ताकि कोई जिम्मेदार न बन जाए। इस तरह से वहां पर एक प्रकार से गुड़ खण्डसारी आदि पर प्रतिबन्ध लग गया है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। यह खुला खण्डसारी पर प्रतिबन्ध है, जब कि मंत्री महोदय ने साफ घोषणा की है कि उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा। यह सारी चीज़ चल रही है। इस तरह से खण्डसारी पर जो प्रतिबन्ध लग गया है, गुड़ पर लग गया है, इसको हटाया जाए।

यह घोषणा भी की गई है कि गुड़ बाहर नहीं भेजा जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि इसका लाभ कौन लोग उठा रहे हैं। और कौन लोग उठायेंगे। इसका नतीजा क्या क्या हो रहा है, इस को आप भी देखें। उसके दाम गिर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिल जाता है तो भी आप गलती पर हैं। सस्ते गुड़ का फ़ायदा बीच का आदमी उठा लेता है। वह स्टाक करेगा और जब फिर दरवाज़ा खुल जाएगा और बाहर भेजने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाएगा तो वह बढ़े हुए दामों पर इसको बेचेगा। इसका नतीजा यह होगा कि न तो उपभोक्ता को फायदा इसका मिलेगा और न ही किसान को, बीच वाला आदमी ही इसका लाभ उठायेगा। उपभोक्ता भी इस में पिसता है और पैदा करने वाला भी। बिना किसी मेहनत के सट्टेबाज़ी के ज़रिये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है, और एक नकली लड़ाई खड़ी कर दी जाती है किसान और उपभोक्ता के बीच में। उपभोक्ता को कह दिया जाता है कि किसान दाम बढ़ा रहा है और किसान को बता दिया जाता है कि उपभोक्ता हल्ला मचा रहा है, इसलिये इस तरह से जो बीच का आदमी होता है, दर्म्यान का आदमी होता है, जो कोई मेहनत नहीं करता

है, जो किसान को भी चूसता है और उपभोक्ता को भी, वह ही इसका लाभ उठाता है। इस प्रतिबन्ध से बहुत नुक्सान हुआ है। भ्रष्टाचार भी बहुत फैल गया है। आप उत्तर प्रदेश की सरहद पर जायें जहां पर सत्याग्रह चल रहा है। वह अगर लायेंगे तो पकड़े जायेंगे, जेल में बन्द कर दिये जायेंगे। लेकिन सरकारी मशीनरी, पुलिस, सप्लाई विभाग ये सब मिल कर के साहूकारों के जरिये उत्तर प्रदेश का गुड़ पंजाब में भी जाने देते हैं, दिल्ली भी वह आता है, राजस्थान में भी जाता है, मध्य प्रदेश में भी जाता है। इस तरह से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसे सरकार रोक नहीं पा रही है। यमुना के बीचे बहुत सा पानी बह गया है। काफी बातें मंत्री महोदय के सामने आ चुकी हैं। गवर्नमेंट को तथा उनको चाहिये कि वे इन से सबक लें। इस तरह का जो प्रतिबन्ध है, उसको समाप्त किया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सारी चीजों के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा अपने जबाब में करें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : चीनी और ऊख हमारे देश के लिये आज से नहीं बहुत दिनों से कठिन समस्या बनी हुई है। सरकार ज्यों ज्यों इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है, त्यों त्यों यह समस्या उलझती जाती है। पता नहीं किस का दोष है, काश्तकार का है, मिल मालिक का है। सरकार की मशीनरी भी . . .

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : खाने वाले का दोष है।

श्री सिंहासन सिंह : उपभोक्ता तो बनी बनाई चीज पाता है, उसका दोष नहीं हो सकता है। सरकार का या किसान का या मिल मालिक का ही हो सकता है। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले अगर छोटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले और इससे समझा जाय कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ सकता है तो यह गुड़ कंट्रोल और यह जो चीनी के आवागमन पर कंट्रोल रखा गया है कि उत्तर प्रदेश आदि से बाहर नहीं जा सकता है, तो यह तो बड़ी मिलों के हित में ही लगाया गया है, चीनी पैदा ज्यादा मात्रा में करने के लिये लगाया गया है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि गुड़ भर भर कर बाहर जाता है, कोई रोक नहीं है। गवर्नमेंट जो उसकी वर्तमान मशीनरी है, उससे मेरे ख्याल में इस पर रोक लगाने में सफल नहीं हो सकेगी। गुड़ को बाहर जाने से रोक देने का परिणाम यह होता है कि हम कदम कदम पर जहां जहां रोक लगी हुई है रुपयों की थैलियां खुलती हैं और वह अधिकारी लोग ले जाते हैं। लखनऊ कीअसेम्बली ने भी गांजे के स्मगलिंग का एक सवाल चला हुआ है . . . .

डा० राम सुभग सिंह : उसका इससे क्या सम्बन्ध हो गया ?

श्री सिंहासन सिंह : मैं उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि रोक अगर लगाई जाती है तो उसका क्या परिणाम निकलता है। भ्रष्टाचार की गाड़ी इस तरह से चलती है। स्मगलिंग चाहे जिस पैमाने पर हो, छोटे पर हो या बड़े पर हो, चलता है। गुड़ का भी स्मगलिंग चलता है।

मेरे विचार में पिछले दो बरस में इसी सरकार ने गुड़ और खण्डसारी की बदौलत बढ़ौतरी के लिये लाखों रुपयों लोगों को इमदाद के रूप में दिए, गांव गांव में कोल्हू खुलवाये और खण्डसारी मिलें खोली चीनी बनाने के लिये। उसके लिये लाइसेंस दिये जाने लगे। बुला बुला कर दिए जाने लगे। एक बरस के बाद यह हुआ कि बन्द करो, बन्द करो और इतनी मिलें न बनें। चीनी की पैदावार पर ऊख की कीमत मुकर्रर की गई। उसका परिणाम क्या हुआ ? काश्तकार ने पारसाल क्या किया ? सरकार ने कह दिया पारसाल कि दस परसेंट गवर्नमेंट जिम्मा नहीं लेती पेरने का। काश्तकार ने घबरा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

कर कम बोया। जिम्मा सरकार ने कह दिया कि नहीं लेती है हालांकि सारा पेरा भी गया पर सारा पेरने का जिम्मा न लेने की वजह से लोगों ने कहा कि हम जितना चाहेंगे बोयेंगे। उन्होंने कम बोया। भगवान की भी कृपा हुई, पैदावार भी कम हुई। परिणाम हुआ कि गत वर्ष चीनी की भी पैदावार कम हो गई। हमारी गलत नीति के कारण चीनी की पैदावार में कमी हुई। चीनी की पैदावार करने के लिये हम ने उलटी नीति निर्धारित की। हमने कहा कि गुड़ नहीं बनेगा, खण्डसारी की चीनी नहीं बनेगी, मिलों में चीनी बनेगी। हर मौके पर और हर साल हमारी नीति बदलती रहती है। सका परिणाम यह होता है कि वे लोग जो ऊख पैदा करते हैं, वे इसको समझ नहीं पाते हैं और उनको इपता नहीं लग पाता है कि क्या होगा।

कुछ दिन हुए मंत्री महोदय ने दो रुपये का भाव बड़ी दृढ़तापूर्वक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सब मिलों के लिये तथा उत्तर बिहार की सब मिलों के लिये निर्धारित किया है। इसको सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई और यह बहुत ही उदार कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन घोषणा के साथ साथ यह भी घोषणा हुई है कि यह नीति आगे भी जारी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता है, यह तो केवल इस बरस के लिये है, आगे क्या होगा, उसकी जनवरी में घोषणा होगी। अब काश्तकार समझता है कि पता नहीं दो रुपया रहेगा, डेढ़ रुपया हो जायेगा क्या भाव होगा क्या नहीं होगा। इस लिये वह अनिश्चय की स्थिति में है, दुविधा में पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं चल रहा है कि वह क्या करे और क्या न करे, क्या कदम उठाए, क्या न उठाये। दो रुपये के आधार पर बोये, एक रुपया बारह आने के आधार पर बोये या रिकवरी के आधार पर बोये।

मिलों की रिकवरी के आधार को आज गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है और कहा हुआ है कि उस पर ईख की कीमत मुकर्रर करेंगे। शायद बहुत ही कम माननीय सदस्यों ने इस आधार को माना होगा। अगर आप अलग अलग आंकड़े आधार मानते है और व्यवस्था कर देते हैं भिन्न भिन्न मिलों में और वह भी रिकवरी के आधार पर तो क्या यह हरएक काश्तकार के लिये अलगअलग लागू होना सम्भव है? यह सम्भव नहीं है। होता यह है कि गत वर्ष किस मिल की कितनी रिकवरी रही, उसके आधार पर इस वर्ष; कीमत मिलेगी, कितनी रिकवरी इस वर्ष है, इस पर नहीं। गत वर्ष की रिकवरी के आधार पर कीमत मिलती है। यह फार्मूला अपने स्थान पर सही नहीं साबित हुआ है। कुछ नीति हमारी ठीक बननी चाहिये ताकि हम समझ सकें, काश्तकार समझ सके कि हम जब ऊख बोयें तो किस आधार पर बोयें, किस विश्वास पर बोयें। हमें गन्ना मिलों को देना पड़ेगा, गुड़ बनाने केलिये दे सकेंगे, खाण्ड-सारी बनाने के लिये दे सकेंगे या किस के लिये हम अपनी ऊख को दे सकेंगे। उचित तो यह था कि जहां मिल और खण्डसारी और गुड़ का मुकाबला होता है, वहां गुड़ को प्रोत्साहन मिलता, गुड़ अधिक से अधिक पैदा होता और गुड़ पर कोई भी किसी किस्म को रोक न होती। गुड़ पर रोक का परिणाम क्या हो रहा है, इसका लाभ किन को मिल रहा है? गुड़ पैदा करने वालों को लाभ नहीं जा रहा है। यह जो मिडिल मेन है, यह बीच का आदमी जब मंडियों में जाता है तो कहता है कि गुड़ पर रोक लगी हुई है इस लिये मैं गुड़नहीं खरीदूंगा। काश्तकार तो गुड़ बनाता है। अगर वह मंडी में ले जाये तो वहां से वापस नहीं ला सकता है। मंडी वाले कहते हैं कि इस भाव से तो मैं गुड़ नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट मुझे परमिट देगी तब तो मैं गुड़महाराष्ट्र पंजाब और सौराष्ट्र भेजूंगा। इस लिये अगर तुम चाहो तो दस रु० मन; रख दो। काश्तकार लाखों मन गुड़ स्टोर नहीं कर सकता। यहां पर सरकार ने वेअरहाउसिंग ऐक्ट बनाया और कहा कि ऐसी जगह वेअरहाउसेज बनाये जायेंगे जहां काश्तकार अपना गुड़ जमा कर सकेगा लेकिन कहां बने। शायद कहीं मंडियों के पास एक आध जगह बनाया गया हो लेकिन उस का लाभ काश्तकारों को नहीं मिलता है। आज भी वे मंडियों के खरीदारों के हाथों में हैं। वे ले लेते हैं फिर चाहे तो गुड़ को स्मगल कर के बेचें या चोरी कर बेचें। उन के पास बैंक हैं उन

के पास और तरीके हैं, जिन से फायदा उठाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से यह कहना है कि जहां कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज़ और छोटी इंडस्ट्रीज़ का मुकाबिला हो सरकार किसी भी छोटी इंडस्ट्री का गला न घोटे, उन को प्रोत्साहन दे। उन के रास्ते में वह रुकावट न डाले।

इस के बाद चीनी और ईख का भाव जो है उस को देखिये। पुराने जमाने में मिल मालिक चीनी के भाव से ईख का मूल्य दिया करता था। कहता था कि जितना चीनी का भाव है उस में से गवर्नमेंट का जो टैक्स है उस को निकाल कर चीनी के मूल्य का सोलहवां हिस्सा काश्तकार को दिया जायेगा। वह काश्तकार को रुपये में एक आना ईख की कीमत के रूप में देता था। चीनी के भाव में गवर्नमेंट की एक्साइज़ ड्यूटी भी शामिल है जो कि आज बहुत बढ़ी हुई है। मान लीजिए कि आज चीनी का भाव ४० रुपया है उस में से १२ रु० गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी निकल गई तो इस तरह से चीनी का भाव २८ रु० बैठता है। यानी काश्तकार को एक मन के ऊपर १ रु० १२ आ० ईख का दाम मिलेगा। अगर चीनी का भाव ४० रु० बैठता है एक्साइज को निकाल कर तो किसान का दाम ढाई रुपया मन हो जायेगा। काश्तकार समझ सकता था इस चीज़ को कि चीनी का जो भाव होगा उस के आधार पर उस को ईख का दाम मिलेगा। अगर रिकवरी के आधार पर उस को दाम मिलेगा तो यह उस की समझ में नहीं आता है।

मैं आप को एक मिसाल दे कर अपना भाषण बन्द करना चाहता हूं। एक दफे इस सरकार ने नियत किया था कि मिल वाले १ अप्रैल की तारीख के बाद जो ईख पेरेंगे उस ईख की रिकवरी उन की कीमत का आधार माना जायेगी। आप जा कर पता लगायें कि गोरखपुर में इस के सम्बन्ध में क्या किया गया। उस वक्त का जो नियम था उस के अनुसार १ अप्रैल के बाद मिल वालों ने जो ईख पेरी उस में ३० अप्रैल को तो रिकवरी थी ९ या १०, लेकिन १ या २ मई को जो ईख उन्होंने पेरी उस की रिकवरी दिखलाई ८ या ७। इस तरह से काश्तकारों को ईख की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। मिल वाले मैनिपुलेट कर सकते हैं, अन्डर पेमेंट करा सकते हैं। इसलिये रिकवरी के आधार पर ईख की कीमत देने का अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : मुझे प्रसन्नता है कि गन्ने का जो २ रु० प्रति मन मूल्य निर्धारित किया गया है उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार के कृषकों को लाभ पहुंचेगा। परन्तु देश के अन्य भागों के कृषकों को इस लाभ से वंचित करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। इस भेदभाव के समर्थन में सरकार कोई तर्क नहीं दे सकती। उन क्षेत्रों में गन्ने के भाव बढ़ाने के लिये अन्दोलन किये गये थे और उस क्षेत्र के सरकारी सूत्रों की ओर से भी दाम बढ़ाने के लिये दबाव डाला गया था और यही कारण था कि उन क्षेत्रों में गन्ने के दाम बढ़ा दिए गये हैं। यदि आन्दोलन करने से ही सरकार दाम बढ़ाती है तो दूसरे राज्यों में भी यह आन्दोलन होंगे। सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जहां बहुत अधिक संख्या में लोग गन्ने की खेती करते हैं। उनकी यह शिकायत है कि गत १०–१५ वर्षों में वे कठिनाई से जीवन निर्वाह कर सके हैं। गन्ने की फसल में अन्य फसलों की तुलना में अधिक जोखिम है। त्रिचिनापल्ली जिले में गन्ने की पैदावार काफी अच्छी है। श्री नम्बियार जो उस जिले से आते हैं उन्होंने मुझे बताया कि हालांकि वहां देश के अन्य भागों की तुलना में गन्ने की अधिक पैदावार होती है फिर भी कृषकों को कोई लाभ नहीं होता है। अतः सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों के प्रति उदारता दिखाई जाने के लिये ठोस कारण विद्यमान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन नायर]

गत दस-बारह वर्षों से गन्ना उत्पादकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। वर्ष १९५१-५२ में गन्ने का मूल्य १·७५ रु० प्रति मन था । इसमें कुछ उतार-चढ़ाव किये गये परन्तु स्थिति यह है कि आज भी गन्ना उत्पादकों को १·७५ रु० प्रति मन गन्ने का मूल्य दिया जायेगा जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा अपने हाल के वक्तव्य में कहा गया है। क्या मंत्री महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि गन्ना उत्पादकों के साथ उचित व्यवहार किया गया है ? पिछले १०-१२ वर्षों में वस्तुओं के मूल्य काफी बढ़ गये हैं। कृषि लागत में भी काफी वृद्धि हो गई है । अतः सरकार को इस मामले में गहराई से जाना चाहिये। यदि प्रशुल्क आयोग ने कृषि लागत के विभिन्न पहलुओं की जांच की होती तो वह अवश्य ही कृषक की ओर अधिक उदारता दिखाए जाने की सिफारिश करता।

चीनी मिलमालिकों की ओर सरकार तथा प्रशुल्क आयोग दोनों द्वारा उदारता दिखाई गई है। चीनी की वर्तमान कीमतें १९५१-५२ की तुलना में १०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई हैं। प्रशुल्क आयोग ने भी चीनी मिलमालिकों के लिये कम से कम १२ प्रतिशत लाभ की सिफारिश की है परन्तु गन्ना उत्पादकों की स्थिति वही है जो १९५१-५२ में थी। भारत जैसे देश में प्रशुल्क आयोग द्वारा ऐसा रुख अपनाया जाना बहुत आश्चर्य-जनक है।

व्यापारी वर्ग भी कम से कम ३ अथवा ४ प्रतिशत लाभ कमाता है। मिलमालिकों तथा व्यापारी वर्ग के हाथों में ही लाभ का संचय होता है और सका भार गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यह सब गलत आयोजन के कारण हुआ है। यदि सरकार इस बारे में अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेगी तो उपभोक्ताओं तथा कृषकों में बड़े पैमाने पर असंतोष फैल जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि समूचे देश में गन्ने की कीमत २ ० प्रति मन निर्धारित कर दी जाये। सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि देश में गन्ने की उत्पादन लागत की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। यह समिति चीनी, तथा गन्ने की कीमतों तथा चीनी उद्योग के लाभों के बारे में एक समन्वित तथा युक्तिसंगत नीति देश तथा संसद के सामने रखे।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की कीमत के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, मेरी इच्छा उसकी चर्चा में भाग लेने की नहीं थी। लेकिन जब मैंने कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुने तो मेरा विचार भी आपके सामने कुछ सुझाव रखने का हो गया।

जब मैं पार्लियामेंट में आया तो शुरू में मैंने आज के खाद्य तथा कृषि मंत्री के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य दिया था और वह यह था कि श्री स्वर्ण सिंह जी ने योग्य प्रशासक की कीर्ती पायी है, वह पक्षपाती नहीं हैं, वह हर एक बात में अपना दिल डालते हैं, और जब वह किसी निर्णय पर आते हैं तो बहुत सोच विचार कर ऐसा करते हैं। उस वक्त वह रेलवे मंत्री थे। लेकिन आज खाद्य मंत्री होने से उनका विचार बदल गया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

कृषि मूल्य नीति को प्लानिंग कमीशन ने निर्धारित किया है। उसने यह बताया है कि अगर खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना है तो उनका मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि दो राज्यों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, गन्ने की कीमत में पक्षपात था। एक भाग में २ रुपया मिनिमम प्राइस थी और दूसरे भाग में उससे कम थी। माननीय मंत्री महोदय ने इसको सोचा और उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न भागों में जो यह गन्ने की कीमत में पक्षपात था उसको दूर करने की कोशिश की, और उन्होंने इन दोनों राज्यों के हर एक जिले के लिए दो रुपए की मिनिमम प्राइस कर दी और उससे भी अच्छा यह किया कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। इसका यह कारण दिया गया है कि इन राज्यों में गुड़ और खंडसारी का बड़ा कम्पिटीशन था। मेरा सुझाव है कि यदि अन्य प्रान्तों में भी यह परिस्थिति हो तो उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

मैंने दो तीन भाषण सुने और मेरी यह राय बनी है कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का पक्षपात चल रहा है। आन्ध्र की महारानी सदस्या ने एक उदाहरण दिया कि एक फैक्टरी पर २ रुपया का भाव मिलता है और दूसरी पर जो उससे ६ मील दूर है दो रुपया मिनिमम प्राइस नहीं मिलती। वहां भी गुड़ और खंडसारी का कम्पिटीशन है। वही हालत महाराष्ट्र और मैसूर में है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां ऐसी परिस्थिति है उसकी जांच की जानी चाहिए और उस परिस्थिति के अनुसार वहां दो रुपए की मिनिमम प्राइस निश्चित कर देनी चाहिए।

मेरे बाजू के एक माननीय सदस्य ने बताया है कि यू०पी० और बिहार के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उस के लिए सरकार पर बहुत प्रैशर डाला गया था और इस सवाल को जनता ने उठाया था, गन्ना पैदा करने वालों ने उठाया था—क्योंकि जब तक कच्चा माल नहीं पैदा होता है, तब तक पक्का माल नहीं बन सकता है—सब पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं ने उठाया था, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की और इस बारे में प्रैशर डाला। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट प्रैशर से झुक कर कोई काम करती है। उस को करना भी नहीं चाहिए। अगर प्रैशर से कोई काम होता है और हर एक स्टेट को यह बात मालूम हो गई, तो कई दूसरी स्टेट्स भी यह तरीका अपनायेंगी। इसलिए इस विषय में असमानता हुई है या नहीं और अलग अलग स्टेट्स और रिजन्ज में पक्षपात हुआ है या नहीं, यह एक गम्भीर सवाल है। यह गम्भीर सवाल आगे चल कर बहुत खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस के बारे में एन्क्वायरी कर के यह असमानता दूर करनी चाहिए।

इस बारे में जो मेमोरेंडम दिया गया, जो नोटिस दिया गया, उस पर जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये, उन में यू०पी० और बिहार के माननीय सदस्य भी शामिल हैं। इस हाउस के हर एक माननीय सदस्य की यह राय थी कि गन्ने का मिनिमम भाव दो रुपये मन निर्धारित किया जाये। उन का यह कभी नहीं कहना था कि यह भाव केवल यू०पी० और बिहार में लागू हो और दूसरी जगह लागू न हो। उन की युनैनिमस राय थी कि जहां जहां गन्ना पैदा होता है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रिजन और जिला हो, वहां गन्ने का दाम दो रुपये मन होना चाहिए और उन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ दिलाने के लिए ही बहुत से माननीय सदस्यों ने दस्तख़त कर के नोटिस दिया है। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने यू०पी० और बिहार के बारे में इस सवाल पर जल्दी विचार कर के ध्यान दिया है, उसी तरह वह दूसरी जगहों के बारे में भी जल्दी से जल्दी ध्यान देंगे।

[श्री दे० शि० पाटिल]

जहां तक कृषि उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, प्लानिंग कमिशन ने यह नीति निर्धारित की है कि अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी का माल पैदा किया जाये। लेकिन जब लोग अच्छी क्वालिटी पैदा करते हैं, तो उन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और उस माल के ठीक दाम नहीं दिये जाते हैं। इस स्थिति में तो कोई भी अच्छा माल पैदा नहीं होगा। जहां तक काटन टैक्स्टाइल का प्रश्न है, जेरिला, कमोडिया आदि अलग अलग तरह के लांग स्टेपल काटन हैं, लेकिन हर एक जगह उन का भाव एक जैसा मिलता है। वहां पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि बिहार और यू०पी० में अलग भाव है और दूसरे स्थानों पर अलग भाव है। भाव कम हैं या ज्यादा वह एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी मुकर्रर करने के बाद किसी प्रान्त से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। परन्तु गन्ने के सम्बन्ध में यह बात दिखाई देती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री देवराव शि० पाटिल : मैंने दो तीन बातें बतानी हैं, इसलिए मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री देव राव शि० पाटिल : मैं एक मिनट में समाप्त करता ।

मैं हायर रिकवरी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण उस पर नहीं बोलूंगा। मैं कास्ट आफ़ प्राडक्शन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कृषकों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि प्लानिंग कमीशन ने पिछले पंद्रह सालों में इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में यहां पर चर्चा हुई, लेकिन किसी चीज़ को पैदा करने के लिए कृषक को कितना ख़र्च करना पड़ता है, इस पर प्लानिंग कमीशन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस ने इस बारे में अभी तक कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की। शासन ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरा आरोप यह है कि प्लानिंग कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट कृषि-बायस्ड नहीं हैं। यह आरोप मैं जिम्मेदारी से लगाता हूं। कास्ट आफ़ प्राडक्शन के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। जब तक उस पर विचार नहीं किया जायेगा, तब तक कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

श्री यशपाल सिंह (केराना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, से यह आशा थी कि वह किसानों की कुछ इमदाद करेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी इमदाद की—जितनी उम्मीद थी, उसका सौवां हिस्सा की। ज़रूरत इस बात की थी कि वह आगे बढ़ कर इनिशेटिव लें और बतायें कि काश्तकार के साथ आज कितना अत्याचार हो रहा है। यहां से अगर सरकार तीन रुपये मन भी भाव कर देगी, तो भी उसका कोई नतीजा नहीं होगा, जब तक कि मिलमालिकों को कंट्रोल नहीं किया जायेगा। आप एक बाल्टी में दूध भरते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके एक गुस्ताख़ नौकर ने उसमें एक सुराख़ कर दिया है, तो उस बाल्टी में दूध नहीं ठहर सकेगा।

सरकार ने दो तीन रुपये मन भाव कर दिया। लेकिन मिलमालिक क्या चालाकी करते हैं? पहली चालाकी वे यह करते हैं कि वे काश्तकार से ट्रांसपोर्ट चार्जिज़ काटते हैं। काश्तकार बेचारा

अपना माल लाता है, आठ मील आता है और आठ मील जाता है, रात को सर्दी में रहता है और कई कई घंटे बर्फ में गुजारता है। लेकिन फिर भी उससे ट्रांस्पोर्ट चार्जिज़ काटे जायें यह कहां का इन्साफ़ है ? यू० पी० में चार आने ट्रांस्पोर्ट चार्जिज़ हैं ।

दूसरी चालाकी मिलमालिक यह करते हैं कि रिकवरी का झंझट डाल कर काश्तकार को तंग और परेशान करते हैं। खतौली मिल, सकौती मिल, मन्सूरपुर मिल और देवबन्द मिल, ये मिलें बीस पच्चीस मील के दायरे में हैं, लेकिन एक मिल-मालिक रिकवरी के हिसाब से १·५७ रुपया देता है, दूसरा १.७४ रुपये देता है और तीसरा १.६६ रुपये देता है। इस चालाकी को ख़त्म किया जाये। जब गेहूं, कपास, धान, चावल में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, जब किसी भी एसेंशल कामोडिटी में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, तो फिर यह सिद्धान्त गन्ने पर हरगिज़ लागू नहीं करना चाहिये ।

किसान की दिक्कत को समझा जाये। किसान की सब से बड़ी दिक्कत यह है कि मिलमालिक जब जी चाहे, उसको बेवकूफ बना लेते हैं। जब जी चाहे, वे रिकवरी के नाम से लेकर बीस नये पैसे काट लेते हैं और जब जी चाहे, ट्रांस्पोर्ट चार्जिज़ का नाम लेकर पच्चीस नये पैसे काट लेते हैं। इस धांधलेबाजी को ख़त्म किया जाये ।

आज जब कि आन्ध्र प्रदेश में गुड़ का भाव ७५ रुपये मन हो गया है, जब कि दिल्ली में सेंट्रल को-आपरेटिव स्टोर, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, २३ रुपये मन गुड़ ख़रीद कर ५७ रुपये मन के हिसाब से बेच सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि काश्तकार को उसका मुआवज़ा न दिया जाये। मैं उस एरिया से आता हूं, जो हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ना पैदा करता है। मैं खुद भी एक छोटा सा किसान हूं। मैं देखता हूं कि हमारे यहां तो २३ रुपये मन गुड़ है, लेकिन हम से दो मील आगे जाकर वही गुड़ ४५ रुपये मन के हिसाब से बेचा जाता है। और फिर कहते हैं कि राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम हो रही है। राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्र में अलग अलग धड़े बना कर, अलग अलग सीमायें बना कर राष्ट्र को बांटा जा रहा है, देश की इन्टेग्रिटी को ख़त्म किया जा रहा है ।

आपके द्वारा सरकार से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले रिकवरी के झंझट को ख़त्म किया जाये। आज जो गुड़ काश्तकार पैदा करता है, उसकी कीमत हर जगह एक होनी चाहिए—ज्यादा से ज्यादा दो रुपये मन का फ़र्क हो। जो प्राइवेट केन क्रशर लगाने वाले हैं, वे किसान के घर पर आकर पौने तीन रुपये मन का पेमेंट करते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट न करे। अगर सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट करेगी, तो काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। अकाल पड़ा, फ्लड्ज़ आए, तुगियानियां आईं और सब फ़सलें नष्ट हो गईं। सिर्फ़ गन्ना बचा। गन्ने के साथ दिक्कत क्या है ? गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन में। केन डिवेलेपमेंट बाडी का चेयरमैन किस को बनाते हैं। आई० सी० एस० कलेक्टर को बनाते हैं जिसको चालीस साल से लोगों के साथ नफरत करना ही सिखाया गया है, लुक डाउन अपान करना सिखाया गया है, यही तालीम बचपन से दी गई है, जब से वह करोड़पति के घराने में पैदा हुआ है, उस दिन से लेकर बीस साल तक जिसको यही तालीम दी गई है। उसको बताया गया है कि काले आदमी से मिलोगे तो प्रेस्टीज़ गिर जायेगा, बेवक्त मिलोगे तो इज्जत का कोई स्टैंडर्ड बाकी नहीं रहेगा। मैं एक मिसाल आपको बतलाना चाहता हूं। यह सही चीज़ है। किसान आए एक कलेक्टर के पास साठ सत्तर की तादाद में। उन्होंने उनसे कहा कि पन्द्रह मील तक एक दाना नहीं बचा है, ओला इतना पड़ा है कि सब फसल खराब हो गई है, आप हमारे साथ चल कर देखिये। आई० सी० एस० अफसर ने कहा कि तुम बगैर एप्वाइंटमेंट आ गए हो, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिनको लुक डाउन अपान करना सिखाया गया है, किसानों से मिलोगे तो इज्जत कम हो

[श्री यशपाल सिंह]

जाएगी, यह सिखाया गया है, उनके हाथ में यह महकमा हो, तो किस तरह से किसान की हालत में सुधार हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सब से पहले किसान के रिप्रेजेन्टेटिव को केन के डिवेलेपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए।

दूसरी बात यह है कि किसान की हालत को अगर सुधारना है तो सारे हिन्दुस्तान में कम से कम ढाई रुपया मन गन्ने का भाव दिया जाए।

अब मैं फर्टिलाइज़र की बात कहता हूं। आज कहा जाता है कि किसान का राज है, डेमोक्रेसी है। हमारी सरकार ने अभी पिछले सत्र में यह माना था कि सरकार दो सौ रुपये फी टन के हिसाब से अमरीका से फर्टिलाइज़र खरीदती है और उसी फर्टिलाइज़र को सरकार ग्रोअर को साढ़े चार सौ रुपये फी टन के हिसाब से बेचती है। इस तरह से सरकार एक टन के पीछे ढाई सौ रुपये दलाली खाती है। यह भी कृषि मंत्री ने माना है कि इस हिसाब से साढ़े पांच करोड़ रुपया सालाना सरकार को किसान और अमरीका से मंगाये गये फर्टिलाइज़र के बीच में फ़ायदा हो जाता है। यह मुनाफ़ाखोरी गरीब किसान से की जाती है। एक तरफ सरकार दिल्ली के धनिकों को, दिल्ली के धनी मानी व्यक्तियों को दिल्ली के सरमायेदारों को दूध पिलाने के लिये साढ़े सात लाख रुपया साल का नुक्सान उठाती है दिल्ली मिल्क स्कीम में और दूसरी तरफ़ किसान को फर्टिलाइज़र देने में सरकार साढ़े पांच करोड़ रुपया बीच में मुनाफाखोरी करती है। इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। इस तरह से किसान की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती है। हमारे दोनों मंत्री किसान के बेटे हैं, किसान के दुःख दर्द को समझते हैं, उसकी तकलीफ को समझते हैं। लेकिन जिस निज़ाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, जो यह सोकाल्ड सोशलिस्ट स्टेट है, यह सिर्फ नाममात्र को है। जब एक मिलमालिक का हुक्म है, टाटा का हुक्म है कि चार लाख रुपया रोज़ाना बैंक में जमा करो, तो दूसरी तरफ किसान इतना मजबूर है कि उसका साढ़े आठ लाख रुपया जो चार साल से मिलमालिकों की तरफ बाकी पड़ा हुआ है, वसूल नहीं हो रहा है। यह ग़लत निज़ाम है जिसके मातहत यह काम कर रहे हैं। आज किसान को अगर सोलह मील चलने के बाद, अपने बैलों को भूखा प्यासा रखने के बाद, अपने बच्चों को बरफ में भेजने के बाद, ठण्ड में भेजने के बाद साढ़े आठ लाख रुपया बाकी है तो कौनसा वक्त आयेगा जब कि काश्तकार की मिलमालिकों के चंगुल से रिहाई के लिए, उसको राहत दिलाने के लिए, हमारे मंत्रीगण काम करेंगे। उनके अन्दर किसान के लिये दर्द है लेकिन जिस निज़ाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, वह निज़ाम गलत है वह निज़ाम इनको काम नहीं करने देता है। इनकी आत्मा विद्रोह भी करती है, लेकिन अपनी पार्टी की खातिर इनको अपने उस विद्रोह को दबा देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि अगर आज यह सब कुछ नहीं हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता है। किसान के दो बेटे बैठे हुए हैं। काश्तकार को ये राहत नहीं दे पाते हैं तो फिर कौन दे पाएगा। मुझे आप साफ कहने दीजिये :

किससे फिर शिकवए बेदाद करें अहले चमन,
चाक कलियों के जिगर को जो बहारां कर दे ?

अगर आप इमदाद नहीं कर सकते तो कोई इमदाद नहीं कर सकता है। मेरी सरकार से साग्रह, सानुरोध यह प्रार्थना है कि सरकार गन्ने की कीमत के सवाल को जरा पब्लिक में भेजे। "ला इज़ नथिंग बट दी विल आफ दी पीपल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स आफ ला"। कानून कोई नहीं है, कानून जनता की राय है। ४४ करोड़ इंसानों में गन्ने के मसले को आप भेजें और देखें कि वे ढाई रुपये की मांग करते हैं या नहीं करते हैं और अगर वे यह मांग नहीं करेंगे तो हमें आप बोलने का अधिकर

न दीजिये । साथ ही साथ यह रिकवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाना चाहिये और जो ट्रांस्पोर्ट चार्जिज़ हैं, वे काश्तकार से नहीं लिये जाने चाहियें ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने और चीनी के सवाल पर इस सदन में कई बार बहस हो चुकी है। चीनी की आज हालत ऐसी है कि इसने चारों ओर लोगों के दिलों में चिन्ता पैदा कर दी है। अभी तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन इनके बन्द होने के बाद जब चीनी की कमी नज़र आएगी, उसके बाद हालात क्या होंगे, इसको आप देखें ।

मैंने अभी दो माननीय सदस्यों को सुना है। उन्होंने कहा है कि भेद पैदा किया गया है नई घोषणा दामों के सिलसिले में जो की गई है, उससे। मैं समझता हूं कि अगर यह सिद्धान्त समझ लिया जाए कि सही है तो इस प्रकार की कई बातें पहले हो चुकी हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भेद पैदा किया गया है। जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है, उसके पीछे कुछ तर्क रहा है और जब जब इस प्रकार की घोषणा हुई है तब तब उसमें कुछ न कुछ तर्क रहा है । इस बार की घोषणा के पीछे भी कुछ तर्क है उसे मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हमारे यू० पी० और बिहार के भाइयों ने लिखित रूप में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उन्होंने दो रुपये मन गन्ने के दाम की मांग की थी और कहा था कि वह दाम हर क्षेत्र में होना चाहिये। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में दो रुपये मन गन्ने का दाम है लेकिन बम्बई में फिर भी दो रुपये बीस नये पैसे मन गन्ने का भव है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : उसका परसेंटेज क्या है ?

श्री काशी नाथ पाण्डेय : वह भी मैं आपको बताता हूं। १९५४ और १९५५ के सीज़न में जब कि लिकिंग फार्मूला नहीं था, उस समय गन्ने का दाम हिन्दुस्तान के और हिस्सों में एक रुपया सात आना मन था और उस समय इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था कि बम्बई में दस परसेंट गन्ने का दाम ज्यादा होना चाहिये। मेरा खयाल है कि आज की जो घोषणा हुई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। मैं नहीं कहता कि उनको गन्ने का दाम पूरा मिल रहा है या उनका दाम बढ़ना नहीं चाहिये। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सिद्धान्त खाद्य विभाग ने सन् १९५४ में स्वीकार किया, आज भी वही सिद्धान्त इस दाम के सिलसिले में लागू है। चूंकि दो रुपये मन उत्तर प्रदेश और बिहार में है तो उसका दस परसट बीस नया पैसा हुआ और वहां कीमत दो रुपया बीस नया पैसा आज मिल रहा है । आप और मांगें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ।

बावजूद इसके कि दो रुपये मन गन्ने का नाम हो गया है, मुझे शिकायत मिली है जहां तक ईस्टर्न यू० पी० का ताल्लुक है या बिहार का ताल्लुक है, कि वहां पर गुड़ और खण्डसारी उतने ज़ोर से नहीं बन रही है। वहां लोगों ने उतने जोर से गुड़ बनाना नहीं शुरू किया है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का ताल्लुक है, वहां पर गुड़ और तेज़ी पर आ गया है। कुछ तो कंट्रोल की वजह से २२ रुपये मन गुड़ के दाम हो गये थे। लेकिन आज गुड़ के दाम २७ और २८ रुपये मन हैं, बावजूद इसके कि इतनी सख्तियां हो रही हैं, फिर भी इतना भाव तेज़ हो गया है। आज जो गुड़ किसाने बना रहा है, कुछ लोग जिन को आप शापकीपर कहते हैं, मर्चेंट कहते हैं, वे गुड़ को कम भाव पर रख लेंगे और बाद में जब फैक्ट्रियां बन्द होंगी, तब मनमाने भाव पर बेचेंगे । यह इस बात की प्रतीक है कि गन्ने की कमी है ।

[श्री काशी नाथ पाण्डे]

हम को बहुत ही गम्भीरता के साथ सब प्रश्नों पर विचार करना होगा । मैं देखता हूं कि सभी लोग इस बात से चिन्तित हैं कि देश में खाद्य की कमी हो रही है । जो कुछ भी गन्ने का भाव हो हम को देखना होगा कि किस प्रकार से गन्ने की खेती में किस प्रकार वृद्धि हुई है । एकरेज की वृद्धि तमाम हिन्दुस्तान में किस प्रकार हुई है । जब आप इसको देखेंगे तो आप को भी चिन्ता हुए बगैर नहीं रहेगी । हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाय कि गन्ने के दाम इतने आकर्षित लोगों को करें कि सभी गेहूं और चावल बोना छोड़ दें और उसके बाद हिन्दुस्तान में हर जगह हाहाकार मच जाए । बम्बई में जहां सन् १९५३ में १ लाख ८६ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता था वहां आज ३ लाख २९ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता है । और भी फिगर्स मैं आप को बतला रहा हूं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जिस वक्त गन्ना १० परसेन्ट कीमत ज्यादा थी, उस वक्त . . . .

श्री काशी नाथ पांडे : आप फैक्ट में मुझे चैलेन्ज नहीं कर सकते । बाकी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं । मद्रास की बात मैं आप को बतलाता हूं । वहां सन् १९५२–५३ में ८३ हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती थी लेकिन आज १ लाख ८७ हजार एकड़ में गन्ने की खेती हो रही है । इसी प्रकार से आप पंजाब में देखिये । पंजाब में ३ लाख ७१ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती थी सन् १९५२-६३ में, आज वहां पर ६ लाख ६८ हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती है । इसी तरह से आप यू० पी० की बात देखिये । उस में पहले २६ लाख ८८ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती थी वहां पर आज ३३ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती है । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसान भी ऐसी फसल चाहता है जिस से वह अपनी पैसे की जरूरत पूरी कर सके । लेकिन मैं आप की नोटिस में लाना चाहता हूं और यह चीज बहुत चिन्ता भी पैदा करती है, कि आखिर एक हद होगी जहां तक हम गन्ने की खेती कर सकते हैं या जितनी हम आगे उस को बढ़ा सकते हैं । अगर यह हालत रही तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बढ़ रही है उस तरह से दिक्कत बढ़ती ही चली जायेगी ।

मैं आप को खाद्य के बारे में भी बतलाना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : गन्ना पूरे देश में कितना होता है और सीरियल्स कितने होते हैं यह भी तो बतलाइये ।

श्री काशी नाथ पाण्डे : वह भी मैं आपको बतलाता मगर इतना समय मेरे पास नहीं है । अगर आप समय दें तो वह भी बतला सकता हूं ।

जहां तक फडग्रेन्स का सवाल है, उसको भी आप देखिये । मैं महाराष्ट्र को लेता हूं । सन् १९५७–५८ में जो आल इंडिया का प्रोडक्शन था उसका महाराष्ट्र में ९.६ परसेन्ट होता था लेकिन वही सन् १९६१–६२ में ७.७ परसेन्ट हो गया । इसी तरह से मद्रास में जहां सन् १९५७–५८ में आल इंडिया प्रोडक्शन का ७.२ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१–६२ में ६.८ परसेन्ट हो गया, मैसूर में सन् १९५७–५८ में ५.९ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१–६२ में ५ परसेन्ट हुआ । इसी तरह से यू० पी० में देखिये । वहां पापुलेशन बढ़ रही है । सन् १९५७–५८ में वहां पर आल इंडिया फूड प्रोडक्शन का १७.७ हुआ करता था और सन् १९६१–६२ में भी वही १७.७ परसेन्ट हुआ । बिहार में देख लीजिये कि जहां सन् १९५७–५८ में ६.२ परसेन्ट होता था वहां

८.८ परसेन्ट है। इसलिए मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर आप को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे नये खाद्य मंत्री ने ऐसे समय में यह पद सम्भाला जिस समय स्थिति ऐसी थी कि शायद इस से बढ़िया कोई इन्तजाम वह नहीं कर सकते थे क्योंकि सब से ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि गन्ना ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। मैं आप के सामने यह सवाल रखता हूं । मेरे सामने भी एक बड़ा भारी समस्या है और वह यह कि हमारे देश में दो लाख आदमी शूगर इंडस्ट्रीमें काम करते हैं। पिछले वर्ष जो यहां पर एम्प्लायमेंट पोजीशन थी वह करीब करीब आधी हो गई थी और आज हालत जो हो रही है उस को आप जानते ही हैं । अगर यह कैफियत बहुत देर तक चलती रही तो शायद एक बड़ी भारी क्राइसिस आ जाये अनएम्प्लायमेंट को ले कर। दूसरा खतरा भी है। हमने पहले यह देखा है कि एक मर्तबा आप दाम बढ़ा देते हैं और फिर घटाने का प्रश्न आता है। जैसा आपने कहा, उत्तर भारत के लिए जो आपने गन्ने का दाम बढ़ाया है वह टेम्पोरेरी है, हो सकता है कि आप समें कोई चेन्ज करें, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आप ने गन्ने के दाम आकर्षक नहीं रक्खे तो लोगों के लिये उसका पैदा करना सम्भव नहीं होगा और शायद ही आप को दूसरे सीजन में गन्ना मिले। इसलिए आपको सब जोन्स का विचार करने के बाद गन्ने का दाम तय करना चाहिये और वह दाम उचित होना चाहिये । मैं इस विचार से इत्तफाक करता हूं, लेकिन साथ ही बतला देना चाहता हूं जहां ३३ हजार टन चीनी में से आप ने १५ हजार टन चीनी का कोटा केवल यू० पी० के लिये तय किया है वहां आप को यह भी देखना पड़ेगा कि दाम ऐसे आकर्षक हों ताकि गन्ना मिलों में जाये उस के लिये काफी आकर्षण दिये जायें ताकि और आपके लिये चीनी पैदा हो सके ।

जिस प्रकार गुड़ का कम्पिटीशन आपके सामने है उसी तरह से आप को तय करना पड़ेगा कि पिछले साल चीनी की जितनी प्रोडक्शन हुई थी उसके ऊपर जो हो उसे ओपन मार्केट में बिकने दो ताकि जितनी डिमान्ड किसान की हो उतना फैक्ट्री वाले दें। इस वक्त किसानों के गन्ने का बोआई के समय दाम घटाने से बोआई घट जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल बड़ी भारी क्राइसिस आयेगी ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब यह घोषणा कर दी की केवल यू० पी० और बिहार में ही २ रु० मन तक गन्ने का भाव बढ़ा दिया गया है और बाकी स्टेट्स में नहीं बढ़ाया गया है तो मध्य प्रदेश में इस के बारे में बड़ी हलचल हो गई।

एक माननीय सदस्य : वहां कितनी फैक्ट्रियां हैं ।

श्री बड़े : पांच हैं। और गुड़ के ऊपर कंट्रोल लगा दिया है। मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर, जहां मैं रहता हूं, खान्देश है। वहां बड़ी हलचल हो गई। वहां की जनता का यह कहना है कि यहां पर यू० पी० और बिहार के मिनिस्टर होने के कारण उनका वजन ज्यादा पड़ता है और पार्लियामेंट में यू० पी० और बिहार के मेम्बर ज्यादा होने से यह भाव ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। इस प्रकार की लोगों की टीका है। हो सकता है कि यह टीका गलत होगी, और मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना केवल यह है कि मध्य प्रदेश . . . .

†**श्री अ० म० थामस** : मध्य प्रदेश में सब मिलों को २ रु० के हिसाब से दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मैं आपको बतलाता हूं कि उसमें क्या हुआ । मध्य प्रदेश में जहां गुड़ के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया है वहां पर फैक्ट्री वाले गन्ने के दाम १० आने और १२ आने मन के हिसाब से देते हैं, यह कह कर कि गन्ना जिस प्रकार का चाहिये उस प्रकार का नहीं है । इस तरह से होता यह है कि किसी किसी जगह १० और १२ आ० मन गन्ने का दाम दिया जाता है और कहीं पर वह भी बराबर नहीं मिलता है । इसी के साथ साथ गन्ने के प्रोड्यूस करने में मध्य प्रदेश के किसान का क्या खर्च आता है इसको भी शासन ने नहीं देखा है । आपने सिर्फ यह देखा है कि फैक्ट्रीज का क्या खर्च पड़ता है क्योंकि चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज के लोग आपके पास हैं, फैक्ट्रीज के आंकड़े देने वाले लोग आपके पास हैं, लेकिन २० मिलियन कल्टिवेटर्स जो इस धंधे में हैं हिन्दुस्तान में, अगर उनकी कोई आर्गेनाइज्ड संस्था होगी तो केवल यू० पी० में होगी या शायद थोड़ी सी बिहार में होगी । अगर महाराष्ट्र में होगी तो वहां की आवाज श्री देशमुख ने आपके सामने रक्खी है, लेकिन मध्य प्रदेश में केन ग्रोअर्स की कोई आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री न होने से उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है । हमारे मध्य प्रदेश के एक ही मिनिस्टर हैं, अगर वह कुछ कहते हों तो मुझे मालूम नहीं । लेकिन मेरा कहना है कि प्रकार से . . .

डा० राम सुभग सिंह : आप आ जाइये ।

श्री बड़े : मैं खुशी से आता लेकिन आप मुझे लेंगे नहीं । तो मेरा कहना यह है कि फारेन एक्स्चेन्ज को पाने के वास्ते आप ने फैक्ट्रीज को ज्यादा सहूलियतें दीं, लेकिन आपने केन ग्रोअर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया । आपने देखा नहीं कि आज काश्तकार को फर्टिलाइजर किस भाव पर मिलती है, फैक्ट्री से खेत कितनी दूर हैं और उसको लाने पर क्या खर्च पड़ता है । जो महंगाई है उसके हिसाब से क्या आपने गन्ने का दाम बढ़ाया है । टैरिफ कमिशन ने जिस प्रकार कहा कि उसकी उन्नति करनी है उसी प्रकार से आप ने भाव बढ़ा दिया । लेकिन बाकी बातें आपके सामने नहीं हैं । मेरे एक मित्र ने कहा कि आप के पास कृषि मूल्य की नीति नहीं है । कृषि मूल्य नीति जब तक आपके सामने नहीं है, काश्तकार का खर्च कितना आता है इसके आंकड़े जब तक आपके पास नहीं हैं, सैम्पल सब नहीं है, तब तक आपके सामने एक ही स्टेट की आवाज आती है, और आपने उनका भाव बढ़ा दिया है, बाकी केन ग्रोअर्स के लिये नहीं बढ़ाया । इसलिये आज लोगों में अशान्ति है, केन ग्रोअर्स में अशान्ति है । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर २ रु० मन दिया जाता है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जावरा का भाव आपके पास है, दूसरी मिलों के, महेन्द्रपुर ोड के भाव आपके पास हैं । मैं वहां से भाव लाया हूं । वहां पर गन्ने के लिए १० और २२ आ० से ज्यादा दाम नहीं मिलता है । तना ही नहीं, काश्तका ों की जो चर्खी रहती है वहां भी उन्हें बैठना पड़ता है, आठ आठ रोज तक वहां ठहरना पड़ता है तब कहीं तोल होती है । इतनी बातें होने बाद भी मध्य प्रदेश के बारे में आपने कुछ नहीं किया और केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के भावों को बढ़ा दिया । यह क्यों बढ़ाया गया है ।

एक माननीय सदस्य : आपके यहां भी बढ़ाया गया है, वहां दो रुपया मन दिया जाता है ।

श्री बड़े : मैं पूछता हूं कि महेन्द्रपुर रोड में यह भाव मिलता है । मैं चैलेन्ज करता हूं । जैसा आपका कहना है, उत्तर प्रदेश के काश्तकार सुखी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के काश्तकार जो केन ग्रोअर्स हैं, जो गन्ना बोते हैं, यदि उन की परिस्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा । गुड़ के बारे में उन्होंने जो लिखा है उसको आप देखिये । बाहर से गुड़ उन को लाना नहीं चाहिये, यदि उन्होंने १० एकड़ में गन्ना बोया है और उसमें इतने मन गन्ना हुआ, तो इतना गुड़ बनाना है, बाकी का नहीं बनाना है । इस प्रकार से इतना इंटरफरेंस शासन का ोता है कि काश्तकार ंग आ गया है और कहता है कि अंग्रेज चले गये तो ये काले साहब आगए और हमारे ऊपर कंट्रोलका बोझा डाल दिया है ।

इसके अतिरिक्त काश्तकार अधिकांश अनपढ़ हैं, वे ठीक से हिसाब नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर आकर उनसे हिसाब मांगता है कि कितना गन्ना हुआ आदि। इसमें उनको कठिनाई होती है। इसके बाद उसको फैक्टरी तक गन्ना ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं जैसी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वहां तो देहात में जीप से भी जाना कठिन होता है। हमारे काटजू साहब तो कहते हैं कि जिसको धूल फांक कर बीमार पड़ना हो वह खानदेश का दौरा करने आवे। हमारे यहां तो जंगल है। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी वहां दौरा करता है तो बीमार पड़ जाता है। किसानों को अपना गन्ना फैक्टरी तक ले जाने में दो-दो तीन-तीन घाट उतरने पड़ते हैं और इसमें उनका बहुत खर्चा होता है, इसको नहीं जोड़ा जाता और पुराना भाव उनको दिया जाता है। मेरा निवदन है कि अगर मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को २ रुपये मन का भाव नहीं देंगे तो वहां असंतोष होगा।

हमारे यहां कहावत है कि कुम्हार का देवता बातों से नहीं मानता लातों से मानता है। अगर सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं देगी तो मोर्चे होंगे, भूख हड़तालें होंगी और मंत्री महोदय तक हम डेपुटेशन भी लावेंगे। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश यहां से बहुत दूर है, आने में तीन दिन लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह स्थिति न आवे। जो भाव आपने बिहार और उत्तर प्रदेश में दिया है वही हमारे यहां भी दिया जाये। साथ-साथ इस बात का भी साम्पिल सर्वे किया जाये कि मध्य प्रदेश में गन्ना होने में काश्तकारों को कितना खर्चा पड़ता है।

†श्री दे० द० पुरी (कैथल) : मंत्री महोदय ने अपने १२ तारीख के वक्तव्य में कहा है कि सरकार गन्ने के वर्तमान मूल्यों को बनाये रखने के लिये वचनबद्ध नहीं है। क्या वे यह समझते हैं कि १ नवम्बर, १९६४ से पहले स्थिति सुधर जायेगी? यदि ऐसा है तो उन्हें बहुत गलतफहमी हुई है। जब तक हमारे पास कम से कम पांच लाख टन चीनी का संग्रह नहीं हो जाता, चीनी की स्थिति में स्थिरता नहीं लाई जा सकती। अगले १२ महीनों में हमें तीन लाख टन चीनी बाहर भेजनी है। अतः वर्तमान गन्ने की कीमतों को कम करने से स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी। सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिये कि कम से कम अगले 'सीजन' के लिये गन्ने की कीमतें वही रहेंगी जो अब हैं क्योंकि अगले 'सीजन' के लिये अब गन्ना बोया जायेगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि आप देश में ४० अथवा ४५ लाख टन चीनी का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप को गन्ने की कीमत कम से कम २ रु० प्रति मन बनाये रखनी होगी और इसको गन्ने की वसूली से सम्बद्ध करना चाहिये।

मैं इस बात का विरोध करता हूं कि कुछ क्षेत्रों के लिये गन्ने की कीमत २ रु० तथा अन्य क्षेत्रों के लिये १.७५ रु० निर्धारित की जाये। मैं बार-बार इसकी मांग करता रहा हूं कि गन्ने की कीमत कम से कम २ रु० प्रति मन निर्धारित की जानी चाहिये और ९ प्रतिशत वसूली द्वारा ही चीनी की समस्या हल की जा सकती। मैं इस भेदभाव के भी पक्ष में नहीं हूं कि जहां चीनी की उपज अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होती है उन क्षेत्रों को नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के अधिक दाम दिये जायें। उपभोक्ताओं को भी इस भेदभाव से हानि पहुंचती है। गुड़ तथा खांडसारी के मूल्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में इनके लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, बहुत अन्तर है। जहां ये अधिक मात्रा में बनाये जाते हैं वहां के उपभोक्ताओं को इनके लिये २५–३० रु० प्रति मन के दाम देने पड़ते हैं और जहां इनका उत्पादन कम होता है वहां पर इनके मूल्य ७०–८० रु० प्रति मन हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र के बीच भेदभाव की नीति का त्याग किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० द० पुरी]

सहारनपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने कहा कि केवल गन्ने के मूल्य रिकवरी (वसूली) के सिद्धान्त पर निर्धारित किये जाते हैं जबकि अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में यह सिद्धान्त नहीं अपनाया जाता। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वस्तु के दाम उसकी किस्म के आधार पर दिये जाते हैं। गन्ने के बारे में भी यही किया जा रहा है क्योंकि गन्ने से जो चीनी निकलती है उसी के आधार पर गन्ने के दाम दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यही नीति भविष्य में भी अपनाई जानी चाहिये।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के १२ दिसम्बर के भाषण की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव दो रुपये मन किया तो जा रहा है लेकिन इस पर फिर विचार होगा और विचार करने के बाद क्या रेट निश्चित किया जायेगा, वह नैक्स्ट ग्रोइंग सीजन, अगले बोने के टाइम पर बताया जायेगा। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने उस वक्त शूगरकेन की प्राइस दो रुपये मन इसलिए तय की थी कि चूंकि पश्चिमी जिलों में गुड़ और खंडसारी के ज्यादा बनने से पश्चिमी जिलों में तो मिलों ने दो रुपये मन भाव तय किया था और पूर्वी जिलों में सरकार ने भाव कम किया हुआ था। मैं आप के द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि किसान अगर किसी तरह से दो-चार रुपये, या सौ रुपये, अपनी खेती से पैदा करना चाहता हो, तो उस के बीच में हमारी सरकार क्यों रोड़ा बन जाया करती है।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि दो रुपये मन का भाव तय करना क्यों लाजिमी है। आप को याद होगा कि १९६२ के मार्च में गन्ना सूख गया और पेरा नहीं गया। मेरे सामने एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि मई, १९६३ तक इस देश में २०.८३ लाख मैट्रिक टन शूगर थी, जबकि पिछले साल उस समय तक २६.५४ लाख मैट्रिक टन शूगर का प्राडक्शन हुआ था। इसी तरह आप देखें कि मई, १९६३ में दो मिलें चल रही थीं, जबकि १९६२ में ४० मिलें चल रही थीं। सरकार के पास १ मई, १९६३ तक १४.९४ लाख मैट्रिक टन चीनी का स्टाक था, जबकि पिछले साल उस समय तक २४.३० लाख मैट्रिक टन चीनी का स्टाक था। अगर हम इन आंकड़ों को देखें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गन्ने का भाव दो रुपये मन कुछ ज्यादा नहीं है।

मेरे पास टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिस में फिक्सेशन आफ प्राइस के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं। प्राइस आफ केन : १६.८५, टोटल कन्वर्शन चार्जिज, कमीशन सैस, एक्साइज ड्यूटी : ५.६५, कास्ट आफ मैनुफैक्चर : २२.५०, सैलिंग एक्सपेंसिज : ०.४, एक्साइज ड्यूटी : १०.७०, रिटर्न : २.०६, जिसका टोटल ३५.३० रुपये होता है, जो कि फेयर सैलिंग प्राइस है। यह फिगर १९५७–५८ की है, जबकि रिकवरी परसेंटेज ९.८ है। १९५८–५९ की फेयर सैलिंग प्राइस ३६.४३ रुपये है, जबकि रिकवरी परसेंटेज ९.६२ है। अगर इसमें गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन के हिसाब से जोड़ दी जाये, तो सब कुछ मिला कर चीनी का दाम ४३ रुपये पड़ता है, जबकि आज चीनी मार्केट में ४७.६८ रुपये मन के हिसाब से बिक रही है। इस वक्त सरकार १०.७० रुपये और २.०६ रुपये चार्ज करती है। अगर किसान को ढाई रुपये मन गन्ने की कीमत दे दी जाये, तब भी सरकार को मिलने वाली रकम में कोई कमी नहीं होगी।

लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह किसान की इंडस्ट्री से ही ३३ परसेंट मुनाफा लेती है या हिन्दुस्तान की किसी और इंडस्ट्री से भी ३३ परसेंट मुनाफ़ा लेती है। गन्ना ही एक ऐसी फसल है, जिस में से किसान को दो चार रुपये, या सौ रुपये, मिल जाते हैं। उसमें से ३३ परसेंट तो सरकार अपनी जेब में रख लेती है और किसान को उसमें से ज्यादा पैसा देने में उसकी हालत खराब हो जाया करती है।

जहां तक रिकवरी का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५–५६ में रिकवरी १० परसेंट, १९५६–५७ में ९.४४ परसेंट, १९५७–५८ में ९.९२ परसेंट और १९५८–५९ में ९.७८ परसेंट थी। रिकवरी की परसेंट मिल वाला कम करे और उसकी वजह से किसान मारा जाये, यह तो बर्दाश्त के बाहर की बात है।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : ये आंकड़े कहां के हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : ये टैरिफ़ कमीशन की रिपोर्ट के आंकड़े हैं।

श्री विश्वनाथ राय : ईस्ट यू० पी० और उत्तर बिहार में १० परसेंट कभी नहीं हुआ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को बाद में दिखा दूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में १९५५–५६ में १० परसेंट रिकवरी हुई। हां, बम्बई में ज्यादा है।

जहां तक वर्किंग डेज़ का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५–५६ में १५४ दिन, १९५६–५७ में १५१ दिन और १९५७–५८ में १३२ दिन काम हुआ। जब वर्किंग डेज़ कम होते हैं, तो शूगर का कास्ट आफ प्राडक्शन पर मांड बढ़ जाया करता है। जैसे अगर वर्किंग डेज़ ९० हैं, तो कास्ट आफ़ प्राडक्शन पर मांड ६.७ रुपये होता है, अगर वर्किंग डेज़ १२० हैं, तो कास्ट आफ़ प्राडक्शन ५.६६ रुपये पर मांड होता है और अगर वर्किंग डेज़ १८० हैं, तो कास्ट आफ प्राडक्शन ४.६७ रुपये पर मांड होता है। इस तरह से अगर एक दो रुपये मन कास्ट आफ प्राडक्शन कम हो जाय, तो वह पैसा किसान को चला जाये, क्योंकि मिलों की ख़राबी या बदमाशी की वजह से अगर वे काम नहीं करती हैं, तो उस का पैसा किसान के पैसे से काटा जाये, यह बात समझ में नहीं आती है।

मैक्सिको और फ़िलिपाइन्ज़ में चीनी की बाई-प्राडक्ट्स के पैसे भी किसानों को मिला करते हैं। लेकिन हमारे देश में स्थिति यह है कि मिल वाले मोलैसिज़ की कीमत चार छः आने मन दिखाते हैं, लेकिन वे वास्तव में ग़रीब आदमियों का भोजन बनते हैं और मार्केट में चार, छः, दस रुपये मन के हिसाब से बिकते हैं। उस के अलावा मोलैसिज़, खोई और दूसरी बाई-प्राडक्ट्स के काग़ज़, कार्बन्ज़, फ़र्टलाइज़र वगैरह कई चीज़ें बनती हैं। इन सब चीज़ों का पैसा भी किसान को दिया जाना चाहिए। सरकार ने जो दो रुपये मन गन्ने की कीमत तय की है, वह तो किसान को मिलनी ही चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर उस से ज्यादा ढाई रुपये मन भी किसान को दिया जाये, तो जो कास्ट आफ़ प्राडक्शन मैं ने अभी बताई है, उस को देने के बावजूद सरकार के सैस और एक्साइज़ ड्यूटी में कमी नहीं होगी और मिलों के फ़ायदे में भी कमी नहीं होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में कैल्कुलेशन फिर कर लें। मैं कैल्कुलेशन कर के उन को दिखा सकता हूं कि अगर किसान को ढाई रुपये मन भी दिया जायेगा, तब भी मिलों को कोई नुक्सान नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि दो रुपये मन की

[श्री विश्राम प्रसाद]

कीमत तो सारे हिन्दुस्तान में हमेशा कायम रखी जाये और अगर सरकार किसानों को ज़िन्दा रखना चाहती है, तो वह कोशिश करे कि अगले शीज़न से ढाई रुपये मन की प्राइस निश्चित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एम० तिवारी ।

श्री क० ना० तिवारी (वगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, जो कि दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा कही गई हैं या हमारे आपोज़ीशन के दोस्तों ने प्रापेगेंडा के लिए कही हैं ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : प्रापेगेंडा है या सच्चाई ?

श्री क० ना० तिवारी : मैं इस बात से असहमत हूं कि इस मामले में कोई पक्षपात बिहार, यू० पी० और दूसरे प्रान्तों को ले कर किया गया है। बिहार की पोज़ीशन यह है कि हमारे एक दोस्त ने जो इंडस्ट्री के डिपुटी मिनिस्टर थे, एक ख़त में लिखा है :—

> "बिहार में १९६२–६३ में गन्ने का उत्पादन केवल ४.७२ करोड़ मन हुआ जब कि १९६०–६१ में यह ११.३८ करोड़ मन था ।"

यह पोज़ीशन बिहार की है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी पोज़ीशन है । जो कमी हुई उसका कारण यह था कि कीमत उसके लिए जो दी जा रही थी वह उचित नहीं दी जा रही थी । यह इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने बुवाई के पहले कोई दाम मुकर्रर नहीं किये थे। यह कारण था कि सोइंग के समय में, प्लांटेशन बहुत कम होता रहा । मेरा निवेदन यह है कि अगले साल का भी जो दाम है, वह अभी से घोषित कर दिया जाए । अभी दो रुपया है। उसको ही मुकर्रर कर दिया जाए ताकि किसान के अन्दर गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रहे और किसान ऊख की अच्छी खेती कर सके और अच्छी पैदावार ऊख की हो सके ।

उन्होंने आग लिखा है जहां तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सवाल है :

> "महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में स्थित मिलों ने अपने संतुलन पत्रों में ६० लाख से १ करोड़ रु० प्रति वर्ष का लाभ दिखाया है जब कि बिहार में बड़े से बड़े मिल ने १९६०–६१ में, जब कि गन्ने की अच्छी फसल हुई थी, अधिक से अधिक १० से १२ लाख रु० का लाभ कमाया ।"

किसान को दो रुपया मिलने के सवाल का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं । किसान होने के नाते, मैं समझता हूं कि किसान को जितना ज्यादा मिल सके मिले । उसकी हालत दयनीय है । उस दयनीय हालत में उसको जितना अधिक मिले, उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी । लेकिन यह चीनी और गुड़ का जो सवाल है यह बहुत पेचीदा सवाल हो गया है । मैं चाहता हूं कि इस पेचीदा सवाल का हल सुलझाने के लिए आप एक कमिशन की नियुक्ति करें या कोई आप डिपार्टमेंटल इनक्वायरी करायें और सारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत आदि सभी जगह पर शूगर की क्या पोज़ीशन है, इंडस्ट्री की क्या पोज़ीशन है, ग्रोअर की क्या पोज़ीशन है, इसका पता लगवायें । इन सब बातों की जांच करवा करके आगे के लिए आप प्लानिंग

करें और उसके मुताबिक दाम निर्धारित करें। इस काम को जितनी जल्दी आप कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

दो रुपये की जो घोषणा हुई है, वह तो किसान को मिलना ही चाहिये। महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर जो भी आप करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।

अन्त में मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं और जो भी किसान को सुविधायें दें, वे उसको उपलब्ध की जानी चाहियें। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि में जो रिकवरी के साथ गन्ने की प्राइस लिंक की गई है, उसकी मैं ताईद करता हूं। लेकिन साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारी सुविधाएं, जैसे खाद की, पानी की, अच्छे बीज की, लोन की, किसान को मिलनी चाहियें। इस ओर भी आपका विशेष ध्यान जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : मैं हाउस में सवेरे से बैठा हुआ हूं। कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। मैं खेती करता हूं। एक बीघा खेत जोत कर अपनी फसल का नुक्सान करके आया हूं। तीन फसलों का नुक्सान करता हूं, तब एक फसल गन्ना पैदा कर पाता हूं। तब कहीं वह गन्ना देश के लिए मैं दे पाता हूं। आपने दो रुपया मन की घोषणा की है। हमारे अपने भाइयों ने और मैंने भी ढाई रुपये की मांग की थी। अपोज़ीशन के आनरेबल मैम्बर जो सहारनपुर से आते हैं, तथा दूसरों ने भी मांग की कि बड़ी अनुकम्पा हो जाए अगर ढाई रुपया भाव कर दिया जाए। मैंने यह मांग पहले भी की थी और आज भी करता हूं। मैं देख कर आया हूं। मिलों में स्ट्राइक चल रही है। कारण क्या है। मैं किसान हूं, मेहनत करता हूं, गर्मी में बैसाख के महीने में पानी खेतों को देता हूं, चार पांच पानी देता हूं और ऊपर से नीचे तक का पसीना एक करके काम करता हूं। हमारे भाई लोगों ने तो किताबों में से कई बातें कही हैं, उनमें से पढ़ कर आपको सुनाया है। मेरे हाथ में कोई काग़ज़ नहीं है, कोई किताब नहीं है। मैं पांच रुपये नहीं कहता हूं, चार रुपये नहीं कहता हूं, दो रुपये नहीं कहता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जितने रुपये मन चीनी, उतने ही आने मन गन्ने का भाव होना चाहिये। अगर चीनी चालीस रुपये मन बिकती है तो हम को भी आप चालीस आने मन गन्ने के दे दीजिये। यह सीधा सादा हिसाब है। इस में कोई विरोध नहीं होना चाहिये।

आप देखें कि ब्लैक मार्किट में दो रुपया सेर चीनी बिक रही है। मैं उस हिसाब से गन्ने का भाव नहीं मांगता हूं। मैं तो गवर्नमेंट के भाव पर ही गन्ने का भाव मांगता हूं। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो माननीय मंत्री जी खुद जा कर इस बात की जांच कर सकते हैं। शाम के वक्त काली शेरवानी पहन कर वह बाजार जा सकते हैं ताकि उनको कोई पहचान न सके और इसकी जांच कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि राजाओं के ज़माने में, नवाबों के ज़माने में, मुसलमानों के ज़माने में, बादशाह लोग जाते थे और मार्किट का भाव पता लगाते रहते थे। अलाउद्दीन के ज़माने में प्राइसिस फिक्स्ड थीं और क्या मजाल किसी की कि अधिक कीमत किसी से वसूल कर ले।

आज नैशनलाइज़ेशन का सवाल भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि शूगर इंडस्ट्री का नैशनलाइज़ेशन कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक आप शूगर मिल्ज़ का नैशनलाइज़ेशन नहीं करते हैं, तब तक किसान को सही दाम नहीं मिल सकते हैं और न ही चीनी की समस्या कभी हल हो सकती है।

विदेशों में भी चीनी हम को भेजनी है। वहां पर भी चीनी की मांग है। वहां पर दाम ऊंचे हैं। किसान को भी आप ऊंचे दाम दीजिये, वही दीजिये जो वहां मिल रहे हैं। आप हम को दीजिये,

[श्री शिव नारायण]

हम आपको पैदा करके देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि गेम न खेली जाए । मैं न इस मिल की एजेंटी करता हूं और न ही उस मिल की एजेंटी करता हूं । मैं किसान हूं । मैं गवर्नमेंट से खुला हिसाब मांगता हूं । क्लीयर कट हिसाब मांगता हूं । मैं निष्छल हूं, साफ सुथरा किसान हूं, इंसाफ चाहता हूं । मैं ईस्टर्न यू० पी० से आता हूं जहां पर गरीबी का बोलबाला है । वहां पर लोग मुसीबतों के शिकार हैं । हम सत्तू खा कर रहते हैं, शीरे का पानी पी कर रहते हैं । जिस तरह से गरीबी हल हो सके, वह काम आपको करना चाहिये । सोशलिज्म का नारा आप लगाते हैं । मैं कहूंगा कि आज इसके बारे में भी डू आर डाई का नारा लगना चाहिए जैसा नारा कि हमने १९४२ में अंग्रेजों को निकालने के लिए लगाया था । मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में आप एक दाम रखिये । महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश ण, बिहार में सभी जगह एक दाम दीजिये । आपका साथ किसान देने के लिए तैयार हैं । यह किसान की गवर्नमेंट है, पूंजीपतियों की गवर्नमेंट नहीं है, मिल मालिकों की नहीं है । यह गवर्नमेंट भूखों, नंगों, गरीबों की है । किसानों का इस गवर्नमेंट में विश्वास है । मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मेन आप गन्ने का भांव किसान को दीजिये । यह बहुत ही जैनुइन मांग है । कोई ज्यादा मांग नहीं हम करते हैं । हम फ्लैट रेट मांगते हैं । फूड मिनिस्टर खुद किसान हैं । सहारनपुर वाले, शेरवानी वाले खुद किसान नहीं हैं, किसी से अपनी भूमि को जुतवाते हैं । वह जानते नहीं हैं कि कैसे खेती होती है, फसल कैसे उगाई जाती है । वह हमारी कमाई पर ज़िन्दा हैं । खेत में हल मैं चलाता हूं । मेरे बाप दादा चलाया करते थे । इसका मुझे गुमान है । नंगे भूखे किसान हल चला करके, अपना गुज़र बसर किसी तरह से करते हैं । खेत हमें मिलने चाहियें । अगर यह कर दिया जाता है तो जितना गन्ना आप कहेंगे हम आपको देंगे । आज ज़मीन बड़े बड़े लोग लिये बैठे हैं, जिसका नतीजा होता है कि पैदावार कम होती है और हम को विदेशों से भीख मांगनी पड़ती है । असल में जो खेती करता है, उसको भूमि मिलनी चाहिये । आज हालत यह है कि बड़ी बड़ी ——— वालों के नाम ज़मीने लिखी हुई हैं । जो खेती करता है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है । मेरी गुज़ारिश है कि जो परती ज़मीन है, वह हम को आप दें, किसान को आप दें, और किसान आपको जितना आप चाहेंग, पैदा करके देगा और आपको दुनिया से भीख मांगने की जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी । मुनासिब दाम किसान को आप दीजिये । ढाई रुपये मन की मैं मांग करता हूं । मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं । मैं चाहता हूं कि इस का श्रेय आप पी० एस० पी० वालों को न दीजिये, हमें दीजिये । गेंदा सिंह जी को न दीजिये, हमें दीजिये । शिव नारायण को दीजिये । हमारी बात चलनी चाहिये । हम प्रेक्टीकल बात करते हैं ।

जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है, इसको जाने दीजिये आप दिल्ली में, खोल दीजिये आप इसको । मार्किट का भाव चलने दीजिये । कोई कंट्रोल न रखिये । अगर आप ने ऐसा किया तो सब जगह यह मिलने लग जाएगा । गुजरात की बात की जाती है । कहा जाता है कि वहां गुड़ बहुत कम मिलता है । अस्सी रुपये मन बिक रहा है । वे लोग अपने हर खाने में गुड़ का प्रयोग करते हैं । जाने दीजिये गुड़ को वहां । क्यों प्रतिबन्ध आप लगाये हुए हैं । हम गरीबों को भी कुछ अधिक पैसा मिल जाने दीजिये । खास तौर पर गन्ने का भाव आप ढाई रुपये कर दीजिये । कितने ही कांग्रेस वालों ने इसकी मांग की और तब आपने माना और दो रुपया का भाव दिया । आप को चाहिये कि आप ढाई रुपया दें । गदा सिंह जी को श्रेय इसका न दीजिये । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे और महाराष्ट्र में तथा दूसरी हर जगह पर एक सा दाम दें ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस सैशन के अंतिम दिन और बहस के लगभग अन्त में आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने

का अवसर प्रदान किया है । मेरा इस विषय से बहुत अधिक सम्बन्ध है । जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर चौदह शूगर फैक्ट्रीज़ हैं और किसी समय, आज से कोई पांच साल पहले उत्तर प्रदेश में सारी चीनी का ६० प्रतिशत उत्पादन होता था जो अब गिर गया है, कम हो गया है । शुगर इंडस्ट्री की रक्षा के लिये, जिस का महत्व भारत में दूसरे नम्बर पर है, वर्तमान खाद्य मंत्री ने जो कदम उठाया है, उस के लिये उन को भी धन्यवाद देना है । पिछले साल या इससे कुछ पहले जिस समय भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्री श्री पाटिल ने वैज्ञानिक बातों का हवाला दे कर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की नई नीति को अपनाया था उस समय मैंने इस बात का संकेत किया था कि यदि इस समय आप उसको कार्यान्वित करते हैं तो भारत के उन किसानों का, जो सीधे गांव से आते हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, उनका नुकसान हो सकता है । जिस समय श्री पुरी साहब मूल्य निर्धारण नीति का समर्थन कर रहे थे उस समय मैंने उन से एक प्रश्न किया था कि क्या होगा ऐसी फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में जिनका प्रबन्ध खराब है और जिन की मशीनरी खराब होने के कारण, जिन का प्रबन्ध खराब होने के कारण, चीनी का प्रतिशत कम होता है । इसमें किसानों का क्या दोष होगा । इस बात की आशंका मैंने पार साल प्रकट की थी और वह अक्षरशः मेरे जिले में सामने आई है । एक स्थान है रामकोला, जहां पर एक चीनी फैक्ट्री का प्रतिशत १०.१ है और उसी गांव में दूसरी फैक्टरी की चीनी का प्रतिशत ९.५ है, लेकिन गन्ने के भाव दोनों जगहों पर एक तरह के रक्खे गये हैं । इस से वैज्ञानिक ढंग से गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि कहीं किसानों की गलती से नहीं बल्कि फैक्टरियों की गलती से किसानों के उत्पन्न किये हुए गन्ने के भावों पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है । यह सही है कि आप वैज्ञानिक ढंग अपनायें, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की ग़लती के कारण से प्रतिशत कम होता है ता उसके लिये आप कोई उपाय करें । यह ढंग रीजनवाइज अपनाया जाना चाहिये न कि खास खास जगहों की फैक्ट्रीज को ले कर के । केवल एक एक फैक्ट्री को अलग अलग न लेना चाहिये बल्कि किसी एरिया में चीनी का प्रतिशत जो बढ़ता है उस के अनुसार आप मूल्य निर्धारित करें ।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जो परसेन्टेज चीनी का न्यूनतम रक्खा गया था ९.८ उसको वर्तमान खाद्य मंत्री ने ९ प्रतिशत रख कर मूल्य निर्धारण की नीति अपनाई । इस से एक दो लाख नहीं, बल्कि लगभग एक करोड़ गन्ना उत्पादकों को सन्तोष हुआ है, और आशा है कि उस उद्योग में जो कि भारत में महत्व की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है, जिस का निर्यात भी देश के बाहर हो रहा है, कुछ स्थिरता आयेगी । लेकिन यह आशंका है कि अगर अगले साल फिर परिवर्तन हुआ, हर साल परिवर्तन होते जायें तो इस उद्योग धंधे में और किसान की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने में बाधा डाल सकते हैं । जिस तरह से कुछ साल पहले स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई के समय में, यह नीति अपनाई गई थी कि लगभग एक साल पहले नई बोआई के पहले किसानों को उस की पैदावार का मूल्य बतला दिया जाये, उस के बदले मैं चाहता हूं कि कम से कम आप शुगर इंडस्ट्री के लिये और पंच वर्षीय योजना के लिये केवल यह न सोचें कि हमें कितना गन्ना पैदा करना है और हमें कितना चीनी का उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि हम यह भी सोचें कि दो या तीन साल तक हम भाव में कितना अन्तर कर सकते हैं । वह अन्तर कम से कम होना चाहिये । चाहिये तो यह कि एक साल नहीं, दो तीन साल के लिये निश्चय कर लें कि पिछली बातों को ध्यान में रख कर मल्य निर्धारण की बात तय करें । यह समस्या आज है ।

2 रुपये मन की बात हुई । क्यों हुई । वह इस कारण हुई कि दक्षिण में जहां कुछ भी उत्पादन नहीं था वहां चीनी का उत्पादन बढ़ा है और उत्तर भारत में, खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादन कम हुआ है । उत्तर प्रदेश में जहां सारे भारत के उत्पादन का ६० प्रतिशत हुआ करता था वहां वह घट कर ४५ प्रतिशत हो गया है । बिहार की बात यह है कि पिछले तीन चार साल में चीनी का उत्पादन तिहाई कम हो गया है इस लिये इस उद्योग धन्धे पर, जोकि रीढ़ था, आधार था, खतरा था । एक देश

[श्री शिव नारायण]

में उत्तर और पश्चिम में जो भेद भाव पैदा हो गया था, उस को मिटाने के लिये और इस उद्योग धंधे को ऐसी स्थिति में लाने के लिये जिसमें हम न केवल आत्म निर्भर हों अपने देश के अन्दर बल्कि हम उसको बाहर भी भेजें क्योंकि दुनिया में मांग बढ़ रही है, मूल्य निर्धारित किया गया। इस के लिये मैं उस इलाके की तरफ से जो गरीब है मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही यह कहा गया कि चीनी का प्रतिशत बढ़ावे और उस के अनुसार कर हम गन्ने के मूल्य का निर्धारिण करें। इस के लिये जो साधन हों उन के लिये भी आप प्रयत्न करें। जिस तरह से इतनी उलझी हुई समस्या को, जो पाटिल साहब के समय में पैदा हो गई थी, सुलझाने के लिये मंत्री महोदय ने जो निःसंकोच कदम बढ़ाया है, तथा उसमें सफलता प्राप्त हुई है और हम को उससे सन्तोष हुआ है, वहां यह भी है कि जो सैस का मामला गन्ने के मूल्य के साथ हुआ है उस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। या तो सेस से लाभ उठावें, गन्ना उत्पादक या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लाभ होता है तो उस लाभ को आप जनरल बजट में इस्तेमाल करके इस उद्योग की सहायता करें। आज गन्ने के उत्पादन में कमी की जाती है, आज फर्टीलाइजर के नाम पर, खाद देने के नाम पर या दूसरी चीज के आधार पर जो सैस दिया जाता है उस को आप ले लेते हैं लेकिन चीनी उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिये, जिसके लिये वह लिया गया था, उस में आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस के लिये केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में हो या प्रदेश सरकार के बारे में हो हर तरफ से आवाज उठेगी। यह बिल्कुल उचित बात है कि जिस चीज के नाम पर पैसा लिया गया उस उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिये आप सुविधा दें और उस के पैसे का इस्तेमाल उसी चीज के लिये करें।

इस के साथ ही साथ जहां तक सुक्रोज की बात है, अब जो रिकवरी होती है उसके ऊपर मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन इस के सम्बन्ध में आप भूल जाते हैं कि खेती करने वाले का कितना खर्च होता है। आज एक सरकार का अपना राजकीय फार्म है। चाहे सूरतगढ़ फार्म में अभी गन्ने का उत्पादन होता हो या न होता हो, लेकिन कुछ दिन पहले जो एशिया का सब से बड़ा फार्म था वह उत्तर प्रदेश की तराई का स्टेट फार्म है, वहां लाखों मन गल्ला हर साल पैदा होता है। वहां पर उत्पादन की लागत जो होती है उस का भी ध्यान रख कर मूल्य निर्धारित किया जाये तो अच्छा होगा। वर्षों तक सरकार इस बात को टालती गई है। इससे अनेक प्रकार की शंकायें पैदा होती हैं। इस से विरोधी दलों के लोगों को उचित या अनुचित बातें जो कहने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप के पास कोई मौलिक आधार होगा जिस के ऊपर आप मूल्य निर्धारित करेंगे तो चाहे गन्ने का मूल्य बढ़े चाहे घटे या वैसे ही रहे, लेकिन उन को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। आप के पास तथ्य होगा जिस के आधार पर सब लोगों को उसे समझाने में आसानी हो सकती है।

उत्तर और दक्षिण में अन्तर करने की बात यहां पर नहीं है। जो २ रुपया फी मन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में वह बिल्कुल सही है। मूल्य और भी बढ़ सकता हो तो बढ़े। उस का स्वागत है, लेकिन साथ साथ दक्षिण के लोगों को भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करना चाहिये, जोकि समय समय पर अवश्य हो जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रीज सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी हैं तो उनका स्थानान्तर कर दिया जाये। यदि कभी ऐसा अवसर आया तो उस का भयंकर विरोध होगा चाहे हम लोगों की तरफ से हो चाहे विरोधी दलों की तरफ से हो लेकिन फैक्ट्रीज के स्थानान्तर का विरोध बहुत जोर से होगा।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ दो या तीन बातों की तरफ खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन में बहुत से

माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, केवल श्री शिव नारायण जी को छोड़ कर क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बड़ी गरम गरम तकरीर कर के शायद वोट हासिल करने की कोशिश की है। मैंने भी काशी नाथ पा"डेय और पुरी साहब की बातें सुनी। उन्होंने पिछली दफा यह तर्क दिया कि गन्ने के दाम, चीनी का दाम नहीं घटाना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान के जो उपभोक्ता लोग हैं वे चीनी का ज्यादा इस्तेमालन कर सकें बल्कि चीनी को और मंहगी करते जाओ। उन्होंने बहुत खुले रूप में तो नहीं कहा लेकिन उन की मंशा यह थी और तर्क भी इसी दिशा में था। आज उन्होंने एक नया तर्क उपस्थित किया कि ज्यादा गन्ना ोया जा रहा है। और अगर गन्ने का दाम बढ़ जायेगा तो लोग सारी खेती को छोड़ कर गन्ना बोयेंगे। इसलिये गन्ने के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने चाहियें, हालांकि ऊपरी मुंह से कह दिया कि दाम बढ़ने चाहियें। दूसरी तरफ पुरी साहब ने फरमाया कि रिकवरी के आधार पर दाम होने चाहियें। हालांकि पिछली दफा उन्होंने कहा था कि उस का दाम 2 रुपये मन होना चाहिये। दिशा यही है कि 2 रुपये मन गन्ने का दाम हो जाये तो अच्छी बात है वर्ना कोई खास मोह बत नहीं है शिव नारायण जी को, यह मैं मानता हूं। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि गन्ने के दाम में आप को एकरूपता लानी होगी। मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरी तरफ एक देवता होता है जिस का नाम है कंकड़ बाबा। उसे दूध पिलाओ तो प्रसन्न नहीं होता, जा कर पैर लागो तो खुश नहीं होता। रास्ता चलते हुए लोग उस को कंकड़ मारते हैं। यह दशा हमारी सरकार की है। जब भी आप देखिये हड़ताल होती है, लगातार दस वर्ष से हम देखते हैं कि गन्ने के दाम पर झगड़ा होता है। आज भी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और दूसरे जिलों में हड़ताल होती है। आज आप ने गुड़ के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। दिल्ली से ही नहीं बल्कि किसी जिले से भी वह बाहर नहीं जा सकता। उस को लोग तोड़ रहे हैं। राज्य सभा के एक माननीय सदस्य मुकुट बिहारी लाल जी के अलावा भी बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन वह भी गिरफ्तार हैं। आप खुद ही इस बात का अवसर देते हैं कि विरोधी पार्टियों के लोग इन सवालों को उ ायें। जब आप लोगों को जेल भेज देते हैं और मारामारी हो जाती है, तो आप उसी बात को मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि आखिर जो आप इतने लड़ाई झगड़े हो जाने के बाद उसी रास्ते पर आते हैं, इस में तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। हम तो तब जानते कि आप लड़ाई झगड़े के बाद भी न मानते। मैं चाहता हूं कि आप सीधे तरीके से किसानों की उचित मांग को मान लीजिये।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि ढ़ाई पये मन दाम दिया जाये। मुझे ऐतराज नहीं, वह पांच रुपयें मांगें। लेकिन यह सीधा सा फारमूला है कि जितने आने मन गन्ना हो उतने ही रुपये मन चीनी होनी चाहिए। आप इस फारमूले को मान लीजिए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा।

आज चीनी की क्या हालत है। उसमें चोरबाजारी हो रही है। और किसी कीमत पर चीनी हम को नहीं मिलती जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, हमारा आदमी वापस आ जाता है उसे चीनी नहीं मिलती दिन दिन घूमने के बाद भी। आप की जिम्मेदारी है देश को चीनी देने की। खाद्य समस्या पर बहस के दौरान कहा गया था क सारी दुनिया में खाद्यान्न की कमी है इसलिये यहां भी कमी है, लेकिन चीनी की कमी देश में नहीं है। मिल मालिक चीनी की चोरी कर रहे हैं। वह जानते हैं कि बाहर के बाजारों में चीनी का भाव ज्यादा है इसलिये यहां भी उपभोक्ता को चीनी ठीक दाम पर मत मिलने दो। हम तो गांव से आते हैं। हमारे यहां घरों में चीनी नहीं खायी जाती। अगर हमारे यहां घरों में चीनी खायी जाये तो चीनी का देश में पता भी न लगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाये। जब यह तिबन्ध नहीं था तो गुड़ ४० रुपये और ६० रुपये मन बिकता था, लेकिन आज प्रतिबन्ध के कारण गुड़ का भाव १८ रुपये मन है।

श्री स्वर्ण सिंह : कहां है ?

श्री सरजू पाण्डेय : हमारे यहां गाजीपुर में है। आप जितना चाहें गुड़ इस भाव पर ले सकते हैं। गड़ बाहर नहीं जा रहा है इसलिये वहां व्यापारी उसे कम दाम पर खरीद रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से बिल्कुल प्रतिबन्ध हटा लीजिये।

दूसरा निवेदन यह है कि चीनी को सस्ता कीजिये और जो हड़तालें आदि हो रही हैं इनको खत्म करने का यत्न कीजिये। इस चीज को तिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। विरोधी पार्टी का कोई आदमी खामखाह झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। यहां तो हमने देखा है कि कांग्रेस के सदस्य भी इस मामले में हां हां कह देते हैं और गन्ने का दाम ज्यादा मांगते हैं क्योंकि उन को मालूम है कि ऐसा न करने से उन को आगे वोट नहीं मिलेंगे। वह भी कह देते हैं कि दो रुपये मन भाव मिले।

श्री शिव नारायण : मैंने तो पिछले सेशन में भी ढाई रुपये की मांग की थी, और नेशनेलाइजेशन की मांग की थी।

श्री सरजू पाण्डेय : हम कहते हैं कि यह बात कांग्रेस सदस्य डर के मारे कहते हैं। और वहां जा कर कह देते हैं कि हम क्या करें मिनिस्टर नहीं मानता, हमने तो कहा। मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य भी इस के लिये तैयार हों तो मैं भी तैयार हूं कि अगर सरकार गन्ने का दाम दो रुपया मन न करे सारे देश में और चीनी की कीमत न घटाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें चाहता हूं। लोगों ने कहा कि रिकवरी ठीक नहीं बतायी जाती और मोलासेज और खोई का दाम नहीं लगाया जाता। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। ये तर्क पिछले दस साल से दिये जाते रहे हैं। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाए और चीनी को सस्ता किया जाए ताकि जो झगड़े हो रहे हैं ये खत्म हों और चीनी मिलों को ठीक से गन्ना मिले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप को सफर करना होगा। हम गलत आलोचना नहीं करते और किसानों को भड़काना नहीं चाहते। हम तो यह चाहते हैं कि ईमानदारी से किसानों को उचित मूल्य दिया जाए ताकि जनता का भला हो

श्री विश्वनाथ राय : गन्ने का दाम कम करने के लिए हाउस में आप कहते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : इसमें सन्देह नहीं कि गन्ने की कीमत का सवाल बड़ा पेचीदा है लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि सरकार जोर दबाव के सामने घुटने न टेके तो यह समस्या बड़ी आसानी से हल की जा सकती है। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि १९५३ के बाद गन्ने की कीमत दूनी बढ़ाये जाने के बाद भी किसानों की, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ कर, अन्य सभी स्थानों पर वही कीमत मिल रही है जो १९५० में थी। किसानों की हालत आज इतनी खराब है और अनेक तरीकों से उनका इस प्रकार शोषण किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही यह मांग सामने आयेगी कि चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जब तक कि खाद्य तथा कृषि मंत्री इस समस्या की छानबीन करने तथा किसानों को तुरन्त ही कोई मदद पहुंचाने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त नहीं करते तब तक किसानों का यह असन्तोष दूर नहीं होगा। यदि सरकार इस समस्या को पूरी तरह हल करने में असमर्थ है और वह गन्ना पैदा करने वाले किसानों को न्यूनतम मूल्य नहीं दे सकती तो बेहतर होता कि सरकार सारी जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच ले और चीनी के उत्पादन और मूल्य पर से नियंत्रण हटा ले। माननीय मंत्री से मेरी पुनः

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रार्थना है कि वे इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और गन्ना पैदा करने वाले किसानों की तुरन्त मदद करें ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : इस सभा ने चीनी और गुड़, गन्ने की कीमतों और उससे सम्बन्धित विषयों पर पिछले तीन-चार महीनों में तीन बार चर्चा की है । इस अधिवेशन में भी उन पर काफी लंबा और विस्तृत वाद-विवाद हुआ है ।

मैंने १२ दिसम्बर, १९६३ को इस सभा में एक वक्तव्य दिया था और उस समय दो महत्वपूर्ण निश्चय भी घोषित किये थे । पहला निश्चय यह था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के शेष चीनी कारखाने २ रु० प्रति मन गन्ने का दाम दे सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये और दूसरा यह था कि साथ ही रिकवरी फार्मूला में ७ नये पैसे की सामान्य वृद्धि की जाये ताकि प्रतिशत या उससे कम की प्राप्ति (रिकवरी) के स्तर पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य १.७५ रु० फी मन हो और अन्य स्तरों पर मूल्य उसी के अनुसार बढ़ाये जायें ।

मैंने दोनों ओर के माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं और किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कीमत २ रु० तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिये और न ही किसी ने यह कहा कि ९ प्रतिशत रिकवरी के स्तर पर ७ नये पैसे की वृद्धि गलत है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि इन दो विषयों के सम्बन्ध में इन निश्चयों का सदन के सभी पक्षों ने स्वागत किया है ।

मैं यह भी भलीभांति जानता हूं कि इस बारे में कई अन्य बातें संगत तथा असंगत कही गई हैं । इसलिए मैं सारी स्थिति को बड़े निष्पक्ष प्रकार से सामने रखना चाहता हूं ।

इतिहास यह रहा है कि चीनी उद्योग, अनेक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से हो कर गुजरा है जबकि कभी तो गन्ने का दाम ज्यादा रहा तो कभी कम, कुछ वर्षों में उत्पादन अधिक रहा और कुछ में कम । इसी तरह किसान को दिया जाने वाला गन्ने का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने में भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तरीके अपनाये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक समय सारे देश में वह मूल्य गन्ने की तौल पर निर्भर होता था और उसका रिकवरी से कोई सम्बन्ध नहीं होता था । बाद में चलकर इस सम्बन्ध में अधिक वैज्ञानिक और युक्तिसंगत तरीका अपनाया गया कि मूल्य रिकवरी के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा । कुछ माननीय सदस्यों ने इस आधार पर इस की आलोचना की कि वास्तव में उसे लागू करने और क्रियान्वित करने में कुछ खराबियां हैं । हम वह दोष दूर कर सकते हैं । इस बारे में मतभेद हो सकता है कि न्यूनतम मूल्य क्या हो और वह किस स्तर पर निर्धारित किया जाये लेकिन मोट तौर पर इसमें सभी एकमत होंगे कि मूल्य की प्राप्ति (रिकवरी) से सम्बन्धित करने का निश्चय एक सही कदम है । उसमें किसान को अपने गन्ने की किस्म सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वह अधिक अच्छी खेती के तरीके अपनायेगा जिससे गन्ने में सूक्रोज तत्व अधिक हो सकें । मैं इस बात से सहमत हूं कि दोष दूर करने का हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये, लेकिन यह एक सही कदम है ।

एक और बात का उल्लेख मैं करना चाहता हूं । वह यह है कि पहले अधिकांश चीनी उत्तर प्रदेश और बिहार में तैयार होती थी और देश में कुल खपत भी कम थी । अब जब खपत बढ़ गयी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

है तब यह जरूरी हो गया है कि चीनी तैयार करने की क्षमता भी बढ़ायी जाये । लेकिन यह सभी जानते हैं कि एक फसल की जगह दूसरी फसल पैदा करने में किसानों को कुछ समय लगता है । उसके लिए आपको कुछ परिस्थितियां निर्माण करनी होती हैं जिनमें किसानों को एक फसल की जगह दूसरी फसल पैदा करने में मुनाफा दिखायी दे । जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जब यह आवश्यक हो गया कि उन क्षेत्रों में भी चीनी उद्योग स्थापित किया जाय जहां कि अच्छे किस्म का गन्ना पैदा किया जा सकता है, तब दक्षिण में और महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चीनी कारखानों की स्थापना के लिए कुछ निश्चित और ठोस कदम उठाये गये । सरकार ने उस क्षेत्र के कारखानों को चीनी की अधिक ऊंची कीमत देने का निश्चय किया । इस मामले में कुछ लोग सरकार पर भेदभाव का आरोप इस आधार पर लगा सकते हैं कि सरकार ने उन्हें उचित स्तर से अधिक ऊंचे स्तर के आधार पर मूल्य दिया है ।

यह सब इसलिए किया गया था कि दोनों बातें विश्वस्त हो जायें । पहली बात यह है कि सारी चीज एक ही क्षेत्र में केन्द्रित न हो जाय । दूसरा यह कि क्षमता का प्रयोग अन्य स्थानों पर भी हो । यह भाड़े की सुविधा है जो कि दक्षिण अथवा महाराष्ट्र में स्थापित कारखानों को दी गयी है । सरकार ने किसी भेदभाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया परन्तु उसका लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाना होता है । सदन की जानकारी के लिये मैं वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । हम एक नीति के रूप में ही इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जाय । हम इस प्रकार का वातावरण पैदा करते रहे हैं कि विशेष क्षेत्रों में यह उद्योग विकसित हो ।

यह भाड़ा सुविधा के बारे में स्पष्टीकरण कर देना भी ठीक होगा । कारखाने का नियंत्रण किये मूल्य में वास्तविक लागत जमा कर के प्रशुल्क आयोग द्वारा अधिकृत रूप में निर्धारित नफा और गन्ने की कीमत । इस १९६३-६४ के काल में दक्षिण तथा महाराष्ट्र में जो कीमतें नियंत्रित की गयीं वे अधिक थीं । हालांकि वे प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही थी । महाराष्ट्र में जो गन्ने का मूल्य अधिसूचित किया गया वह १.७५ रुपये प्रति मन था । इसकी ९ प्रतिशत वसूली थी । इसकी कीमत १०६.५० रुपये प्रति क्विंटल बैठती है परन्तु कारखाने की कीमत ११५ रुपये प्रति क्विंटल है । मद्रास में यह १०९.८ रुपये प्रति क्विंटल बैठती है । आंध्र प्रदेश में ११०.८ रुपये है, परन्तु नियंत्रित दाम ११५ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ था । केरल में उत्पादन बहुत ही कम हुआ । महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों के कारखानों के मुकाबले में अधिक नफा रखा । व्यय अनुसूची का जो हिसाब प्रशुल्क आयोग ने लगाया था, उससे कहीं अधिक पूंजी से महाराष्ट्र में कारखाने स्थापित हुए । इससे ३ रुपया प्रति क्विंटल चीनी का मूल्य अधिक फैलता है । महाराष्ट्र के कारखानों ने गन्ना उत्पादकों को पुराना ही मूल्य दिया । इसका जो भी अतिरिक्त मूल्य था वह भाड़ा सुविधा में से अदा किया । वास्तव में महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं को अतिरिक्त मूल्य अपने सदस्यों को इसी सुविधा लाभ में से देना चाहिये ।

महाराष्ट्र तथा दक्षिण के लिए तब तक यह तर्क संगत भी है जब तक कि वहां चीनी की कमी है । अब दक्षिण इस मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि अब तो वहां आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है । वर्ष १९५३-५४ में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और केरल में सब मिल कर अपनी जरूरत के मुकाबले में आधी के लगभग उत्पादन करते थे । वर्ष १९५९-६० में व सब आत्मनिर्भर हो गये । गत तीन वर्षों

में वहां उत्पादन जरूरत से अधिक हो गया । महाराष्ट्र में वर्ष १९५२–५३ में चीनी का उत्पादन १.३५ लाख टन था, जोकि १९६२–६३ में ५.३० लाख टन हो गया । अब वहां इस भाड़ा सुविधा को जारी रखना ठीक नहीं है । परन्तु फिर भी इसे इसलिए जारी रखा जा रहा है ताकि बम्बई तथा दक्षिण में यह उद्योग एक स्तर पर आ जाये । और गन्ने के मूल्य को अग्रेतर बढ़ा कर उपभोक्ता मूल्य को बढ़ाना ठीक ही है । उत्तर में विशष हालात में यह सुविधा चालू वर्ष में ही दी गयी है ।

मैंने निष्पक्ष ढंग से वस्तुस्थिति आप के समक्ष रखी है । मैं तर्क नहीं दे रहा हूं । परन्तु इस से यह अवश्य जाहिर होगा कि और जो चाहे आरोप लगाया जाय परन्तु यह आरोप लगाना कि सरकार ने दक्षिण के साथ, महाराष्ट्र के साथ या देश के किसी अन्य भाग के साथ कारखाने स्थापित करने में पक्षपात किया है, गलत है । यह कहा गया कि उत्पादक को कम से कम २ रुपये की दर से गन्ने का मूल्य दिया जाना चाहिए और सारे देश में अग्रेतर मूल्य इसी आधार पर परिगणित किये जायें । यह मांग करना तो उचित है परन्तु भेदभाव का आरोप लगाना गलत बात है क्योंकि उत्तर में भी अग्रेतर परिगणना के लिये २ रुपये आधार नहीं माना गया । इस आधार पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में २ रुपये से अधिक मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगे । परन्तु हमारा यह उद्देश्य नहीं है । हम सोच विचार कर उसी निश्चय पर पहुंचे थे कि मूल्य में बढ़ौती समस्त देश में एक समान की जाय, जो वसूली के आधार पर उत्पादक को दी जायगी, और इसी आधार पर सारे देश में ७ नये पैसे दिये गये हैं ।

मैं एक बात आप को स्मरण कराना चाहता हूं कि इस वर्ष सारे देश में मूल न्यूनतम मूल्य में 25 नये पैसे की बढ़ौत्री हो गयी है इस बात को भुला ही दिया गया है और माननीय सदस्यों ने इस की चर्चा ही नहीं की । यह बढ़ौत्री सारे देश पर लागू है । कुछ कारखानों और क्षेत्रों को इस बढ़ौत्री का लाभ नहीं हुआ क्योंकि समूचे निर्धारण के परिणामस्वरूप सरकार इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन क्षेत्रों में गुड़ और खांडसारी के साथ चीनी की इतनी प्रतिस्पर्धा है कि बढ़ौत्री के कारण उचित मात्रा में गन्ने का सम्भरण वहां पर नहीं हो सकेगा । इस का उल्लेख १२ दिसम्बर के मेरे वक्तव्य में नहीं वरन, उस से पहले दिये गये वक्तव्य में था । परन्तु इस समय हम केवल १२ दिसम्बर के वक्तव्य पर ही चर्चा कर रहे हैं । उसमें केवल एक पहले से मान्यता प्राप्त सिद्धान्त को कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया है जिन क्षेत्रों को इसलिये उसकी सीमा में नहीं लाया गया था क्योंकि हम समझते थे कि वहां गुड़ के साथ प्रतिस्पर्धा जारी हो जायेगी । इसलिये, मूल्य निर्धारण का मूल ढांचा वही है जो पहले थे । मैंने इसमें, सिवाय दो पहलुओं में कुछ ढील देने के, कोई नई बात नहीं की है । एक पहलू है कि ७ नये पैसे की बढ़ौत्री सारे देश में लागू होगी, जो उत्पादक को अदा किये जाने वाले मूल्य की अतिरिक्त परिगणना में लक्षित होगी । २ रुपये मूल मूल्य अथवा ९ प्रतिशत को मैंने देश में किसी जगह भी लागू नहीं किया । इसलिये भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यदि मैंने यह निश्चय किया होता कि यदि चीनी-प्राप्ति अधिक होगी तो उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तरी भाग में और अधिक मूल्य देने का आधार ९ प्रतिशत चीनी प्राप्ति है, तो इसमें कुछ औचित्य होता । अतः वहां चाहे कुछ भी हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि भेदभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता, विशेषकर जबकि यह आरोप वह माननीय सदस्य इस रूप में लगायें जिनके विचारों का मैं सर्वाधिक सम्मान करता हूं । जब मैंने देखा कि वह यह सब बहुत ही उत्तेजित होकर और यह समझे बिना कि उनके कहने का क्या अर्थ है, कहते हैं तो मुझे बड़ा ही दुःख हुआ । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि लाइसेन्स देने में सहकारी क्षेत्र पर उचित विचार नहीं किया जाता । उस समय मैंने अन्तक्षेप किया था और माननीय सदस्य ने भी मुझ

[श्री स्वर्ण सिंह]

से यह कहा था। मैं देखता हूं कि अब भी सारे मामले की जांच की जा रही है और किसी को भी कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र को यथासम्भव सहायता और प्रोत्साहन देने की सरकार की इच्छा है और यदि वे क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ते हैं तो हम प्रयत्न करेंगे कि उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाये। ऐसे मामले को आधार बना कर तर्क देना उचित नहीं है जो कि अभी निश्चित न हुआ हो। संसद् में मेरे सहकर्मी के कथनानुसार एक समिति लाइसेंस देने के लिए अनेकों प्रार्थना पत्रों पर विचार कर रही है। इसकी सिफारिशों का भी पता नहीं लगा है। यदि सूचना प्राप्त करने के साधन मेरे माननीय मित्र के मेरे मुकाबले में अधिक हैं, यदि किसी ने कोई मत प्रकट किया हो और उन्हें डरा दिया हो, तो मुझे उनसे सहानुभूति है, परन्तु मैं उनका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

सहकारी समितियों के लिए हानिकारक अतिरिक्त उत्पादन पर अधिक छट देने के बारे में उन्होंने जो बात कही थी वह मैं न समझ सका। यदि वे मुझे एक नोट दे दें तो मैं उसकी जांच करूंगा। यह अधिक उत्पादन पर सीधी सादी छूट है आरम्भ में जबकि चीनी प्राप्ति कम होती है तो दर कुछ भिन्न होती है। और जब प्राप्ति उच्चतम होती है तो यह दर अधिक उत्पादन पर २० प्रतिशत होती है। और जब अवधि के अन्त में यह उपलब्धि कम होने लगती है तो छूट ५० प्रतिशत होती है। कुल उत्पादन पर साल भर में प्रोत्साहन मिलता है परन्तु वह तीन भागों में बंटा होता है—प्रारम्भिक काल, उच्चतम प्राप्ति काल, और उत्तर काल। यह एक आर्थिक कार्यवाही है जिसका वही प्रभाव होना चाहिये चाहे यह कार्यवाही सहकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी लिमिटड कम्पनी हो या कोई अन्य संस्था हो। कुछ भी हो उन्होंने इस बात का अध्ययन अवश्य किया होगा और यदि कोई बात सहकारी समितियों के विरुद्ध जाती है तो मैं उनके और अपने बीच में विचार विमर्श का स्वागत करता या वह मुझे एक नोट दे सकते हैं। हमारी इच्छा ऐसा करने की नहीं है। और मुझे अभी तक यह विश्वास नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। यदि ऐसा है तो मैं इसे ठीक करने को तैयार हूं।

कुछ वैधानिक तथा संवैधानिक बातें कही गई थीं। मैंने भी विधि का अध्ययन किया था हालांकि आजकल मैं इसका सक्रिय रूप से प्रयोग नहीं करता हूं। मैं उनके यह कहने का आधार नहीं जानता कि विधान और संविधान की दृष्टि से यह ग़लत है। हमने क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहन देने के लिये सोच समझ कर यह निश्चय किया था। कुछ वर्ष पहले हमने महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ प्रदेशों को अधिक मूल्य दिया था। हम देखते हैं कि स्थिति यह है कि पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादन में एक तिहाई कमी हो गई है और इससे देश में बड़ी ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारी इच्छा उत्पादन बढ़ाने की है और इसलिये जिस क्षेत्र में आवश्यकता होती है वहां कुछ प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इसमें मुझे कोई भी संवैधानिक या वैधानिक बात नहीं दिखाई देती। जब एक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिये जाते हैं तो क्या हम इसे एक दृष्टि से और दूसरे क्षेत्र में दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं? यदि ऐसा ही किसी अन्य क्षेत्र में किया जाता है तो क्या यह भेदभाव तथा अवैधानिक होगा? हो सकता है कि कोई इसे पसन्द न करे यह बिलकुल ही भिन्न बात है। कोई इसकी जांच नहीं कर सकता है। परन्तु यह कहना कि यह अवैधानिक या असंवैधानिक है विश्वसनीय नहीं है।

मैं जानबूझ कर कृषि या गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साधारण मतों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन पर कुछ समय पहले विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। मैं इस बात

से सहमत हूं कि अगली फसल में बुआई होने से पहले उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य का पता लग जाय और अनेक सम्बन्धित बातों की जांच करने के बाद देश के विभिन्न भागों में दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य बतानेवाला और उसका आधार बताने वाला एक वक्तव्य दिया जायेगा। फलन्तु मैं गुड़ के बारे में यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार, आंध्र प्रदेश के अतिरेक राज्यों में भी आजकल के मूल्य लाभप्रद नहीं हैं। यदि मूल्य अलाभप्रद हो जाते हैं, तो हम यह विचार कर सकते हैं कि नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं। यदि कुछ है तो यह कि मैं कुछ कड़ी प्रवृत्तियां देख रहा हूं क्योंकि कुछ व्यापारी जो कि चालाक और मतलबी हैं देखते हैं कि कुछ दबाव डाला जा रहा है एवं कुछ तर्क दिये जाते हैं। वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार नियंत्रण हटाती है या उसमें कुछ ढील देती है या नहीं। अतः मैं एक बहुत ही स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हम स्थिति का बड़े ही ध्यान से परीक्षण कर रहे हैं और मूल्यों के चिन्ताजनक भागों में गिरने पर ही हम परिवर्तन करेंगे। हमें संतोष है कि वर्तमान मूल्य उन मूल्यों के मुकाबले में अच्छे हैं जो कि व्यक्ति को मिल की गुड़ देने पर मिलता है। यदि व्यापारी माल जमा करने और इस प्रकार मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें महान निराशा होगी बशर्ते कि वह यह सोचे कि सरकार इन कारणों से अपनी नीति बदल देगी। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में, जो गुड़ की उपलब्धि के लिये पूर्णतः दूसरे भागों पर निर्भर करते हैं, महसूस की जा रही कठिनाई की मुझे पूरी जानकारी है। निश्चय ही हम प्रयत्न करेंगे कि यहां उचित मूल्य पर जो गुड़ मिलता है वह पर्याप्त मात्रा में वहां भेजा जाय ताकि वहां उपभोक्ताओं को वह कठिनाई न हो जो उन्हें आजकल हो रही है।

हम समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ ठोस कार्यवाही करते हैं जिसके परिणाम स्वयं प्राप्त होंगे। गुड़ का मूल्य बहुत बढ़ गया था जो कि अन्त में उत्पादक के भी हित में नहीं है क्योंकि वे मूल्य केवल इस हालत में रखा जा सकता है जबकि चीनी और गुड़ के बीच का अन्तर उचित रूप में रखा जाय। यदि इसमें पूरी तरह गड़बड़ हो जाय तो अन्य बातें उत्पन्न होंगी और वह भूतकाल में उत्पन्न हुई है जबकि गुड़ का मूल्य बहुत ज्यादा गिर गया था। अतः हम स्थिति पर बड़ी सावधानी से नज़र रख रहे हैं और हमारी इच्छा उत्पादकों को उचित मूल्य देने की है क्योंकि हमने देश के उन सभी भागों में २५ न० पै० अधिक दिये हैं जहां होड़ अधिक है। हमने समूचा उत्पादन बढ़ाने के लिये एक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है क्योंकि इस वर्ष अगले वर्ष के लिये रखी जाने वाली मात्रा बहुत थोड़ी थी। मैं समझता हूं कि यह भी एक ऐसी कार्यवाही है जिससे व्यापार को संतोष प्राप्त होगा। व्यापार को ठोस कार्यवाही के मुकाबले और किसी मुकाबले में और किसी बात से विश्वास नहीं होता हम केवल इसी लिये न डरें कि निकट भविष्य पर अभी कुछ कठिनाई है। यह एक जटिल परिस्थिति है और मैं होने वाली कुछ कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यत्न करूंगा। लेकिन हमको इस मूल्य नीति पर सहमत होना चाहिये जो कि मैंने १२ दिसम्बर को वक्तव्य देते समय प्रकट की थी।

---

*राजस्थान में अकाल के बारे में चर्चा

श्री किशन पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि आजादी के १६ साल के बाद और योजना के एक युग के बाद, एक घोर अकाल की स्थिति के बारे में मुझे आलोचना शुरू करनी पड़ रही है।

---

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री किशन पटनायक]

जब देश के किसी भी इलाके में घोर अकाल की स्थिति आती है और लाखों आदमी और जानवर खतरे में पड़ जाते हैं, तो उससे एक तो यह साबित होता है कि योजना की नीतियां असफल रही हैं, और दूसरा यह कि सरकार के प्रशासन को लम्बा लकवा मार गया है और वह खत्म हो गया है। यह नीति के बारे में और प्रशासन के बारे में असफलता का परिणाम है कि इस युग में घोर अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है।

पहली बात मेरी यह है कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के और भी कई इलाकों में अभी भी अकाल की स्थिति है, जैसे उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके। कुछ इलाकों की स्थिति प्रचार न होने से अखबारों में ठीक ढंग से नहीं आ पाती जैसी कि राजस्थान की स्थिति आ गयी है। उड़ीसा में तो इस स्थिति का एक नतीजा निकला है, जो कि जाहिर हो गया है। उड़ीसा में दो हजार आदमी के करीब हैजे से मर जाना इसी अस्वाभाविक स्थिति का परिणाम है। इन मौतों का कारण अकाल के सिवाय और कुछ नहीं है लेकिन हैजे के कारण अकाल की स्थिति तो छिप गयी और हैजे की बात फैल गई। इस जमाने में, आजादी के १६ साल के बाद देश के एक इलाके में एक दो महीने में दो हजार आदमियों की इस तरह हैजे से मौत हो जाना यह बहुत शर्म की बात है।

यों तो एक दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कि निरन्तर अकाल की स्थिति रहती है, और हर राज्य में ऐसा एक एक इलाका होता है। और हिन्दुस्तान में जिस ढंग से योजना हुई है, उससे इलाकों में गैर-बराबरी बढ़ रही है। योजना एक चक्की है जोकि इन इलाकों को पीस रही है। एक तरफ तो हर राज्य में एक आडम्बर का इलाका होता है जहां योजना से लाखों रुपया खर्च होता है, फिजूलखर्ची होती है, और दिखावे के लिए कुछ आडम्बर की चीजें हो जाती हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और दूसरी तरफ अंधेरा रह जाता है। इस तरह से हिन्दुस्तान में एक अकाल का और क्षुधा का भूगोल है। हर प्रान्त में ऐसे अकाल वाले इलाके हैं जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, पंजाब का दक्षिणी इलाका, उड़ीसा का दक्षिणी इलाका, आन्ध्र का उत्तर इलाका। ऐसे इलाके हर प्रान्त में हैं जहां कि निरन्तर अकाल की स्थिति रहा करती है। और जब स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाती है, तब उसकी अखबारों में चर्चा होती है और हम संसद् में उसका जिक्र करते हैं कि अकाल की स्थिति हो गयी है। यह स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उसके प्रति हम लोगों की प्रतिक्रिया भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती।

अकाल का मसला इतना बड़ा मसला है कि इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि इस अधिवेशन के शुरू होने के पहले ही दिन से हम लोगों ने इस पर बहस के लिए कोशिश की, लेकिन आज आखिरी दिन इस पर बहस के लिए आध घंटे का समय दिया गया है।

राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है उसको भी अभी तक सरकार ने ठीक ढंग से नहीं माना है। हर अखबार में इसकी रिपोर्ट छप चुकी है कि राजस्थान की हालत कितनी खराब है। मेरे पास एक छोटा सा अखबार है। इसमें भी बड़े अक्षरों में यह समाचार छपा है, यही नहीं, जो पूंजीपतियों के अखबार हैं उनमें भी इसकी रिपोर्ट छप चुकी हैं। फिर भी राजस्थान के इन इलाकों को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। जब इसके बारे में प्रश्न हुआ था तो मंत्री महोदय ने जवाब में यह नहीं कहा कि राजस्थान का इलाका अकालग्रस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि यह

राजस्थान सरकार का काम है कि उस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित करे। उन्हों ने कहा कि यह काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है। इस प्रकार जो इतना महत्वपूर्ण मसला है उस को टाला जा रहा है। यह आदमी की जिन्दगी की बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, यह फैसला आपके नोटिस मिलने पर स्पीकर करता है कि यह मामला स्टेट का है या नहीं। आप तो आज गवर्नमेंट पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उनको कहने से कोई फायदा नहीं है।

श्री किशन पटनायक : यह उन्होंने जवाब दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जब आपके नोटिस आते हैं, तो मैं इस बात का फैसला देता हूं कि यह स्टेट का मामला है। तो आपका यह एतराज मेरे ऊपर आता है।

श्री किशन पटनायक : अगर वैसा है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस मुझे इतना ही कहना है कि . . .

†**श्री बड़े :** क्या केन्द्र राज्यों को कुछ क्षेत्रों को अकाल वाले क्षेत्र घोषित करने के लिए नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि ऐसी बहस उठाने के लिए अवसर मांगा जाता है तो बता दिया जाता है . . .

श्री किशन पटनायक : मैंने उसके सम्बन्ध में नहीं कहा था। मैंने तो दूसरे सम्बन्ध में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : कहिए।

श्री किशन पटनायक : जब मंत्री महोदय से कहा गया कि इस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय तो उन्होंने कहा था कि यह हमारा काम नहीं है, राज्य सरकार का है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाल का विषय अगर अभी केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है, तो उसको जल्दी केन्द्रीय सरकार का विषय बना देना चाहिये, क्योंकि अकाल जैसी स्थिति को तो हर एक स्तर का विषय बना देना चाहिए—वह पंचायत का भी विषय होना चाहिए और केन्द्र का भी। केन्द्र में जो पार्टी सत्तारूढ़ है, राजस्थान में भी उसी का राज्य है। इसलिए अगर केन्द्रीय सरकार को यह पावर नहीं है कि वह टैक्निकली घोषणा कर सके कि राजस्थान में अकाल की स्थिति है, तो उसको यहां पर अपनी तरफ से इस बारे में बयान देना चाहिये। उसको अधिकार है कि सरकारी स्तर पर नहीं, तो गैर-सरकारी स्तर पर राजस्थान सरकार को हिदायत, निर्देश और आदेश दे कि राजस्थान को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये।

जब सारा काम इस ढंग से हो रहा है कि जैसे अकाल पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं यह घोषणा की जा रही है कि वहां पर अकाल की स्थिति है ? राजस्थान के चीफ़ सैक्रटरी साहब ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान में एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा हो गई है, चार हज़ार गांव ख़तरे में हैं, २४ लाख आदमी ख़तरे में हैं और २४ लाख गाय-भैंस ख़तरे में हैं। यह सब कहते हुए भी राजस्थान को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित न करना एक पाखंड की बात है।

अकाल की स्थिति की घोषणा में हमारी दिलचस्पी इसलिए है कि एक तो उससे सारे देश को जानकारी हो जायेगी कि हमारी सोलह साल की आज़ादी के बाद और बारह साल तक योजनायें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री किशन पटनायक]

गाने के बाद देश की स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि इस से वहां के रहने वाले लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी। वहां पर अकाल ग्रस्त इलाके में लगान की माफ़ी का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। सिर्फ़ यह तय किया गया है कि लगान को सस्पेंड किया जायेगा, स्थगित रखा जायेगा। लेकिन जब पैदावार ही नहीं हुई है, जब लोग भूखों मर रहे हैं, तब अगले साल भी वे लगान कैसे चुका सकेंगे, यह भी सोचने का विषय है।

इसलिए हमारी पहली बात यह है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति है, इस तरह का बयान पार्लियामेंट के फ्लोर पर मंत्री महोदय दें। दूसरी बात यह है कि वहां पर लगान पूरे तौर पर माफ़ किया जाये। तीसरी बात यह है कि यह जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है, यह किस तरह पैदा हुई है, इस के बारे में मंत्री महोदय को कोई सफ़ाई देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि पिछले सोलह सालों में उन इलाकों के विकास के लिए अभी तक क्या क्या योजना कार्यान्वित की गई है और उसका नतीजा क्या निकला है। राजस्थान सुनने में और देखने में फ़िजूलख़र्ची की एक अच्छी जगह है। हम लोग सुनते हैं कि जयपुर में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तब वहां क्या क्या हुआ। यह भी सुनने में आता है कि जब प्रधान मंत्री साहब राजस्थान पधारते हैं, तो रोज़ एक लाख रुपये का ख़र्चा हो जाता है। उसकी तुलना में राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों के विकास के लिए कितना रुपया ख़र्च किया गया है और इन ढाई योजनाओं से क्या क्या नतीजा निकला है, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

राजस्थान का जो मसला है, यह शत-प्रति-शत पानी के अभाव का मसला है, लेकिन वहां पानी का इन्तज़ाम करने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब कहते हैं कि २५० नलकूप खोदे जायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, इस का जवाब मंत्री महोदय दें। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह इसराइल की बात सोचें, जोकि एक रेगस्तान था। इन बारह, चौदह सालों में उसका क्या विकास हुआ है और राजस्थान में क्या विकास हुआ है, इसकी तुलनात्मक सफ़ाई मंत्री महोदय दें। राजस्थान के इन इलाक़ों के विकास के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक रेगिस्तान विकास संस्था बनाई जाये, जिसकी देखरेख में वहां पर विकास-कार्य हो।

हमारी चौथी और आख़िरी बात यह है कि अगला जनवरी मास सबसे अधिक ख़तरनाक समय होगा, ख़ास तौर से पशुओं के लिए। जो लोग उधर घूम कर आए हैं, उनका अन्दाज़ है और अधिकारियों का भी यह कहना है कि जनवरी-फ़रवरी तक कम से कम पचास हज़ार पशु तो मर जायेंगे। उनकी रक्षा कैसे हो सकती है? पशु मरेंगे और लोग भागेंगे। वे अब भी भाग रहे हैं। हमारा सुझाव है कि पार्लियामेंट के सदस्यों का एक कमीशन बिठाया जाये, जो इस बात की तुलनात्मक जांच करे कि उन इलाकों में कितने लोग और पशु रहते हैं और जनवरी-फ़रवरी तक कितने लोग और पशु वहां पर रहते हैं, ताकि अकाल की स्थिति के बारे में सब तथ्य पूरी तरह से मालूम हो जायें।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, इसे दूर करने के लिए राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही करेगी या केन्द्र को क्या सुझाव देगी क्योंकि इसी के कारण वहां चारे की कमी है? राजस्थान सरकार ने केन्द्र के एक करोड़ के अनुदान का क्या प्रयोग किया है? मई, जून और जुलाई में वर्षा न होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जानकारी राजस्थान सरकार को थी, इसलिए उसने इसका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पिछली बार कहा था कि हिसार और राजस्थान में जानवर बिल्कुल नहीं मरे हैं, लेकिन अख़बारों में ख़बरें शाया हुई हैं, सरकार के रेडियो से भी यह कहा गया कि इसके अतिरिक्त हमारे माननीय मित्र, श्री सिंघवी ने, जो उस इलाके में घूम कर आए हैं, यह बताया है कि वहां जानवर मरे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति क्या है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस विषय की चर्चा आज इस सदन में हुई, जिस की बदौलत माननीय सदस्यों का ध्यान इस अहम मसले की ओर आकृष्ट होगा। परन्तु मेरे मित्र, श्री किशन पटनायक, ने ज्यादातर उड़ीसा में हुई कठिनाइयों की चर्चा की और बताया कि वहां पर हैज़े से दो हज़ार लोगों का देहावसान हुआ है। चारे के सम्बन्ध में यह सवाल है, मगर माननीय सदस्य ने हैज़े से मृत्युओं की चर्चा की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस इलाके में कि ने पशुओं की मृत्यु हुई।

मेरे दूसरे परम् मित्र, श्री रामसेवक यादव, ने कहा कि माननीय सदस्य, श्री सिंघवी जी वहां पर घूम कर आए हैं और उन्होंने बताया है कि वहां पर पशुओं की मृत्यु हुई है। लेकिन मैं उन को सूचना देना चाहता हूं कि श्री सिंघवी के भाई की शादी अभी कलकत्ते में थी, जिस के कारण पिछले बीस दिनों से वह वहां थे। वहां से मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं नहीं समझता कि इन दोनों बातों में क्या तुक है।

महारानी साहबा ने पूछा कि राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है और भारत सरकार इस में क्या सहायता देने की बात सोच रही है। यह बहुत माकूल बात है। मैं मानता हूं कि इस साल वर्षा का अभाव रहा है और जैसा कि महारानी साहबा ने कहा, वहां के लिये यह कोई नई बात नहीं है। वहां पर दो चार बरसों का अन्तर दे दे कर अक्सर यह चीज़ होती आई है। आज़ादी हासिल करने के बाद हम ने योजना बद्ध विकास करने की कोशिश की है। श्री किशन पटनायक ने कहा है कि योजना असफल हुई है और सरकारी प्रशासन भी इसका मुकाबला करने में सफल नहीं हुआ है। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस बात का शायद उनको पता नहीं है कि योजना के अन्तर्गत राजस्थान के उन इलाकों में जहां बालू का ढेर है, राजस्थान नहर जा रही है, राजस्थान जयसलमेर में जहां पानी बहुत कम मिलता था वहां करीब ६५,००० एकड़ ज़मीन सिंचाई करने लायक अभी हो रही है। हमारे मित्र थामस जी ने नलकूपों की व्यवस्था की है, और जब वे चालू हो जायेंग तो ६५,००० एकड़ ज़मीन सिंचाई के अन्दर आ सकेगी।

श्री किशन पटनायक : पैदावार कम हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : पैदावार का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे बड़े अनन्य मित्र श्री पटनायक जी उड़ीसा से आते हैं। वहां पर इंडस्ट्री भी पूरी मात्रा में है और खेती की ज़मीन भी उत्तम ढंग की है। उन सरीखा मित्र अगर उड़ीसा में काम करता है और फिर भी वहां गरीबी बराबर रहती है तो इसके लिये आज चाहे प्रशासन सीधे जवाब. . .

श्री किशन पटनायक : दूसरे पटनायक जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। आप फर्क नहीं कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : राजस्थान सरकार ने इस समस्या का मुकाबिला करने के लिये क्या कुछ किया है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ८५ लाख रुपया खर्च करके वहां चारा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी ३,८९४ गांवों में कुछ कठिनाई पैदा हो गई है पशुओं के चारे की। इस का कुल क्षेत्रफल लगभग ४५,००० वर्गमील है।

[डा० राम सुभग सिंह]

हमारे माननीय सदस्य एक बहुत तगड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एक कमिशन बनाने की मांग की है। मैं तो उन से आशा करता था कि खुद जाते, देखते और बताते कि क्या कार्रवाई करें। मैं तैयार था उस कारवाई को करने के लिये। उन आदमियों की संख्या पूछी जाती है जो प्रभावित हुए है ४५,००० वर्गमील में कोई २७–२८ लाख आदमी इससे प्रभावित हुए हैं। जैसा अखबारों में निकला है अगर प्रति व्यक्ति एक पशु हो तो २७ लाख ब पशुओं को हमें देखना है और उनका इंतजाम करना है। अगर कुछ पशुओं को मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ले जाया जा सके जहां कुछ चरी है, तो उनको वहां राजस्थान सरकार ले जा रही है। बीस केन्द्र उन्होनें खोले हैं जहां प्रति पशु प्रतिदिन तीन किलोग्राम घास दिया जाता है।

हमारे सुरक्षा मंत्री ने जो इनके पास घास रहता है, सेना के घोड़ों के लिये उस में से पांच सौ टन कहा है कि तुम जा करके बंटवा सकते हो। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में जितने जंगल हैं, वहां से हर जिले के लिये वन विभाग ने खोल दिया है कि एक लाख मन घास बीकानेर इत्यादि में ले जा सकते हो। अगर स्थानों के नाम मैं बताऊं तो काफी वक्त लग जाएगा कि कहां कहां भेज दी गई है। इसके अलावा सात लाख मन भूसा और घास राजस्थान सरकार दूसरी जगहों से खरीद कर लाने की बात सोच रही है, और उसको लाया जा रहा है। पचास हज़ार पशु बाहर जा रहे हैं, उनके जाने का खर्च, जब उनको आना होगा, उसका खर्च और वहां उन लोगों को काम देने के बारे में जो चीजें हैं, सब की व्यवस्था की जा रही है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री १० तारीख को आए थे। उनकी कृषि और खाद्य मंत्री से बातें हुई थीं। उन्होंने बताया है कि तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को आतंकित करने का ही मंतव्य हो तो हम लोग भी उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं और उसका भी परिमार्जन किया जा सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होने यह भी कहा है कि हम समस्या को काफी मुस्तैदी से सम्भाल रहे हैं। लोगों को प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिये, जिनका एक मात्र पेशा गलत प्रचार करना है, उससे उनको घबराना नहीं चाहिये। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है और काम जारी कर दिया कि मध्य प्रदेश के जिस जिले में थोड़ा भी अतिरिक्त भूसा या घास है, उसको खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए और वह हो गई है। वहां से लेकर हम भेजें। वह भी जाता है। करीब डेढ़ लाख मन भूसा वहां से जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब पचास हजार मन घास की बात कही है और उसक एक जगह ला कर रख दिया गया है। राजस्थान सरकार के अफसर और हमारे अफसर इसको हटा रहे हैं।

पंजाब की बात भी की जाती है। बम्बई से खुद्दी वगैरह पंजाब में भेजी जा रही है। दादरी में एक वैगन भेज दी गई है। एक हजार मन घास कालका से, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो दी थी, उसको भी पंजाब भेजने की व्यवस्था की जा रही है और वहां के मुख्य मंत्री से कहा गया है कि उसे जहां चाहें भेजें। जरूरतों को हर सम्भव रीति से पूरा करने की कोशिश जो हो सकेगी, होगी। जो जरूरत पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

अकाल की घोषणा करने की माननीय सदस्य ने मांग की है (इंटरप्शंज) हमारे कछवाय जी को तो अकाल की तनिक भी छूत नहीं लगी है और न ही हमारे बड़े साहब को। अगर लगी होती तो वे इतने ज़ोरों से न बोलते।

जहां तक अकाल की बात है, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमने की है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है उसककम से कम चौदह मील के अन्दर हम

नहर का काम दे सकेंगे, चाहे वह माइनर स्कीम का हो, तालाब वगैरह की मुरम्मत का हो या नलकूप बनाने का काम हो।

राशन शाप्स वगैरह भी ज्यादा से ज्यादा खोली जा रही हैं। १५६ फेयर प्राइस शाप्स वहां पर खोल दी गई हैं। कुछ लोग पशुओं को ले जा रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहां से जाना कठिन है। अन्न का अभाव कहीं नहीं है। जहां कहिये अनाज आज भी पहुचाया जा सकता है। वहां की सरकार जिस वक्त कहेगी, ऐसा कर दिया जायेगा। सवाल यह है कि अगर वर्षा न हुई तो क्या होगा। बीकानेर में १२२ कुओं से पानी साढ़े बारह रुपये प्रतिदिन खर्च करके बराबर निकाला जा रहा है और जिसकिसी को पशुओं के लिये अथवा अपने लिये पानी की जरूरत है, वह वहां से ले सकता है। दिन भर राजस्थान सरकार पानी खिचवाती है और लोग उसका उपयोग करते हैं। सूखे हुए कुओं में जहां पानी मिलने की सम्भावना है, उनको भी दुरुस्त करवाने की कोशिश की जा रही है। यही बात तालाबों के बारे में है। आतंक बिल्कुल नहीं है और आंतक वाली बात को मैं काटना चाहता हूं। स्थिति आज साधारण इस माने में है कि पिछली जो वर्षा हुई थी उससे कुछ हद तक राहत पहुंच गई थी। आज यह है कि राजस्थान सरकार इस समस्या को हल करने के लिये काफी रुपया खर्च कर रही है। ८५ लाख रुपये की जो बात मैंने कही है वह राजस्थान सरकार की योजना है। लेकिन उनका निश्चय यह है कि वे चार करोड़ रुपया खर्च करेंगे और इसकी निसबत वे भारत सरकार से भी निवेदन कर सकेंगे। लेकिन हम इस अनुमान पर चलते हैं कि अगर बिल्कुल वर्षा आज से जून तक न हुई तो भी इसका मुकाबला बगैर घबराये हुए हम कर लेंगें। २७ लाख पशुओं को, खाने के लिये दे देंग। अब तक तो वहां के तीन चार जिलों के पशु जाते थे बहावलपुर की ओर या पाकिस्तान की ओर। वह मार्ग अब बन्द हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की ओर या जोधपुर डिवीजन या जा लीर की तरफ जो पशु जाते थे, व आज भी जा रहे हैं। आज बहावलपुर का मार्ग बन्द है। बीकानेर में, बाडमेर में, भीलवाड़ा, अजमेर, चुरू, जोधपुर, सिरोही, पाली नागोर जालोर, हर जगह पर कुछ न कुछ घास के केन्द्र खोले गए हैं और अच्छा इन्तजाम है। हम लोग खुद अपने यहां से, भारत सरकार की ओर से भी करीब ३२ हजार बैग उपलब्ध करने की सोच रहे हैं और हर बैग ढाई मन वाला होगा। आप कल्पना कीजिए, उसकी ताकत भूसे के चार गुने के बराबर हो जायेगी। भिवानी में चूनी पड़ी है गोआर की, और और जगहों में भी है। जहां पर भी अतिरिक्त भूसा, घास या खद्दी है, राजस्थान सरकार की निगाह उस पर है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि माननीय सदस्य की उस पर निगाह हम लोगों से या राजस्थान सरकार से पहले पहुंचे। अगर उन की निगाह कहीं भी हम लोगों से पहले पहुंचेगी तो उस का हम फायदा उठायेंगे, लेकिन मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है कि कभी भी वे लोग दोनों सरकारों के आगे की बात सोच सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप अकाल की घोषणा करेंगे या नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : हम अकाल की घोषणा आप के कहने से नहीं करेंगे और अगर वहां अनाज नहीं रहेगा तो आप के कहने से पहले हम वहां अकाल की घोषणा कर देंगे। लेकिन आज अनाज की उपलब्धि का सवाल नही है। अनाज वहां है। यह आप कह सकते हैं कि वर्षा न होने के कारण कोई जाता है तो कठिनाई जरूर होती है, लेकिन अनाज वहां प्राप्त हो सकता है। अभी हो रहा है और और भी भेज सकते हैं दूसरी जगहों में।

यहां कमीशन बनाने की बात कही जाती है। कमीशन बनाने की बात राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात बिल्कुल सही है कि अकाल घोषित करने का जो काम है वह राज्य सरकार का काम है। वह परिस्थिति का अध्ययन कर के अगर चाहें तो अकाल घोषित कर सकते हैं। आज उन्होंने घोषणा कर दी है कि वर्षा न होने के कारण स्केअर्सिटी कंडिशन है। जो जबरत की चीज है

[डा० राम सुभग सिंह]

अगर उस को पहुंचाने में हम आनाकानी करते तब आप को कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन कहां आनाकानी है। इसलिये मैं आप की इस बात को नहीं मानता हूं।

जहां तक इजराइल का सवाल है, वह बिल्कुल सही है, इसे मैं मानता हूं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इजराइल के आदमियों को हमारे मित्र श्री पटनायक और दूसरे लोग क्या समझते हैं। क्या वे इजराइल के आदमियों के बराबर काम करते हैं। अगर नहीं करते. . .

श्री किशन पटनायक : हिन्दुस्तान का आदमी सब से कम कैलोरी खाता है।

डा० राम सुभग सिंह : अगर उतना नहीं करते तब कैसे यह बात कह सकते हैं। उन्होंने रेगिस्तान का विकास करने के सम्बन्ध में भी कहा। एअरिड जोन रिसर्च इंस्टिट्यूट की ओर से हर ढंग की चीजों के ऊपर देख रेख होती है और हम लोग उस को और आगे बढ़ायेंगे।

श्री शिव नारायण : क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि उन्होंने कितने दिन तक राजस्थान का दौरा किया।

डा० राम सुभग सिंह : बिल्कुल दौरा नहीं किया। इसलिये वहां जो पशुओं की कठिनाई की समस्या है उस कठिनाई को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ कर हल करेंगे अगर कहीं पर किसी भी पशू पालने वाले आदमी को खाने की दिक्कत होती है तो इस के लिये भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब की गवर्नमेंट्स इमदाद करेगी अगर उड़ीसा में भी कहीं दिक्कत हो तो उस के लिये भी वे इमदाद देंगी।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नरायण सिंह):** अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री चन्द्र भान सिंह लोक-सभा के लिये चुने गये हैं वह एक मजबरी के कारण आज सभा की बैठक आरंभ होने से पहले शपथ लेने के लिये नहीं आ सके क्योंकि दुर्भाग्यवश उन की रेल गाड़ी छूट गई थी मैं प्रार्थना करता हूं कि अब उन्हें शपथ ग्रहण कराई जाये क्योंकि यह इस सत्र की अन्तिम बैठक है।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई आपत्ति नहीं। सचिव सदस्य का नाम पुकारें।

सचिव : श्री चन्द्रभान सिंह।

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री सभा को सदस्य का परिचय दें।

†**श्री सत्य नरायण सिंह :** श्रीमान्, आप से और आप के द्वारा सभा से श्री चन्द्र भान सिंह का, जो मध्य प्रदेश के बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से, श्री सत्य प्रकाश के निर्वाचन के अवैध होने के कारण हुए रिक्त स्थान के परिणामस्वरूप चुने गये हैं, परिचय कराने में मुझे बड़ा हर्ष है।

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर)

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का स्थगित किया जाना

†अध्यक्ष महोदय : अब वास्तव में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सत्र बड़ा ही उत्तेजक रहा है। वैधानिक कार्यवाही को छोड़ कर हम ने अनेक बातों पर चर्चा की। कभी मैं ने यह विचार किया कि यदि सदस्यों का व्यवहार सहृदयता तथा क्षमा करने का न होता तो बिचारे अध्यक्ष का क्या होता जिन्हें प्रतिदिन अनेक सदस्यों को निराश करना पड़ा मैं एक भी सदस्य ऐसा नहीं पाता जिसे मैंने कभी न कभी निराश न किया हो। मैं सभी सदस्यों के सहयोग के लिये उन का आभारी हूं। मैं उन के प्रति अपनी सद्भावनायें व्यक्त करता हूं। वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें और देश की सेवा के लिये काम करें। अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक सभा अनिश्चित-काल के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९६३

३० अग्रहायण, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१०९–१४
अल्प सूचना	
प्रश्न संख्या	
९ कैदियों का जेल से भाग जाना	३१०९–११
१० दिल्ली में आटे का संभरण	३१११–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३११४–१८
(एक) श्री स्वैल ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाल की घटनाओं की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया :	
प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
(दो) श्री कपूर सिंह ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती जिलों में पुलों की कथित दयनीय दशा की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाया।	
परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
सभा पटल पर रखा गया पत्र	३११९
संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८८ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित।	
राज्य सभा से सन्देश	३११९
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी १९ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १६ दिसम्बर, १९६३ को पारित किये गये समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।	
प्राक्कलन समिति को प्रतिवेदन---उपस्थापित	३११९
उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३११९–२०
वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता दिये जाने के प्रयोजन के लिये नगरों के पुनवर्गीकरण के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
सदस्य द्वारा वक्तव्य	३१२०–२२
श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा ने दिल्ली दुग्ध योजना के घी के बारे में १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ और तत्संबंधी अनुपूरक प्रश्नों के राज्य मंत्री (खाद्य तथा कृषि) द्वारा दिये गये कुछ उत्तरों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) ने उत्तर दिया ।	
विधेयक पुरःस्थापित	३१२२–२३
(१) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६३	
(२) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६३	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा (नियम १९३ के अधीन)	३१२३–८१
(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपायों के बारे में चर्चा उठाई । कुछ चर्चा के बाद श्री प्र० के० देव ने प्रस्ताव किया कि चर्चा को स्थगित किया जाय ।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
(२) श्री शिवाजी राव शं० देशमुख ने गन्ने के मूल्यों के बारे में १२ दिसम्बर, १९६३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा उठाई । खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।	
चर्चा समाप्त हुई ।	
आधे घंटे की चर्चा	३१८१–८९
श्री किशन पटनायक ने राजस्थान में अकाल के बारे में अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ के १३ दिसम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।	
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।	

लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

तीसरी लोक सभा के छटे सत्र, १९६३ की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१८ नवम्बर से २१ दिसम्बर, १९६३
२. बैठकों की संख्या	२६
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	१५४ घंटे २५ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	१४
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	९
(२) पुर:स्थापित किये गये	१७
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१
(४) प्रवर समिति को सौंपा गया	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपा गया ।	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	१
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	२ (एक के अतिरिक्त जो सभा पटल पर रखा गया)
(८) पारित किये गये	१४
(९) राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश लौटाये गये	४
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये ।	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१३
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	४२
(२) पुर:स्थापित किये गये	६
(३) जिन पर चर्चा हुई	३
(४) वापिस लिये गये	कोई नहीं
(५) अस्वीकृत हुए	कोई नहीं
(६) पारित किये गये	कोई नहीं
(७) जिन पर आँशिक रूप में चर्चा हुई	१

	विषय	पृष्ठ
(८)	जिन पर चर्चा स्थगित हुई	कोई नहीं
(९)	संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन जो सभा पटल पर रखा गया	कोई नहीं
(१०)	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	कोई नहीं
(११)	सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	४८
(१२)	जिसे लोक मत जानने के लिए परिचालित किया गया	१

७. नियम १८३ के अन्तर्गत हुई चर्चाओं की संख्या—

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१)	सूचनायें प्राप्त हुईं	१९
(२)	चर्चा हुई	२

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों की संख्या—

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१)	सूचनायें प्राप्त हुईं . . .	४७४
(२)	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य . .	३६

९. आधे घंटे की चर्चा . . . ७

१०. सरकारी संकल्प—

(१)	प्रस्तुत किये गये . . .	कोई नहीं
(२)	स्वीकृत हुए . .	कोई नहीं

११. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—

(१)	प्राप्त हुए . .	९
(२)	गृहीत किये गये . . .	७
(३)	जिन पर चर्चा हुई . .	४
(४)	वापस लिये गये .	३
(५)	अस्वीकृत हुए .	कोई नहीं
(६)	स्वीकृत हुए . .	कोई नहीं
(७)	जिन पर आंशिक रूप में चर्चा हुई .	१
(८)	जिन पर चर्चा स्थगित हुई . .	कोई नहीं

विषय	पृष्ठ
१२. सरकारी प्रस्ताव :—	
(१) प्रस्तुत किये गये .	२ (उन दो को छोड़ कर जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किये गय
(२) स्वीकृत हुए .	२
१३. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव:—	
(१) प्राप्त हुए . .	५५
(२) गृहीत किये गये . . .	३३
(३) प्रस्तुत किये गये	कोई नहीं
(४) स्वीकृत हुए . . .	कोई नहीं
(५) जिन पर आंशिक रूप में चर्चा हुई .	कोई नहीं
१४. संविहित नियमों में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव:—	
(१) प्राप्त हुए . . .	कोई नहीं
(२) गृहीत हुए .	कोई नहीं
(३) प्रस्तुत किये गये . . .	कोई नहीं
१५. सत्र के दौरान स्थापित की गई नई संसदीय समितियों की संख्या, यदि कोई हो	कोई नहीं
१६. स्थगन प्रस्तावों की संख्या :—	
(१) सदन में लाये गये . . .	१
(२) गृहीत किये गये किन्तु सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हुई . . .	कोई नहीं
(३) नियम बाह्य घोषित किये गये . .	कोई नहीं
(४) अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई	कोई नहीं
(५) जो गृहीत किये गये और जिन पर चर्चा हुई .	१
१७. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या—	
(१) तारांकित	६८९
(२) अतारांकित (जिन में वे तारांकित प्रश्न भी शामिल हैं जो अतारांकित कर दिये गये) .	२००५
(३) अल्प-सूचना प्रश्न . . .	१०
१८. विभिन्न संसदीय समितियों के लोक-सभा को उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या . . .	
(१) लोक लेखा समिति . . .	२

(२) प्राक्कलन समिति . . . ३

(३) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . . ५

(४) कार्य मंत्रणा समिति . . . ३

(५) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति १

१९. जिन सदस्यों को छुट्टियां स्वीकृत की गईं . . ७

२०. याचिकायें प्रस्तुत की गई कोई नहीं

२१. नये सदस्यों की संख्या जिन्होंने शपथ ली . . ४

२२. छटे सत्र के दौरान पारित किये गये सरकारी विधेयक

१. आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३

२. पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३

३. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश), संशोधन विधेयक, १९६३

४. अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६३

५. भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक, १९६३

६. विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३

७. विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३

८. भारत का एकक प्रन्यास विधेयक, १९६३

९. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड विधेयक, १९६३

१०. भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६३

११. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६३

१२. निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९६३

१३. बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६३

१४. दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, १९६३

विषय सूची--(जारी)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की चर्चा (जारी)

	पृष्ठ
(२) गन्ने के मूल्य	३१४६
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	३१४६--५०
श्री मि० मू० मर्त्त	३१५०-५१
श्री राम सेवक यादव	३१५१--५५
श्री सिंहासन सिंह	३१५५--५७
श्री वासुदेवन नायर	३१५७-५८
श्री दे० शि० पाटिल	३१५८--६०
श्री यशपाल सिंह	३१६०--६३
श्री काशीनाथ पांडे	३१६३--६५
श्री बड़े	३१६५--६७
श्री दे० द० पुरी	३१६७-६८
श्री विश्राम प्रसाद	३१६८--७०
श्री क० ना० तिवारी	३१७०-७१
श्री शिवनारायण	३१७१--७२
श्री विश्वनाथ राय	३१७२--७४
श्री सरजू पाण्डेय	३१७४--७६
श्रीमती सावित्री निगम	३१७६-७७
श्री स्वर्ण सिंह	३१७७--८१
राजस्थान में अकाल के बारे में आधे घंटे की चर्चा--	३१८१--८८
श्री किशन पटनायक	३१८१--८५
डा० राम सुभग सिंह	३१८५--८८
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३१८८
सभा का स्थगित किया जाना	३१८९
दैनिक संक्षेपिका	३१९०-९१
छठे सत्र, १९६३ का संक्षेप--	३१९२--९५

संकेतित विषय सूची (१६ से २१ दिसम्बर, १९६३/२५ से ३० अग्रहायण, १८८५ (शक)]

PLS. 41. XXIV. 26. 64.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।